वार्षिक रिपोर्ट

2016-17

जीवन की निरन्तरता

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
www.beeindia.gov.in

MINISTRY OF POWER
GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF POWER
GOVT. OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट

2016-2017

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2016-2017

विषय सूची

सूची		पृष्ठ संख्या
सामान्य		
1.1	मिशन	6
1.2	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका	6–7
1.3	महानिदेशक का प्रतिवेदन	8
1.4	ऊर्जा उपयोग के रूझान	9
1.5	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें	9–25
1.6	राश्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता	25–35
1.7	षासी परिशद् की संरचना	36–38
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		
2.1	अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम	40–46
2.2	बहुपक्षीय कार्यक्रम–जारी कार्यक्रम	46–48
ब्यूरो का लेखे		
3.1	पूंजीगत संरचना	50
3.2	वित्तीय परिणामों का सारांश	50
3.3	ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय	50
3.4	लेखों का वार्षिक विवरण	50–81
प्रशासन		
4.1	शिकायत निवारण	83
4.2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	83
4.3	अल्पसंख्यकों का कल्याण	83
4.4	राजभाषा का कार्यान्वयन	84
4.5	सतर्कता	84
4.6	दिव्यांग जनों का कल्याण	84

1

सामान्य

1.1 मिशन

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट

1.4 ऊर्जा उपयोग के रूझान

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें

1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और चित्रकला प्रतियोगिता

1.7 शासी परिषद की संरचना

1.1 मिशन

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मिशन स्वत विनियमन और बाजार सिद्धांतों पर बल देते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा गहनता को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की समग्र रूपरेखा के अंदर नीति और कार्यनीतियों का विकास करना है। इसे सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जाएगा और परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को त्वरित और निरंतर रूप से अपनाया जाएगा।

1.2 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और इसकी भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य

- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को नीतिगत रूपरेखा और दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- व्यक्तिगत क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा दक्षता सुधारों को मापने, उनकी निगरानी और जांच करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा निजी क्षेत्र का सहयोग को बढ़ावा देना।
- पणधारियों की भागीदारी से ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों में समन्वय स्थापित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा विचारित ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना, उनकी देखरेख करना और उन्हें क्रियान्वित करना।
- ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में यथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, निजी – सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से, ऊर्जा दक्षता सुपुर्दगी क्रियाविधि का प्रदर्शन करना।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत तथा ब्यूरो को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए ऊर्जा सरंक्षण/दक्षता के क्षेत्र में कार्य कर रहे अभिहित अभिकरणों, अभिहित उपभोक्ताओं और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

इस अधिनियम में उपकरणों और यंत्रों के लिए मानक विकसित करने और लेबलिंग करने; वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण कोड बनाने तथा ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए ऊर्जा खपत मानदण्ड बनाने के लिए विनियामक जनादेश का प्रावधान है। वर्ष 2010 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया और अधिनियम के मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं: विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता विनिर्दिष्ट करना।

- केन्द्रीय सरकार ऐसे अभिहित उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र जारी कर सकती है, जिनकी ऊर्जा खपत यथा निर्धारित पद्धति के अनुसार बनाए गए मानदण्डों और मानकों से कम हो।
- अभिहित उपभोक्ता, जिनकी ऊर्जा खपत निर्धारित मानदण्डों और मानकों से अधिक है, निर्धारित मानदण्डों और मानकों के अनुपालन के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र की खरीद करने के पात्र हैं।
- केन्द्रीय सरकार ब्यूरो से परामर्श करके खपत की गई ऊर्जा के बराबर तेल के प्रति मीट्रिक टन का मूल्य निर्धारित कर सकती है।
- वाणिज्यिक भवन, जिनके पास 100 किलोवाट का कनेक्टिड लोड या 120 किलोवाट या इससे अधिक की कॉन्ट्रेक्ट डिमाण्ड है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ईसीबीसी के दायरे में आते हैं।

संवर्धनात्मक भूमिका

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की प्रमुख संवर्धनात्मक भूमिका मे निम्नलिखित शमिल हैः

- ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना तथा जानकारी का प्रसार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए कार्मिकों और विशेषज्ञों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में परामर्शी सेवाओं का सुदृढीकरण।
- अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया तैयार करना और परीक्षण सुविधाओं का संवर्धन।
- प्रायोगिक परियोजनाओं तथा निदर्शन परियोजनाओं को तैयार करना और उनको क्रियान्वयन का सरलीकरण।
- ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं, उपकरणों, यंत्रों और प्रणालियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्ष उपकरणों अथवा यंत्रों के इस्तेमाल के लिए तरजीही उपचार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना।
- ऊर्जा दक्ष परियोजनाओं के नवोन्मेशी निधीयन को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण पर शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।

1.3 महानिदेशक की रिपोर्ट

भारत ने जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या के समाधान के लिए ऊर्जा दक्षता के प्रवर्तन और संवर्धन में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33से 35 प्रतिशत तक की कमी करने के लिए स्वयं प्रतिबद्ध है।

जलवायु परिवर्तन में कमी लाने और निरन्तर विकास के लिए ऊर्जा दक्षता और संरक्षण का महत्त्व समझते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने सचिवों के 8 समूहों द्वारा मुख्य क्षेत्रों पर बल देने के लिए ऊर्जा दक्षता संरक्षण पर सचिवों के निष्ठावान समूह का गठन किया है।

भारत का त्वरित और निरन्तर विकास मुख्य रूप से ऊर्जा के विवेकसम्मत उपयोग और इसके सचरे पर नियन्त्रण पर निर्भर करता है। ऊर्जा के कुशल उपयोग और इसका संरक्षण ऊर्जा सुरक्षा की खोज के लिए अनिवार्य है।

विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित ऊर्जा दक्षता स्कीमों में उपकरणों और यंत्रों के लिए मानक और लेबलिंग, राष्ट्रीय सवंर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) के अन्तर्गत निश्पादन, अधिप्राप्ति और व्यापार (पैट), कृषि, नगरपालिका और भवनों आदि में मांग पक्ष प्रबन्धन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं और जिसका उद्देश्य बाजार रुपान्तरण करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाकर अन्ततः उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाकर जलवायु परिवर्तन को कम करना है।

मानक और लेबलिंग कार्यक्रम में 21 उपकरण शामिल हैं, जिनमें से 5 उपकरणों में लेबलिंग आदेशात्मक कर दी गई है कि ऐसे उपकरणों को लेबलिंग किए बिना बेचना गैर कानूनी है। वर्ष 2016–17 के दौरान 3 और उपकरणों को आदेशात्मक लेबलिंग की श्रेणी में लाया गया। इस प्रकार आदेशात्मक लेबलिंग वाले उपकरणों की संख्या 8 हो गई।

राज्यों द्वारा भवन क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) को अपनाना अपेक्षित है। अभी तक ईसीबीसी ने 10 राज्यों (राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तराखंड और पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल) को अधिसूचित किया है। हरियाणा, पश्चिम बंगाल और पंजाब को 2016–17 में अधिसूचित किया गया है।

उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय सबंधित ऊर्जा दक्षता मिशन के अन्तर्गत निष्पादन, अधिप्राप्ति और व्यापार (पैट) का आरंभ किया गया, जिसमें 8 क्षेत्रों (एल्युमीनियम, सीमेंट, क्लोर अल्कली, उवर्रक, लौह व इस्पात, लुगदी और कागज, कपड़ा और थर्मल पावर प्लांट) के नामित उपभोक्ताओं को तीन वर्षों के चक्र में उसकी एसईसी को कम करने का लक्ष्य दिया गया। इस योजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कुल ऊर्जा खपत में 4.05% की कमी लाना था और इससे पैट चक्र (2012–13 से 2014–15) में 6.686 मिलियन टन तेल के बराबर ऊर्जा बचत हुई।

पैट चक्र–I में अभिहित उपभोक्ताओं ने क्षमता से अधिक निष्पादन किया और 8.67 मिलियन टन तेल के बराबर ऊर्जा बचत की उपलब्धि हुई, जो लक्ष्य से लगभग 30% अधिक है। विद्युत मंत्रालय ने 306 अभिहित उपभोक्ताओं को लगभग 38.25 लाख ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी किए गए जबकि 110 अभिहित उपभोक्ताओं ने मुख्यतः उनके अनुपालन के लिए लगभग 14.25 लाख का क्रय करना था।

वर्ष 2016 के दौरान और अभिहित उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ाने एवं और अधिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पैट की गहनता और विस्तारण का काम किया गया। पैट चक्र–II (2016–17 से 2018–19) ने 1 अप्रैल, 2016 से काम करना शुरु किया, जिसके अन्तर्गत उन 11 क्षेत्रों {मौजूदा 8 क्षेत्र और 3 नए अधिसूचित क्षेत्र अर्थात् रेलवे, रिफाइनरीज और विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स)} की 621 औद्योगिक इकाइयों को अधिसूचित किया गया, जो 2009–10 के स्तर पर देश की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 50% हिस्से की ख्पत करते हैं।

1.4 ऊर्जा उपयोग के रुझान

भारत में ऊर्जा खपत की मुख्य विशेषता यह है कि यहां प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत निम्न है और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बहुत अधिक असमानता है। वर्ष 2015–16 में हमारी प्रति व्यक्ति ऊर्जा और बिजली की खपत क्रमशः 670 किलोग्राम तेल के बराबर और 1075 किलोवाट आवर प्रति वर्ष है, औसतन विश्व का लगभग एक तिहाई है।

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की वर्श 2016 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय ऊर्जा खपत की विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

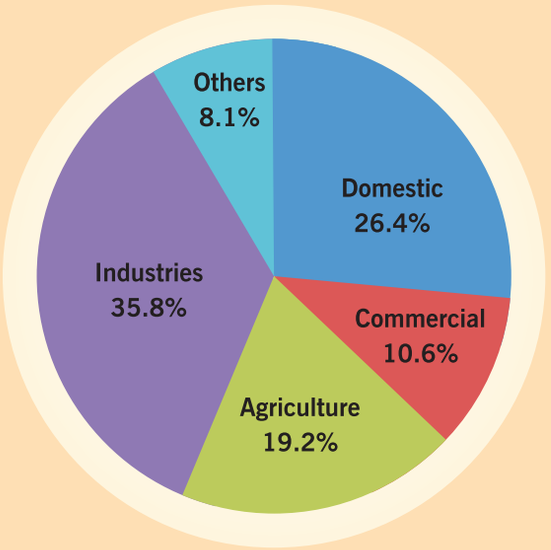

ऊर्जा की गहनता (2004–05 मूल्यों पर) वर्ष 2006–07 में 0.465 मेगा जूल प्रति रुपए से घटकर वर्ष 2014–15 में 0.284 मेगा जूल प्रति रुपए और 2015–16 में 0.271 मेगा जूल हो गई **(स्रोतः केन्द्रीय बिजली योजना)** । पिछले दशक से ऊर्जा की गहनता में कमी आई है। यह कमी संभवतः ऊर्जा मांग के मुकाबले जीडीपी में तेजी से वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के उपयोग आदि के कारण आई है।

1.5 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्कीमें

संस्थागत क्रियाविधि
- राज्य अभिहित अभिकरण का सुदृढ़ीकरण
- राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान

उपकरणों की स्टार रेटिंग
- 8 अनिवार्य लेबलयुक्त उपकरण
- 13 स्वैच्छिक लेबलयुक्त उपकरण

जागरूकता
- ऊर्जा संरक्षण अवार्ड
- चित्रकला प्रतियोगिता

राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन
- निष्पादन, अधिप्राप्ति और व्यापार (पैट)
- ऊर्जा दक्षता बाजार रूपांतरण (एमटीईई)
- ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी)
- ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी)

ऊर्जा दक्षता भवन निर्माण
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता
- पुराने भवनों को पुनः उपयुक्त बनाना
- आवासीय भवन निर्माण दिशानिर्देश

मांग पक्ष प्रबंधन
- कृषि मांग पक्ष प्रबंधन
- नगर पालिका मांग पक्ष प्रबंधन
- एसएमई में ऊर्जा दक्षता
- डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण

1.5.1 राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)– वार्षिक रिपोर्ट (2015–16)

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत आठ मिशनों में से एक राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई) है। एनएमईईई का उद्देश्य सहायक विनियामक और नीति व्यवस्था का सृजन करके ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को मजबूत बनाना है तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के लिए संपुष्टकारी नवप्रवर्तन तथा सतत व्यापार मॉडल का विकास करना है। एनएमईईई का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में नवोन्मेशी प्रयासों के कार्यान्वयन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार को सुदृढ़ बनाना है। (एनएमईईई) द्वारा चार नई शुरूआतें की गई हैं : निष्पादन, अधिप्राप्ति और व्यापार (पैट)–जिसका उद्देश्य बड़े ऊर्जा गहन उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना है; ऊर्जा दक्षता बाजार रूपान्तरण (एमटीईई)–जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रति बाजार का रूपान्तरण करना है; ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी)–जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए दक्षता निर्माण हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है; और अन्ततः ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी)–ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वित्तीय साधनों को वित्तपोषण के लिए विकसित करना है।

यह मिशन, ऊर्जा दक्षता के बाजार खोलने के प्रयासों को उन्नत करना चाहता है, (जो अनुमानत लगभग 74,000 करोड़ का है) और इसके पूर्ण कार्यान्वयन स्तर पर, 19598 मेगावाट की कुल परिहार्य क्षमता वृद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, प्रतिवर्ष लगभग 23 मिलियन टन की ईंधन बचत तथा प्रतिवर्ष 98.55 मिलियन टन की ग्रीन–हाउस गैस उत्सर्जन की कमी होगी।

(I) पैट चक्र–I निष्पादन उपलब्धि और व्यापार योजना (पैट)

पैट चक्र–I, 2014–15 को पूरा हो गया, जिसमें आठ ऊर्जा गहन क्षेत्रों से 478 अभिहित उपभोक्ताओं को शामिल किया गया जो भारत की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 36% हिस्से की खपत करते हैं। इन अभिहित उपभोक्ताओं (डीसी) को दिए गए समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) कटौती का लक्ष्य 6.686 मिलियन टन तेल के बराबर ऊर्जा बचत प्राप्त करना था। पैट चक्र–I मार्च 2015 में पूरा हो गया और इससे 8.67 मिलियन टन तेल के बराबर बचत हुई, जो देश को 2009–10 की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 1.25% है। इस ऊर्जा बचत से लगभग 30 मिलियन टन की CO_2 उत्सर्जन में कमी आई।

पैट चक्र–I के अभिहित उपभोक्ताओं को ट्रेडेबेल ऊर्जा दक्षता प्रमाण–पत्रों में परिवर्तित किया गया है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 306 अभिहित उपभोक्ताओं को लगभग 38.25 लाख ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जबकि 110 अभिहित उपभोक्ताओं को अपन अनुपालन हेतु लगभग 14.25 लाख ऊर्जा बचत प्रमाण–पत्र की मुख्यतः खरीद करनी थी। वीवीई ने पैट विनियमावली, 2012 में यथापरिभाषित इलैक्ट्रिोनिक प्ररुपों में ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी करने/खरीद करने के लिए एक ऑनलाइन पैट पोर्टल विकसित किया है।

पैट चक्र–II के अन्तर्गत नए अभिहित उपभोक्ताओं और क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पैट की गहनता और विस्तारण का काम किया गया। इस विस्तारण के परिणामस्वरूप पैट के मौजूदा क्षेत्र से 89 डीसी को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त तीन नए क्षेत्रों रिफाइनरी, रेलवे और विद्युत डिस्कॉम को पैट स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया। पैट के दूसरे चक्र में (2016–17 से 2018–19) में सकल ऊर्जा खपत में 8.869 एमओटीई की की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए इन ग्यारह क्षेत्रों (आठ मौजूदा क्षेत्र और तीन नए अधिसूचित क्षेत्र) के अन्तर्गत 621 डीसी को ऊर्जा कटौती का लक्ष्य दिया गया। इस ऊर्जा बचत से लगभग 31 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आई।

ऊर्जा पर संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अधीन जलवायु परिवर्तन पर कार्यकारी समिति तथा पैट के अन्तर्गत डीसी की संख्या बढ़ाने के लिए ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा संरक्षण के लिए सचिवों के समूह द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर इसव योजना का कार्यान्वयन किया गया। परिणामस्वरूप पैट चक्र–III को 1 अप्रैल, 2017 से आरम्भ किया गया। अपने तीसरे चक्र में पैट योजना में ऊर्जा खपत में 1.06 एमटीओई की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, एल्युमीनियम, लुगदी व कागज, लौह व इस्पात तथा कपड़ा जैसे छः क्षेत्रों से 116 अभिहित डीसी को एसईसी कटौती करने के लक्ष्य दिए गए। इस डीसी की मौजूदा ऊर्जा खपत 35.00 एमटीओई है।

(II) ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार रूपान्तरण (एमटीईई)

मिशन के इस प्रयास का उद्देश्य उत्पादों को वहनीय बनाने के लिए नवोन्मेशी उपायों के माध्यम से अभिहित क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता उपकरणों को तेजी से बदलना है। एमटीईई के अन्तर्गत बाजार में ऊर्जा दक्षता उत्पादों के संवर्धन हेतु दो कार्यक्रम बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) और अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी) आरम्भ किए गए।

बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)

- बचत लैम्प योजना (बीएलवाई) का विकास अदक्ष बल्बों के बदले कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प (सीएफएल) लाने के लिए किया गया था। यह स्कीम भारत सरकार, निजी क्षेत्र के सीएफएल आपूर्तिकर्ताओं तथा राज्य स्तरीय विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के बीच संतुलित सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए एक अद्भूत मंच मुहैया कराती है। तापदीप्त लैम्प (आईसीएल) के बदले में आवासीय घरेलु उपयोग के लिए सब्सिडी प्राप्त मूल्य पर उच्च गुणवत्ता केसीएफएल वितरित करने के लिए एक ढांचा मुहैया कराती है। वर्तमान में बीएलवाई कार्यक्रम में एलईडी के प्रसार को सहायता देना तथा ईईएसएल और आरईसी जैसे प्रतिभागी अभिकरणों को तकनीकी सहायता मुहैया कराना शामिल है। अब तक ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 99.9 मिलियन एलईडी लाइटें और 7.5 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

अति–दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)

- एसईईपी कार्यक्रम, हस्तक्षेप के सांक्रितिक बिंदुओं पर नए.नए वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया करवा के अति दक्ष उपकरणों के लिए बाजार का रूपांतरण करने हेतु तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले उपकरण के रूप में स्वीकार्य किया गया अभिहित उपकरण छत का पंखा है। इसका उद्देश्य अति दक्ष 35 वाट के छत के पंखों को बाजार में लाना और उन्हें लगाने के लिए सहायता देना है, जबकि अब तक भारतीय बाजार में औसतन लगभग 70 वाट की रेटिंग के छत के पंखे बेचे गए हैं।

इस समय एलईडी के लिए प्रयुक्त मांग समूहन मॉडल को देखते हुए छत के पंखों के कार्यक्रम पर पुनः विचार किया जा रहा है।

(III) ऊर्जा दक्षता निधियन मंच (ईईएफपी) :

ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं और परियोजना विकासकर्ताओं के साथ पारस्परिक बातचीत के लिए एक मंच मुहैया कराने के लिए एनएमईईई के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच (ईईएफपी) की शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए निधीयन को बढ़ाने हेतु बीईई द्वारा मैसर्स पीटीसी इंडिया लि., मैसर्स सिडबी, एचडीएफसी बैंक, टाटा कैपिटल तथा आईएफसीआई लिमिटेड के साथ पहले से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

वित्तीय संस्थाओं की क्षमता निर्माण के लिए बीईई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऊर्जा दक्षता निधीयन पर प्रशिक्षण के लिए भारतीय बैंक संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की तारीख तक प्रशिक्षक कार्यशालाओं के चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और बैंकिंग/गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के 100 से भी अधिक अधिकारियों को ऊर्जा दक्षता निधीयन पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। बीईई ने "भारत में निधीयत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का सफलता वृतांत" पर एक लघु–पुस्तिका तथा "भारत में ऊर्जा दक्षता निधीयन की प्रशिक्षण नियमावली" का विमोचन किया है। इस लघु–पुस्तिका में सिडबी द्वारा निधीयत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं की सफलता के 50 वृतांत तथों पूरे देश के ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने वाले 20 औद्योगिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं। प्रशिक्षण नियमावली में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं और उनकी विशेषताओं को समझने के लिए अपेक्षित सभी प्रशिक्षण मॉड्युल्स/प्रस्तुतियां शामिल हैं और इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के तकनीकी/वित्तीय मूल्यांकन में सहायता देना है।

ऊर्जा दक्षता निधीयन मंच के अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता निधीयन के लिए उपलब्ध वित्तीय प्रलेखों हेतु जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है और वर्ष 2016 में पीआरजीएफईई तथा वीसीएफईई के लिए बाजार मूल्यांकन किया गया, जिसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई है।

(iv) ऊर्जा–दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी)

ऊर्जा दक्ष आर्थिक विकास ढांचा (एफईईईडी), ऊर्जा दक्षता निधीयन को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वित्तीय प्रलेख के विकास पर बल देता है। इस सम्बन्ध में दो कार्यक्रम अर्थात् ऊर्जा दक्षता आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई) तथा ऊर्जा दक्षता उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफईई) आरम्भ किए गए।

क) ऊर्जा दक्षता आंशिक जोखिम गारंटी निधि (पीआरजीएफईई)

एनएमईईई के अधीन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के निधीयन में ऋण सम्बन्धी मुद्दों के समाधान के लिए

पीआरजीएफईई की स्थापना की है। पीआरजीएफईई ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए भागीदार वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) द्वारा ऋण प्रदान करने में समाहित आंशिक कवरेज सहित एक जोखिम भागीदारी वाली क्रिया–विधि है। यह गारंटी 10 करोड़ प्रति परियोजना अथवा ऋण राशि का 50%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। पीआरजीएफईई ने सरकारी भवनों, निजी भवनों (वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिला आवासीय भवन), नगरपालिकाओं, लघु व मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान की है। यह गारंटी ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए ईएससीओ को ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को दी गई है।

पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन/क्रियाकलापों की स्थिति

i. पीआरजीएफईई के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय ने पीआरजीएफईई के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए एक समिति का गठन किया है।
ii. बीईई ने, जुलाई, 2015 में पीआरजीएफईई के प्रचालन के लिए आरईसीपीडीसीएल– आरईसी–ईईएसएल संकाय को कार्यान्वयनकर्ता अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है।
iii. पीआरजीएफईई के लिए प्रचालन मैनुअल का अनुमोदन पहले ही हो चुका है।
iv. पीआरजीएफईई नियम, मई 2016 में अधिसूचित किए जा चुके हैं।
v. अभी तक पीआरजीएफईई के अन्तर्गत चार वित्तीय संस्थाओं– आन्ध्रा बैंक, यस बैंक, टाटा क्लीनटैक कैपिटल लि0 और आईडीएफसी को पैनल में रखा गया है।

ख) ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई)

ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में इक्विटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऊर्जा दक्षता जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफईई) निधि बनाई गई। ऊर्जा दक्षता के लिए उद्यम पूंजी निधि एक ऐसी निधि है, जो ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए इक्विटी पूंजी प्रदान करती हैं। यह निधि विशिष्ट ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को अन्तिम सीमा तक इक्विटी सहायता प्रदान करती है, जो विशेष प्रयोजन माध्यम से अपेक्षित कुल इक्विटी के 15% अथवा 2 करोड़ रूपये, जो भी कम हो, तक सीमित है। यह सहायता केवल सरकारी भवनों, निजी भवनों (वाणिज्यिक अथवा बहुमंजिला आवासीय भवनों) और नगरपालिकाओं के लिए उपलब्ध है।

वीसीएफईई के कार्यान्वयन की स्थिति

i. वीसीएफईई का गठन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अनुसार किया गया। न्यास विलेख उप. रजिस्ट्रार, दिल्ली सरकार के न्यायाधिकार में पंजीकृत है।
ii. वीसीएफईई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का गठन किया गया।
iii. वीसीएफईई के संचालन के लिए निधि प्रबंधक निर्धारित कर लिया गया।
iv. सरकार द्वारा 31 मार्च, 2017 को वीसीएफईई नियमावली अधिसूचित की गई।

ग) वित्तीय प्रोत्साहन

भारत में ऊर्जा दक्षता के संवर्धन के लिए करों में छूट जैसे वित्तीय प्रोत्साहन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए बीईई बजट में कर छूट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अभी तक बीईई द्वारा अनुमोदित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:

i. कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसैंट लैम्प (सीएफएल) के निर्माण में प्रयुक्त ट्राईबैंड फॉस्फोर को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट भी दी जा रही है।
ii. एलईडी लैम्प के निर्माण के लिए अपेक्षित एलईडी को भी विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दी जा रही है।
iii. एलईडी पर उत्पाद शुल्क को 10% से घटाकर 6% कर दिया गया है।
iv. वर्ष 2015–16 में, एलईडी चालकों और एलईडी लाइटों, जुड़नारों और एलईडी लैम्पों के एमसीपीसीबी के निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क को 12% से घटाकर 6% कर दिया गया है।
v. एलईडी चालकों और एलईडी लाइटों, जुड़नारों और एलईडी लैम्पों के एमसीपीसीबी के उत्पादन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क को 4% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

1.5.2 ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) एवं मौजूदा भवनों में ऊर्जा दक्षता

ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी)

भारत सरकार द्वारा 27 मई, 2007 को नए वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) विकसित किया गया था। ईसीबीसी 100 किलोवाट के संयोजित भार या 120 केवीए और इससे अधिक की अनुबंध मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है। जहां केंद्र सरकार को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं, वहीं राज्य सरकारों को स्थानीय या क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कोड को संशोधित करने और उसे अधिसूचित करने की छूट प्राप्त है। वर्तमान में, कोड कार्यान्वयन के स्वैच्छिक चरण में है।

ईसीबीसी देश के जलवायु क्षेत्रों, जहां भवन स्थित है, को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा निष्पादन के मानदंडों को परिभाषित करता है। भवन के वे प्रमुख घटक, जिनका कोड में उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

- आवरण (दीवारें, छतें, खिड़कियां)
- प्रकाश व्यवस्था
- एचवीएसी प्रणाली
- वाटर हीटिंग और पम्पिंग प्रणाली
- इलैक्ट्रिकल विद्युत प्रणाली

यद्यपि ईसीबीसी का विकास ब्यूरो द्वारा किया गया है, इसके कार्यान्वयन का कार्य राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उनके राज्यों में अधिसूचना के माध्यम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना राज्यों और पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र ने कोड को अधिसूचित किया है जबकि कई अन्य राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार ईसीबीसी को में संशोधन करने का काम कर रहे हैं।

ईसीबीसी पर अद्यतन स्थिति

12वीं योजना के दौरान क्रियाकलापों के माध्यम से मौजूदा वाणिज्यिक भवनों निर्मित वातावरण तथा ऊर्जा दक्षता सुधारमें ईसीबीसी के कार्यान्वयन पर व्यापक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- प्रौद्योगिक उन्नति, ऊर्जा मांग, आपूर्ति परिदृश्य के में बाजार परिवर्तन की दृष्टि से ईसीबीसी को अद्यतित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस प्रयोजन के लिए तकनीकी समितियां तथा कार्य समूह गठित किए गए। देश भर में क्षेत्रीय पणधारियों के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- उत्तर प्रदेश, छतीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों में ईसीबीसी सैल स्थापित किए गए हैं तथा महाराष्ट्र, ओडिशा, मध्यप्रदेश तथा बिहार राज्यों में ईसीबीसी सैल स्थापित किए जा रहे हैं।
- विभिन्न जलवायु जोनों में भवनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न ईसीबीसी निदर्शन परियोजनाओं को तकनीकी सहायता प्रदान की गई।
- आंध्र प्रदेश केरल, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, बिहार और छतीसगढ़ राज्यों में 13 ईसीबीसी गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम और आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए 18 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय स्थायी आवास पैरामीटरों के अनुसार वाणिज्यिक भवनों/परिसरों के लिए ईसीबीसी के अनुसार

न्यूनतम ऊर्जा मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए आदर्श भवन उपविधियां बनाई गई और इन्हें भाहरी विकास मंत्रालय द्वारा मौजूदा सरकारी आदेशों में शामिल करने के लिए परिचालित किया गया।

- राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी), 2005, जो एक व्यापक भवन निर्माण कोड है, देश भर में भवन निर्माण क्रियाकलापों का विनियमन करने के लिए दिशानिर्देश देने वाला एक राष्ट्रीय प्रलेख है। राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड (एनबीसी) 2005 में, "सततता की ओर पहुँच" नामक एक नया अध्याय जोड़ते हुए ईसीबीसी को इसमें शामिल करके इसके परिशिष्ट को अन्तिम रूप दिया गया है, जिससे ईसीबीसी के दायरे को व्यापक बनाया गया।
- वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता की उन्नत श्रेणियों को कार्यान्वित करने के दिशा निर्देशों को विकसित किया गया।
- बीईई और जीबीसीआई (हरित भवन निर्माण प्रमाणन इंक) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, दोनों पक्षों की संयुक्त रूप से भवन निर्माण ऊर्जा आंकड़ों को शेयर करने, प्रत्येयित एलईईडी व्यवसायिकों और ईसीबीसी विशेषज्ञों के कौशल उन्नयन करने पर सहमति हुई, जिससे ईसीबीसी के समकक्ष होने के लिए ईडीजीई जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हुए बृहत्तर भवन निर्माण ऊर्जा दक्षता का वैधीकरण किया जा सकता है।
- विभिन्न श्रेणियों के भवनों के लिए ऊर्जा निष्पादन बैंचमार्क स्थापित करने के लिए 22 जनवरी 2016 का "वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा बैंचमार्क" जारी किए गए।
- ईसीबीसी व्यवसायिकों को प्रशिक्षण देने तथा क्षमता निर्माण की स्कीम के अंतर्गत एमएनआईटी जयपुर, सीईपीटी अहमदाबाद तथा आईआईआईटी हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके अब तक 89 मास्टर प्रशिक्षुओं की पहचान की गई है। ये मास्टर प्रशिक्षु राज्यों की आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकार/यूएलबी के कोड अनुपालन अधिकारी वास्तुशिल्प/अभिकल्पन व्यवसायियों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आवासीय भवनों की अद्यतन स्थिति

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने, अप्रतिरोधी अभिकल्पन लक्षणों को शामिल करने के लिए "सम्मिश्र और ऊष्ण–शुष्क जलवायु क्षेत्रों केलिए ऊर्जा–दक्ष बहुमंजिला आवासीय भवनों के डिजाइन दिशानिर्देश" तैयार किए हैं। पहले भी घरों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों और उपस्करों की लेबलिंग के माध्यम से ऊर्जा दक्ष आवासीय क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था परन्तु अप्रतिरोधी अभिकल्पन लक्षणों पर विचार नहीं किया गया था।

मौजूदा भवनों की अद्यतन स्थिति

ऊर्जा सेवा कम्पनियां कारोबार मॉडल उपलब्ध कराती हैं जिनके माध्यम से मौजूदा भवनों में ऊर्जा बचत संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है और भवन मालिकों के समक्ष आ रहे जोखिमों को दूर किया जा सकता है। प्रत्याशी अभिकरणों जिनके एस्को की सेवाएं लिए जाने की सम्भावना है, तथा वित्तीय संस्थानों के बीच विश्वसनीयता की भावना जगााने के लिए रेंटिंग की प्रक्रिया के द्वारा प्रत्यायनका कार्य करता है। कार्य–निष्पादन अनुबन्ध पर आधारित ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सफलता, तकनीकी मानव भाक्ति की उपलब्धता, वित्तीय शक्ति आदि के अनुसार आवेदकों की रेटिंग की जाती है। रेटिंग का कार्य सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों जैसे क्रिसिल, केयर और इकरा द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ 139 ऊर्जा सेवा कंपनियां सूचीबद्ध है।

ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए एक बाजार पूल को बढ़ावा देने हेतु ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भवनों के लिए एक स्वैच्छिक स्टार रेटिंग कार्यक्रम तैयार किया है, जो भवनों के किलोवाट आवर/वर्गमीटर/प्रतिवर्ष में अभिव्यक्त क्षेत्रफल पर भवन में प्रयुक्त ऊर्जा के रूप में भवन के वास्तविक निष्पादन पर आधारित है। यह कार्यक्रम 1–5 स्टार पैमाने पर भवनों की रेटिंग करता है, भवन के सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष होने पर 5 स्टार लेबल दिया जाता है। दिन में कार्य करने वाले कार्यालय भवनों, बीपीओ, अस्पतालों और शॉपिंग मॉलों के लिए स्टार लेबल तैयार किए गए हैं। आज की तारीख तक विभिन्न श्रेणियों में कुल 186 वाणिज्यिक भवनों की स्टार रेटिंग की गई है।

1.5.3 मानक और लेबलिंग स्कीम

मानक और लेबलिंग स्कीम (एसएण्डएल) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई अद्वितीय स्कीमों में से एक है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ऊर्जा बचत के विकल्प से अवगत कराना है, जिससे ऊर्जा खपत वाले विभिन्न उपकरणों की संभावित लागत मे बचत होती है। मानक और लेबलिंग स्कीम में 21 उपकरण स्टार लेबलिंग में शामिल हैं जिसमें 8 उत्पादों को अनिवार्य बनाया है और शेष 13 उपकरण स्वैच्छिक स्कीम के अंतर्गत आते हैं।

एस एडं एल स्कीम के मुख्य लाभ

i. सुव्यवस्थित उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों को उपकरण खरीदते समय सही निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

ii. अदक्ष ऊर्जा उपकरणों के बदले ऊर्जा दक्ष उपकरणों के लिए बाजार रूपांतरण का सृजन।

बीईई ने निरन्तर प्रयास करते हुए 12वीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं:

(i) 22990 मेगावाट की क्षमता का सृजन नहीं करना पड़ा

(ii) निम्नलिखित तीन उपकरणों का स्वैच्छिक क्षेत्र से आदेशात्मक क्षेत्र में परिवर्तनः

क. प्रत्यक्ष रूप से ठंडा करने वाला रेफ्रिजरेटर

ख. रंगीन टेलिविजन

ग. पानी स्टोर करने वाला इलैक्ट्रिक वाटर हीटर

(iii) बाजार में और अधिक ऊर्जा दक्ष उपकरण लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से ठंडा करने वाला रेफ्रिजरेटरों, रंगीन टेलिविजनों, कमरे में लगने वाले एयर कंडिशनरों, वितरण ट्रांसफॉरमरों और पानी स्टोर करने वाले इलैक्ट्रिक वाटर हीटरों के लिए ऊर्जा खपत मानकों में संशोधन किया गया।

जागरूकता कार्यक्रमः बीईई ने मीडिया (डिजिटल, प्रिन्ट और टेलिविजन) के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच एस एण्ड एल कार्यक्रम के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। इसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल हैं:

(i) नए एयरकंडिशनरो, फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटरों, बीईई स्टार लेबल वाले एलपीजी स्टोवों के लिए स्टार लेबलों में परिवर्तन के बारे में विज्ञापन और बिजली बचाओ, देश बचाओ जैसे विज्ञापनों का जारी करना।

(ii) मानक और लेबलिंग पर एकमात्र रूप से ''राष्ट्रीय रिटेलिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनआरटीपी)'' नामक रिटेल सेल्समेन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आरंभ किया, जिसके अन्तर्गत एक ही अवधि में कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिसके द्वारा रिटेलरों को मानक और लेबलिंग कार्यक्रम से उपभोक्ताओं को होने वाले फायदों की जानकारी दी गई।

1.5.4 नगर पालिकाओं में मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम

बढ़ते हुए शहरीकरण के वैश्विक रुझान से स्ट्रीट लाइटों, जल पंपिंग, ठोस अवशेष प्रबन्धन, सीवेज ट्रीटमेंट और निपटान जैसी

सेवाएं प्रदान करने वाले नगरपालिका क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) से ऊर्जा मांग में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिनमें सामान्यतः अदक्ष रूप से बिजली के बहुत बड़े हिस्से की खपत होती हैं। कभी कभी ऊर्जा लागत नगर पालिका के बजट से 50% अधिक हो जाती है परन्तु दक्षता उपायों से इसे 25% तक कम किया जा सकता है। इस समय भारत की लगभग 30% जनसंख्या शहरों में रहती है और और ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शहरों में हो रहे पलायन से शहरी/स्थानीय निकायों पर अतिरिक्त बोझपड़ रहा है। मांग पक्ष प्रबन्धन प्रयास उन मुख्य उपायों में से एक है, जिससे ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जा सकता है और नगर पालिका क्षेत्र की बढ़ती हुई ऊर्जा लागत को कम किया जा सकता है।

नगर पालिका की ऊर्जा खपत की विशेषता यह है कि इसमें अक्सर परिवर्तन होते रहते हैं और पानी का पम्प चलाने के कारण प्रातःकाल में और स्ट्रीट लाइटें जलने के कारण सांयकाल में पावर लोड बढ़ जाता है। ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के सीमित प्रसारण और मांग पक्ष प्रबन्धन (डीएसएम) के प्रयासों के कारण बिजली के अदक्ष इस्तेमाल से नगर पालिकाओं द्वारा इस्तेमाल की गई ऊर्जा में पर्याप्त वृद्धि हुई है।वहनीय बिजली और ऊर्जा की आवश्यकता और इसकी कमी के कारण नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयूडीएसएम) कार्यक्रम को महत्त्वपूर्ण बना दिया है क्योंकि इससे यूएलबी की समग्र ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जा सकता है, जिससे बिजली की खपत में काफी बचत हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप यूएलबी के लिए लागत में कटौती/बचत हो सकती है।

नगर पालिका क्षेत्र में ऊर्जा बचत की भारी सम्भावना की पहचानते हुए, ऊर्जा निरन्तरता और कार्बन उत्सर्जन में कमी के महत्त्व को समझते हुए, बीईई ने XIवीं योजना के दौरान नगर पालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयूडीएसएम) योजना आरम्भ की। XIवीं योजना अवधि में प्राप्त मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- देश भर में 175 यूएलबी में स्थैतिक सर्वेक्षण किए गए।
- 134 यूएलबी में, निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखापरीक्षा (आईजीईए) कराने के पश्चात् बैंक स्वीकार्य डीपीआर तैयार किए गए, जिससे 134 यूएलबी में ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के माध्यम से क्षमता सृजन से बचने के कारण 120 मेगावाट की समग्र सम्भावित बचत का अनुमान लगाया गया। बीईई द्वारा आगामी कार्रवाई के लिए अनुमोदित डीपीआर की साझा किया गया।
- 143 यूएलबी में तैयार किए गए डीपीआर के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण सैल बनाए गए।
- डीपीआर के अनुसार एक परम्परागत सम्पूर्ण निविदा प्रलेख सभी 134 यूएलबी से साझा किया गया।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयूडीएसएम) वैब पोर्टल विकसित किया गया। इस पोर्टल में इस कार्यक्रम के अधीन विकसित डीपीआर और ज्ञान सामग्री शामिल हैं।
- 105 शहरों में जल निकायों का स्थैतिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया गया, जिसमें 2430 पम्पिंग स्टेशन शामिल किए गए।

XIIवीं योजना के क्रियाकलाप

आज भारत में ऊर्जा दक्षता उद्योग के सामने आ रही सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती मांग पक्ष प्रबन्धन कार्यक्रमों के निधीयन के लिए स्रोतों/विकल्पों की सीमित उपलब्धता है। भारत जैसे विकासशील देश में नगर पालिकाओं में प्रायः डीएसएम प्रयासों के लिए संस्थागत क्षमता, निधियां प्रदान करने और कार्यान्वित करने की विशेषज्ञता की कमी होना है। यूएलबी की खराब वित्तीय स्थिति से उनके द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कार्य को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसके अतिरिक्त अदायगियां प्राप्त करने में एस्को भी आशंकित है। मूलभूत स्तर पर परियोजनाओं का कार्यान्वयन अत्यन्त आवश्यक है, जिससे प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, कार्यान्वयन साझेदारों, वित्तीय संस्थाओं आदि के बीच बाजार रूपान्तरण का सृजन हो सकेगा। अतः XIIवीं योजना के दौरान यूएलबी में निरुपण परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रायोगिक आधार पर किया जाना है । इसके अतिरिक्त, चुनिंदा यूएलबी के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति करते हुए यूएलबी को तकनीकी सहायता दिए जाने पर विचार किया गया है। मोटे तौर पर, XIIवीं योजना के कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- यूएलबी के ऊर्जा संरक्षण सैल की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमता का निर्माण करना।

- कुछेक यूएलबी में चुनिंदा डीपीआर के कार्यान्वयन द्वारा ऊर्जा बचत को मान्यता देना।
- जानकारी के आदान–प्रदान द्वारा कार्यान्वयन को अन्य यूएलबी के लिए दोहराना।
- ऊर्जा दक्षता में बाजार रूपांतरण करने के लिए विभिन्न पणधारियों को भाामिल करना।
- संस्थागत व्यवस्थाओं का सृजन करने के लिए राज्य शहरी विकासों को सरल बनाना जिसके द्वारा परियोजनाएं कार्यान्वित की जा सकें।

छः राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यूएलबी निर्धारित करने और ऊर्जा दक्षता प्रायोगिक के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संचालन समिति का गठन किया गया। इसके बाद प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इन छः राज्यों के सात यूएलबी को 1.226 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो अनुमानित परियोजना लागत का 90% है इन प्रायोगिक परियोजनाओं में गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश), उज्जैन (मध्य प्रदेश), फरीदाबाद, यमुना नगर (हरियाणा) और दुर्ग (छत्तीसगढ़) में एलईडी स्ट्रीट लाइटें; महाराष्ट्र के नागपुर नगरपालिका के कार्यालय भवन में ऊर्जा दक्षता उपकरणों एवं उपस्करों की स्थापना) बिहार में पटना नगरपालिका के पानी की सप्लाई करने वाले पम्पिंग सिस्टम में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजना के तकनीकी सहयोग के रूप में एक तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए प्रत्येक यूएलबी को 5 लाख रुपए भी दिए गए। प्रायोगिक परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः

- उज्जैन में 250 वाट की मौजूदा 1000 स्ट्रीट लाइटों को हटा कर 110 वाट (कुछ मामलों में 90 वाट) की एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। इसके अतिरिक्त, उज्जैन द्वारा स्वतन्त्र रूप से 250 वाट की 10,000 स्ट्रीट लाइटों को 110 वाट (कुछ मामलों में 90 वाट) की एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदला गया।
- दुर्ग मे 150 वाट और 250 वाट की मौजूदा 600 स्ट्रीट लाइटों के बदले 60 वाट और 90 वाट की एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। इसके अतिरिक्त, निकृष्ट पावर गुणवत्ता के समाधान के लिए केबल और अर्थिंक कार्य में निवेश किया गया।
- महाराष्ट्र में नागपुर नगरपालिका के कार्यालय भवन में ऊर्जा दक्षता उपस्करों और उपकरण लगाने की प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित किया गया।
- गाजियाबाद में प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वयन जारी है।

लाइटिंग कार्यक्रम की उपलब्धियां बताने और अन्य यूएलबी द्वारा ऐसे ही उपाय अपनाने को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2016 में ऊर्जा दक्षता लाइटिंग कार्यक्रम पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिल्ली में फरवरी, 2016 में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया।

1.5.5 कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम) योजना

1) ब्यूरो द्वारा अतीत में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता से संबंधित कार्रवाई

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कृषि मंत्रालय के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14%, तथा निर्यातों में लगभग 11% है। लगभग आधी जनसंख्या के आय का प्रधान स्रोत कृषि पर निर्भर है और यह बहुत से उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है। भारत की कुल जल खपत का लगभग 80% इस क्षेत्र में लगता है। पम्प सिंचाई प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, वर्तमान में, 20 मिलियन से अधिक पम्पों में भारत की कुल राष्ट्रीय विद्युत का लगभग 19% खपत होती है।

इस क्षेत्र में 25%–30% की औसत दक्षता श्रेणी वाले अत्यधिक अदक्ष पम्पसेटों का उपयोग किया जाता है, जबकि स्टार श्रेणी के ऊर्जा दक्ष पम्पसेटों का दक्षता स्तर 40% से 45% है। कृषि क्षेत्रों के मांग पक्ष प्रबंधन में ऊर्जा दक्ष पम्प सैटों को बढ़ावा देकर मांग–आपूर्ति के बीच अंतर को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है।

ऊर्जा बचत क्षमता का दोहन करने के लिए, 11वीं योजना में आठ राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के ग्यारह डिस्कॉम में ब्यूरो की एजीडीएसएम योजना आरंभ की गई जो कृषि की दृष्टि से गहन है और इस क्षेत्र में 70% से अधिक बिजली की खपत होती है। इस योजना में लगभग 20,750 पम्पसेट शामिल थे और डीपीआर आधारभूत अनुमान, ऊर्जा बचत क्षमता आकलन, जोखिम न्यूनीकरण उपायों, लागत लाभ विश्लेषण इत्यादि को शामिल करने के लिए बैंक को स्वीकार्य 11 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की गईं हैं। महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से 2209 ऊर्जा दक्ष सक्षम स्टार रेटेड पम्प सैटों को सफलतापूर्वक बदला गया। शेष का प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

2) 12वीं पंचवर्षीय योजना की गतिविधियां

XIIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, निम्नलिखित हस्तक्षेपों द्वारा योजना में सतत ऊर्जा दक्षता को तेजी से बढ़ाने की प्रक्रिया बनाने का लक्ष्य है :

- नए कनेक्शनों के लिए बीईई स्टार लेबलयुक्त पम्प सैटों का उपयोग अनिवार्य करने के लिए विनियामक क्रियाविधि।
- डीपीआर का कार्यान्वयन सरल बनाना और अनुवर्तन तथा सत्यापन प्रोटोकोल स्थापित करना।
- सभी पणधारियों को तकनीकी सहायता देना और उनकी क्षमता का विकास करना।
- ग्रामीण जन स्वास्थ्य और पेयजल प्रणालियों में पंपिंग दक्षता।

3) क्रियाकलापों की वर्तमान स्थिति

i) हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ओडिशा और केरल राज्यों ने स्टार रेटिड ईईपीएस के उपयोग के लिए राज्यव्यापी अधिसूचना जारी की है, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात स्टार रेटिड ईईपीएस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली/प्रोत्साहन दे रहे हैं।

ii) मौजूदा पम्पों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में एजीडीएसएम प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य आरम्भ किया गया है।

iii) कृषि मंत्रालय के सहयोग से महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया और देशभर में बड़े पैमाने पर जागरूकता सत्र चलाने की योजना है।

iv) ग्रामीण पेय जल पम्पिंग प्रणलियों में ऊर्जा दक्षता उन्नयन के लिए निदर्शन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 10 राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) ने अपनी अभिरुचि से अवगत कराया है। इस संघटक के अधीन मुख्य क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- महाराष्ट्र में परियोजना कार्यान्वयन के लिए चुने गए चार स्थलों का व्यहार्यता अध्ययन किया गया और एक स्थल, मालपाथर पर निदर्शन परियोजना का कार्यान्वयन किया गया।
- पंजाब में आनन्दपुर साहिब के पास चार परियोजनाओं के लिए व्यहार्यता रिपोर्टें तैयार की गईं। इन रिपोर्टों का अनुमोदन बीईई और कार्यान्वयन एजेंसी (जल आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग) द्वारा किया गया।
- कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और झारखंड में व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1.5.6 लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई)

पृष्ठभूमिः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश भर मे लाखों लोगों का स्व–रोजगार प्रदान करने के मुख्य सामाजिक उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण है। एमएसएमई क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन, निर्यात और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में महत्त्वपूर्ण रूप से अंशदान करता है।

देश भर में फैले एमएसएम इकाइयां ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए ऊर्जा संरक्षण के रूपान्तरण के लिए बहुत से अवसरों की पेशकश करते हैं। ये अधिकांशतः क्लस्टर के रूप में स्थित हैं और क्लस्टर का आकार 50 से लेकर कुछ हजार तक होता है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार भारत में प्रचालन करने वाली लगभग 36 मिलियन एमएसएमई हैं, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद की संख्या में मुख्य रूप से योगदान देते हैं और लगभग 80 मिलियन लोगों को रोजगार देते हैं। बहुत से एमएसएमई ऊर्जा गहन हैं जहां ऊर्जा लागत उत्पादन लागत का मुख्य हिस्सा है।

ऊर्जा बचत संभावनाओं और ऊर्जा बचत क्षेत्र से उत्पादन लागत में पर्याप्त बचत होने के बावजूद भी एमएसएमई जागरूकता के अभाव और सूचना विषमता के कारण इस अवसर का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, बहुत अधिक प्रारम्भिक लागत और अनुकूल वित्तीय प्रणाली के अभाव ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी में रूपान्तरण नहीं कर पाते हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के पांच एसएमई क्लस्टरों ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम का नाम ''एसएमई ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम'' है, जो भारत के पांच चुनिंदा क्लस्टरों में एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग से बीईई द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इन क्लस्टरों में लुधियाना (फोर्जिंग), पंजाब, पाली (कपड़ा), राजस्थान; कोच्चि (सी फूड), केरल; इन्दौर (फूड), मध्य प्रदेश और वाराणसी (ब्रिक), उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

लक्ष्यः

12वीं योजना में निम्नलिखित चार मुख्य उद्देश्यों पर ध्यान दिया गया हैः

i. प्रौद्योगिकी अवरोधों को दूर करने के लिए ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का डीपीआर बनाना और प्रदर्शित करना।

ii. क्लस्टरों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों और कार्य–विधियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सेवा प्रदाताओं को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण।

iii. एमएसएमई क्षेत्र के लिए अनुवर्तन और सत्यापन मार्गनिर्देश तैयार करना।

iv. विभिन्न ऊर्जा दक्ष उपायों और कार्य–विधियों के प्रसार के लिए जानकारी साझा करने के लिए एक मंच का विकास करना।

क्रियाकलापों की स्थितिः

1. चुनिंदा पांच क्लस्टरों में क्लस्टर संघों, इकाइयों, एमएसएमई, अनुसंधान एवं तकनीकी संस्थाओं और स्थानीय सेवा प्रदाताओं के स्टेकहोल्डरों की प्रारम्भिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
2. लुधियाना, वाराणसी, इन्दौर, कोच्चि और पाली की चुनिंदा इकाइयों में आधारभूत दक्षता लेखा परीक्षा (बीईए) का कार्य पूरा किया गया और कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों का निर्धारण किया गया।
3. ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों पर इकाई के मालिकों के बीच जागरूकता पैदा की गई।
4. 100 एमएस उद्यमों में से 63 उद्यम ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन के लिए सहमत हो गईं।
5. विभिन्न ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति करने और सेवाएं प्रदान करने के लिए 70 स्थानीय सेवा प्रदाताओं की पहचान कर ली गई।
6. लुधियाना की 15 इकाइयों में फोर्जिंग क्लस्टर, इन्दौर और वाराणसी में फूड क्लस्टर और ब्रिक उत्पादन क्लस्टरों के कार्यान्वयन के बाद लेखा परीक्षा का कार्य पूरा किया गया।
7. पंजाब के विभिन्न फोर्जिंग क्लस्टरों अर्थात् मोगा, फगवाड़ा, जालंधर और लुधियाना में लेखा परीक्षा के बाद 5 जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

1.5.7 वितरण कम्पनियों का क्षमता निर्माण

पृष्ठभूमि :

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने वितरण कम्पनियों (डिस्काम्स) की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। यह बीईई के अन्य कार्यक्रमों, जैसे कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन, नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन, एसएमई (लघु और मध्यम उद्यम) उद्योग और मानक तथा लेबलिंग कार्यक्रम के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है। यह कार्यक्रम इन क्रियाकलापों को मांग पक्ष प्रबन्धन (डीएसएम) के लिए डिस्काम द्वारा संचालित क्रियाकलापों के साथ जोड़ने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम डिस्काम के क्षमता निर्माण तथा उनके संबंधित राज्यों में डीएसएम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्य प्रणालियों के विकास में भी सहायता करेगा।

परियोजना की समग्र कार्य प्रणाली

इस कार्यक्रम का उद्देश्य भार प्रबन्धन कार्यक्रम चलाना, डीएसएम कार्य योजना का विकास करना और उनसे संबंधित क्षेत्रों में डीएसएम क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना है। अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप आरम्भ किए जा चुके हैं:

i) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 34 डिस्काम लाभार्थियों को डिस्कॉम के रूप में प्रतिभागिता करने के लिए चुना गया।

ii) बीईई और चुनिंदा डिस्कॉम के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें डिस्कॉम के लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है।

iii) 34 डिस्कॉम द्वारा डीएसएम सैल स्थापित किए गए हैं।

iv) 18 राज्यों में 27 डिस्कॉम के लिए डीएसएम विनियम अधिसूचित किए गए हैं।

v) डीएसएम से संबंधित क्रियाकलापों को सरल बनाने और डिस्कॉम को सहायता देने के लिए प्रत्येक डिस्कॉम को मानवभाक्ति सहायता प्रदान की गई है।

vi) 34 डिस्कॉम के लिए भार सर्वेक्षण और डीएसएम कार्य योजना का विकास कार्य आरम्भ किया गया है। 30 डिस्कॉम के लिए भार सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और 18 डिस्कॉम्स के लिए डीएसएम योजना का अनुमोदन हो गया है।

vii) बीईई द्वारा डीएसएम और ऊर्जा दक्षता पर मास्टर प्रशिक्षणदाता तैयार करने के लिए डिस्कॉम्स के अधिकारियों के लिए

प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण सस्थान को नियुक्त किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 32 डिस्कॉम के 504 अधिकारियों को प्रशिक्षणदाता क्रियाकलाप के अन्तर्गत मास्टर प्रशिक्षणदाता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। 34 डिस्कॉम्स के लगभग 5000 सर्किल स्तर के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर काम चल रहा है।

1.5.8 राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) की संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 15(घ) के द्वारा यथापेक्षित राज्य सरकार के मौजूदा संगठनों में से एक को अभिहित करते हुए 35 राज्यों में से राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) की स्थापना की गई। ऊर्जा दक्षता उपायों के कार्यान्वयन और राज्यों की ऊर्जा गहनता में कमी लाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने XIIवीं योजना के दौरान, संस्थागत सामर्थ्य और क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए इन राज्य अभिहित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का अनुमोदन किया है। निम्नलिखित संघटकों के अन्तर्गत कार्य करने के लिए 205.31 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की गई:

- संस्थागत सामर्थ्य और क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए इन राज्य अभिहित एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) को अंशदान देना।
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास करना।

XIIवीं योजना के दौरान, निम्नलिखित संघटकों के कार्यान्वयन के लिए 35 एसडीए को 91.36 करोड़ रुपए की राशि का संवितरण किया गया, जैसे

- सर्वोत्तम ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों प्रभावोत्पादकता दर्शाने के लिए निदर्शन परियोजनाएं;
- एलईडी गांव अभियान
- राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में प्रवर्तन मशीनरी का संस्थानीकरण;
- राज्यों में ऊर्जा दक्षता मानदण्डों का आसानी से समन्वय करने, नियन्त्रण करने और लागू करने के लिए मानव शक्ति सहायता;
- कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जानकारी का प्रसार;
- राज्यों में ऊर्जा दक्षता का प्रचार और जागरूकता फैलाना;
- ऊर्जा दक्षता पर विकसित किए गए इंटरनेट प्लेटफार्म और अन्य डेटा बेस का रखरखाव और उनकां अद्यतन करना;
- राज्यों में किए गए ऊर्जा संरक्षण औरऊर्जा दक्षता क्रियाकलापों का प्रभाव का निर्धारण और विश्लेषण।

XIIवीं योजना की उपलब्धियां

XIIवीं योजना के दौरान, राज्य की अभिहित एजेंसियों (एसडीए) ने ऊर्जा दक्षता अधिनियम, 2001 के शासनादेश के अनुसार ऊर्जा प्रबन्धकों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों और अभिहित ग्राहकों को उनकी भूमिका के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से उनके लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे क्षमता निर्माण क्रियाकलाप किए। राज्य की अभिहित एजेंसियों द्वारा अपने अपने राज्यों में मीडिया और जागरूकता अभियान चलाए गए। इलैक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान में बैनरों और लघु–पुस्तिकाओं के माध्यम से इन्हें बढ़ावा देने पर बल दिया गया। अधिकांश एसडीए ने ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया और उन लोगों की सराहना की गई, जिन्होंने राज्य में ऊर्जा दक्षता के काम को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, योजना के अधीन पूरे किए गए कुछ सफल कार्य निम्नानुसार हैं:

- एसडीए द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग और जल पम्पिंग सिस्टम के क्षेत्र में 20 निदर्शन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- 16 राज्यों में एलईडी गांव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- पैट चक्र–I के दौरान अभिहित उपभोक्ताओं को सौंपे गए ऊर्जा कटौती लक्ष्यों के अनुवर्तन और सत्यापन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया और लक्ष्य से अधिक निष्पादन करने वालों को ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- सभी एसडीए ने राज्य में किए गए ऊर्जा दक्षता प्रयासों को मुख्य रूप से दर्शाते हुए अपनी वेबसाइटें बनाई। सूचना का आसानी से आदान प्रदान करने के लिए इन वेबसाइटों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और अन्य एसडीए के साथ जोड़ा गया।

1.5.9 राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान

पृष्ठभूमि

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 16(1) के अनुसार राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को राज्य के अंदर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण को बढ़ावा देने के प्रयोजन हेतु एक कोष का गठन करना अपेक्षित होगा, जिसे एसईसीएफ कहा जाएगा। इस संदर्भ में, एक स्कीम, जिसका नाम **"राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) में अंशदान"** है, को XII वीं योजना के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा 50 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय सहित अनुमोदित किया गया।

उद्देश्य

एसईसीएफ को, बाजार रूपांतरण के द्वारा ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा दक्षता परियोजनाएं चलाने के लिए एसईसीएफ के अंतर्गत वितरित की गई निधि का अधिकांश हिस्सा गतिशील निवेश निधि (आरआईएफ) के रूप में अलग से रखा जाना है। आरआईएफ का उपयोग केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार सहित सरकारी भवनों, केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रमों, ऊर्जा दक्षता स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाओं और सार्वजनिक पेय जल पम्पिंग स्टेशनों की ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं आदि के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों को अधिकतम 4 करोड़ रुपए की राशि का अंशदान देती है, जो 2 करोड़ रुपए की दो किश्तो में दी जाती है। एसईसीएफ को अंशदान की दूसरी किश्त तभी दी जाती है जब राज्य बीईई की पहली किश्त के अंशदान के बराबर राशि प्रदान करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यो की राज्य सरकारों द्वारा 2 करोड़ रुपए के अंशदान के बराबर राशि देने की बजाय 25 लाख रुपए की राशि खर्च करने की छूट दी गई है।

स्थिति

अभी तक एसईसीएफ के गठन के लिए 27 राज्य सरकारों को प्रत्येक 2 करोड़ रुपए की निधि का संवितरण किया जा चुका है, जिसमें से XIIवीं योजना के दौरान 14 राज्यों को निधि का संवितरण किया गया। 20 राज्य सरकारों ने सम्बन्धित एसडीए में इसके अनुरूप अंशदान प्रदान किए।

1.5.10 विविध

ऊर्जा संरक्षण सूचना संग्रहण पद्धति

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने ऊर्जा खपत और उत्पादन के बारे में विभिन्न सूचनाएं तथा इससे सम्बन्धित अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए पैटनेट पोर्टल नामक एक ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित किया है। इसमें भामिल अभिहित उपभोक्ता और बीईई, विद्युत मंत्रालय, राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) के अधिकारियों का सूचना के संचयन, अनुवर्तन और मूल्यांकन के लिए इस मंच तक पहुंच बनाने की सुविधा प्रदान की गई।

ऊर्जा प्रबन्धनों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा :

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अनुसार सभी अभिहित ऊर्जा उपभोक्ताओं के लिए किसी मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक से ऊर्जा लेखा परीक्षा कराना और ऊर्जा प्रबन्धक को अभिहित या नियुक्त करना अनिवार्य है।

बीईई ने ऊर्जा प्रबन्धन, परियोजना प्रबन्धन, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण और कार्यान्वयन एवं नीति विश्लेषण के कार्य के लिए अर्हता प्राप्त व्यावसायिक ऊर्जा प्रबन्धक और लेखा परीक्षकों का एक संवर्ग बनाने की चुनौती स्वीकार की है। बीईई द्वारा मई, 2004 से ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा का नियमित रूप से आयोजन किया है।

इस समय देश में 17428 प्रमाणित ऊर्जा प्रबन्धक हैं, जिनमें 2004–2016 के दौरान ली गई 17 परीक्षाओं से 9220 प्रबन्धक प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षक के रूप में उत्तीर्ण हुए। राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के माध्यम से ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखापरीक्षकों की क्षमता निर्माण से आगे चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा और इससे ऊर्जा गहनता में भी कमी आएगी।

i) प्रमाणित ऊर्जा लेखापरीक्षकों की मान्यता

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001में केन्द्र सरकार द्वारा ऊर्जा गहन औद्योगिक इकाइयों को तथा अन्य संगठनों को "अभिहित उपभोक्ताओं" के रूप में अभिहित करने की शक्तियों का प्रावधान है, जो अन्य बातों के साथ–साथ मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकों से आवधिक रूप से ऊर्जा लेखा परीक्षा करवाती है। यह अधिनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को इस प्रयोजन के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षकों को मान्यता देने का शासनादेश देता है।

मान्यता प्रदाता सलाहकारी समिति द्वारा प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षकों का मूल्यांकन किया जाता है और उनके नाम की सिफारिश की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष बीईई के महानिदेशक होते हैं और इसके सदस्य केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कोयला मंत्रालय से चुने जाते हैं और सिफारिश किए गए नामों का अनुमोदन ब्यूरो की प्रबन्धन सलाहकारी समिति द्वारा किया जाता है।

इस समय देश में लगभग 220 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक हैं।

ii) पैट के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक फर्मों का पैनल बनाना

सभी अभिहित उपभोक्ताओं (डीसी) द्वारा पैनल में रखे गए मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षकों से अनुवर्तन और सत्यापन करवाना अनिवार्य है। इस समय पैनल में रखी गई 52 मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखापरीक्षक फर्में हैं, जो सत्यापन और परीक्षण सत्यापन का कार्य कर रही हैं, जिसमें निष्पादन, प्राप्ति और व्यापार (पैट) के अन्तर्गत ऊर्जा खपत मानदण्डों और मानकों के अनुपालन के सम्बन्ध में अनुवर्तन और सत्यापन करना तथा ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र या उनकी खरीद करना शामिल है।

जागरूकता और पहुंच

जागरूकता अभियान का उद्देश्य ऊर्जा बचाने की आदत डालने की प्रभावकारिता ओर विशिष्टता के बारे में जनसाधारण के बीच जागरूकता पैदा करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नीति के अनुसार, डीएवीपी और एनएफडीसी के द्वारा इलैक्ट्रॉनिक, आऊटडोर तथा प्रिन्ट के माध्यम से मीडिया अभियान चलाया। दूरदर्शन, टीवी चैनलों पर ऑडियो/वीडियो एम स्टेशनों द्वारा ''बटन दबाओ, बिजली बचाओ'' का प्रसारण किया गया और पूरे देश के रेलवे स्टेशनों, रेलगाड़ियों और बसों पर एलईडी/एलसीडी स्क्रीन लगाए गए। हिन्दी व स्थानीय भाषाओं में ऊर्जा बचाने के लिए विज्ञापन जारी किए गए। प्रिन्ट मीडिया में लेबलिंग और मानक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्षता पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए। एआईआर एफएम गोल्ड तथा रेनबो स्टेशनों पर बीस भाषाओं में ''बचत के सितारे, दोस्त हमारे'' नामक 15 मिनट का रेडियो कार्यक्रम भी प्रसारित किया गया।

प्रदर्शनियां : बीईई ने विद्युत मंत्रालय के पैविलियन के अन्तर्गत 14 से 27 नवम्बर, 2016 के दौरान, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। बीईई की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां दर्शाने के लिए स्टाल स्टाल लगाए गए। आगन्तुको को संवर्धनात्मक सामग्री जैसे इश्तिहार/ब्रोचर वितरित किए गए। बीईई ने गांधी नगर, गुजरात में 9 जनवरी, 2017 से 13 जनवरी, 2017 तक वाइब्रेंट गुजरात और ग्रेटर नोएडा में 23 जनवरी, 2017 से 25 जनवरी, 2017 तक इन्टलेक्ट 2017 में भी भागीदारी की।

प्रदर्शनियां : बीईई ने विद्युत मंत्रालय के पैविलियन के अन्तर्गत14 से 27 नवम्बर, 2016 के दौरान, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, भारत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया। बीईई की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां द र्शाने के लिए स्टाल स्टाल लगाए गए।आगन्तुको को संवर्धनात्मक सामग्री जैसे इश्तिहार/ब्रोचर वितरित किए गए। बीईई ने गांधी नगर, गुजरात में 9 जनवरी, 2017 से 13 जनवरी, 2017 तक वाइब्रेंट गुजरात और ग्रेटर नोएडा में 23 जनवरी, 2017 से 25 जनवरी, 2017 तक इन्टलेक्ट 2017 में भी भागीदारी की।

छात्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम/छात्र जागरूकता

विद्युत मंत्रालय, सरकार भारत के 17 मई 2013 के पत्र के अनुसार, 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, पुरस्कार और चित्रकारी प्रतियोगिता पर योजना के लिए भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत यह जागरूकता कार्यक्रम ऊर्जा दक्षता के लिए छात्र क्षमता निर्माण पर जोर देता है। इस कार्यक्रम के तहत जागरूकता के लिए प्रस्तावित गतिविधियों निम्नानुसार है–

- राज्य शिक्षा बोर्ड के स्कूल पाठ्यक्रम में ऊर्जा दक्षता के अध्याय और 6 से 10 वीं मानकों के एनसीईआरटी पुस्तकों का समावेश।
- विद्यालय शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम/पुस्तकों के मॉड्यूल में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण का परिचय।
- प्रशिक्षण, कौशल सुधार, स्टाफ स्टाफ, ऊर्जा पेशेवर और तकनीकी स्टाफ के उन्नयन
- पंप/बॉयलर/ हीटर/चिलर्स/प्रशंसकों आदि जैसे उपयोगिताओं के कुशल उपयोग के लिए ऊर्जा दक्षता पर टिप शीट/फ्लायर्स का विकास।
- स्कूल स्तर पर क्विज कार्यक्रमों और आईटीआई/डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजों में डिबेट कार्यक्रमों जैसी जागरूकता गतिविधियां
- प्रतिकृति/सुदृढ़ीकरण/इको/एनर्जी क्लब्स की वृद्धि

किए गए गतिविधियां:

गतिविधि –1: संबंधित राज्य के कॉलेज पाठ्यक्रम में आईटीआई और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऊर्जा संरक्षण और इसके निगमन के लिए सामग्रियों का विकास:

पाठ्यक्रमों में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर मॉड्यूल को पेश करने के लिए विश्वविद्यालयों/तकनीकी बोर्ड/राज्य बोर्डों को समझाने की आवश्यकता है। इस अवधारणा को पाठ्यक्रम में कुछ चयनित विषयों के मौजूदा पाठ को संशोधित करके पेश किया गया था। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों/ राज्य बोर्डों/ तकनीकी बोर्डों की सक्रिय भागीदारी की मांग की गई। 6वीं से 10वीं मानकों के एनसीईआरटी पुस्तकों के स्कूल पाठ्यक्रम में ऊर्जा क्षमता पर मॉड्यूल का समावेश ब्यूरो द्वारा केंद्रीय स्तर पर किया जा रहा है।

गतिविधि –2: आईटीआई, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज (पॉलिटेक्निक) और इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर, में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर बहस।

छात्र सबसे बड़ा आगामी समूह हैं और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बहुत ही बढ़िया होगी। महाविद्यालय के स्तर पर बहस छात्रों की भागीदारी के कुछ तरीके होंगे। बहस प्रतियोगिताएं तीन स्तरों पर अर्थात् आईटीआई स्तर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर और इंजीनियरिंग कॉलेज स्तर पर आयोजित होने का प्रस्ताव।

गतिविधि – 3: विद्यालयों में ऊर्जा क्लबों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण

इको/ एनर्जी क्लब पहले से ही कुछ स्कूलों में चल रहे हैं। यह सफलता मॉडल पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। स्कूल के छात्रों को आकर्षित करने और विद्यालय के शिक्षकों को ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में प्रेरित करने के लिए, राज्य द्वारा नामित एजेंसियां (एसडीए) के माध्यम से विद्यमान और नव स्थापित पर्यावरण/ ऊर्जा क्लबों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। 121 जिलों को कवर करने वाले 19 राज्यों के स्कूलों में 900 से अधिक ऊर्जा क्लब शुरू किए गए।

गतिविधि – 4: ऊर्जा संरक्षण पर टिप शीट/ ब्रोशर का विकास

उपयोगिता के कुशल संचालन पर ज्ञान बुनियादी मूल सिद्धांतों और पंप, बॉयलर, हीटर, चिल्लर, प्रशंसकों और अन्य उपयोगिताओं जैसे उपयोगिताओं के कुशल उपयोग पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी प्रदान करके आईटीआई और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को घरेलू/ स्थानीय भाषाओं में टिप शीट के माध्यम से प्रसारित किया गया था। टिप शीट्स को ऊर्जा प्रबंधन केंद्र, केरल से संस्थानों, कॉलेजों आदि के वितरण के लिए विकसित किया गया था।

1.6 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता

1.6.1 राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

ऊर्जा बचत संरक्षण पुरस्कार योजना वर्ष 1991 में आरम्भ की गई थी। यह उद्योगों, परिवहनों, संस्थानों, भवनों और उपस्करों द्वारा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में नवोन्मेशी प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता देता है और बचत के प्रति जागरूकता पैदा करता है कि ऊर्जा की बचत करके ऊर्जा संरक्षण द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के भारत के प्रयासों में बहुत अधिक योगदान देता है।

इस पुरस्कार द्वारा ऊर्जा बचत और पर्यावरण की दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाता है। 1999 से 2016 तक पिछले 18 वर्षों की पुरस्कार अवधि के दौरान प्रतिभागी इकाइयों ने सामूहिक रूप से 35317 करोड़ रुपए की बचत की है और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में किए गए निवेश की राशि 18 महीनों में वसूल हो गई। ऊर्जा के हिसाब से, भागीदार इकाइयों के ऊर्जा संरक्षण प्रयासों से 41358 मिलियन किलोवाट की बिजली पावर, 49.74 लाख किलो लीटर तेल, 225. 06 लाख मीट्रिक टन कोयले और 249975 लाख क्यूबिक मीटर गैस की बचत हुई है।

वर्ष 2016 में पुरस्कार, **3 इकाईयों को सर्वोत्तम रेंक का पुरस्कार दिया गया, 43 इकाइयों को प्रथम पुरस्कार, 48 इकाइयों को द्वितीय पुरस्कार और 62 इकाइयों को योग्यता प्रमाणप्रत्र प्रदान किए गए।**

पिछले वर्ष प्रतिभागी इकाइयों ने मिलकर ऊर्जा संरक्षण उपायों केलिए 5112 करोड़ रुपए का निवेश किया जिससे 4867 करोड़ रुपए की आर्थिक बचत हुई और निवेश राशि केवल 13 महीनों में ही वापस मिल गई। इससे यह सिद्ध हुआ कि ऊर्जा संरक्षण ही सबसे कम लागत का विकल्प है। प्रतिभागी इकाइयों ने 7378 मिलियन किलोवाट आवर बिजली ऊर्जा भी बचाई, जो 0.62 की पीएलएफ पर 1352 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन से पैदा होने वाली ऊर्जा के बराबर है। दूसरे शब्दों में, इन प्रतिभागी इकाइयों ने 2015–16 में 1352 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के बराबर पावर सृजन क्षमता की स्थापना में होने वाले खर्च को बचाया है, जो अन्यथा विद्युत मांग को पूरा करने के लिए अन्यथा अपेक्षित हो जाती।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेता–2016

एल्युमीनियम

प्रथम पुरस्कार	:	महान एल्युमीनियम, जिला सिंगरौली, (मध्य प्रदेश)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	वेदांता लिमिटेड, लांजीगढ़, (ओडिशा)

ऑटोमोबाइल विनिर्माण

प्रथम पुरस्कार	:	टाटा मोटर्स लि., धारवाड (कर्नाटक)
द्वितीय पुरस्कार	:	टाटा मोटर्स लि., सीवीबीयू लखनऊ (उ.प्र.)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. बजाज आटो लि., चकन प्लांट, पुणे (महाराष्ट्र) 2. गैबरिल इंडिया लि., गुड़गांव (हरियाणा)

सीमेंट

प्रथम पुरस्कार	:	जेएसडब्ल्यु सीमेंट लि. कुरनूल (आंध्र प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लि. गणेशापहाड़, वाडपैली (तेलगांना)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	ओसीएल इंडिया लि., बंगाल सीमेंट वर्क्स, जिला पश्चिम मिदनापुर, (पश्चिम बंगाल)

सीमेंट
(ग्राइडिंग एण्ड सलैग)

योग्यता प्रमाणपत्र	:	डालमिया सीमेंट ईस्ट लि., बोकारो, (झारखण्ड)

सिरेमिक्स

योग्यता प्रमाणपत्र	:	ओरिएन्ट बैल लि., सिकन्दराबाद (उत्तर प्रदेश)

कैमिकल्स

प्रथम पुरस्कार	:	यूपीएल लि.–यूनिट न. 02, अंकलेश्वर, जिला भडूच (गुजरात)
द्वितीय पुरस्कार	:	आईओएल कैमिकल्स और फार्मास्युटिकल्स लि., बरनाला, (पंजाब)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	यूपीएल लि.–यूनिट न.1, अंकलेश्वर, जिला भडूच (गुजरात)

क्लोर–अल्कली

प्रथम पुरस्कार	:	कैमफेब अल्कलीज लि., कालापेट (पुडुचेरी)
द्वितीय पुरस्कार	:	सिएल कैमिकल कॉम्प्लैक्स, राजपुरा, जिला पटियाला, (पंजाब)

उपभोक्ता वस्तु विनिर्माण

प्रथम पुरस्कार	:	सेमसंग इंडिया इलैक्ट्रॉनिक प्राइवेट लि., नोएडा (उत्तर प्रदेश)

सीपीडब्ल्यूडी भवन

प्रथम पुरस्कार	:	शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद लेन, (नई दिल्ली)
द्वितीय पुरस्कार	:	श्रम शक्ति भवन / ट्रांसपोर्ट भवन, (नई दिल्ली)

डेयरी

प्रथम पुरस्कार	:	हेरिटेज फूड्स लि., हैदराबाद (तेलगांना)
द्वितीय पुरस्कार	:	मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रा. लि., पटपड़गंज (दिल्ली)

ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स

प्रथम पुरस्कार	:	आईपीसीए लेबोरेट्रीज लि., रतलाम (मध्य प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	केडिला हेल्थकेयर लि., बद्दी, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)

बिजली वितरण कम्पनियां (डिस्कॉम्स)

प्रथम पुरस्कार	:	इस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ ए.पी लि., विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	बंगलौर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि. (बीईएससीओएम), बंगलौर, (कर्नाटक)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लि., शिमला (हिमाचल प्रदेश) 2. टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (दिल्ली)

उर्वरक
(यूरिया)

प्रथम पुरस्कार	:	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पानीपत यूनिट (हरियाणा)
द्वितीय पुरस्कार	:	इंडो गोल्फ फर्टिलाइजर्स (आदित्य बिरला नूवो लि. की एक इकाई), अमेठी (उत्तर प्रदेश)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	राष्ट्रीय कैमिकल्स और फर्टिलाइजर्स लि., ट्रॉम्बे यूनिट, चैम्बूर, मुम्बई (महाराष्ट्र)

उर्वरक
(फॉस्फेट)

द्वितीय पुरस्कार	:	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को–ऑपरेटिव लि. (इफको), फूलपुर यूनिट– I (उत्तर प्रदेश)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	फेक्ट उद्योगमंडल कॉम्पलेक्स, एर्नाकुलम (केरल)

खाद्य प्रसंस्करण

द्वितीय पुरस्कार	:	यूनिलीवर इंडिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड–पुणे चाय निर्यात, पुणे (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कन्ज्युमर हेल्थकेयर लि., जिला सोनीपत (हरियाणा)

फाउंड्री

योग्यता प्रमाणपत्र : 1. घटगे पाटिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोल्हापुर, (महाराष्ट्र)
2. श्रीनिवास इंजीनियरिंग ऑटो कम्पोनेन्ट्स प्राइवेट लि., जिला पुणे (महाराष्ट्र)

सामान्य श्रेणी

प्रथम पुरस्कार : झारखंड बिजली वितरण निगम लि. (जेबीवीएनएल), रांची (झारखंड)

द्वितीय पुरस्कार : जयपुर विद्युत निगम लि. (जेवीवीएनएल), जयपुर (राजस्थान)

योग्यता प्रमाणपत्र : 1. सेटलिंग पम्प हाउस, मध्य रेलवे, वाडी (कर्नाटक)
2. एल एण्ड टी एमएचपीएस टर्बाइन जेनरेटर्स प्रा. लि., हजीरा, सूरत (गुजरात)

सामान्य श्रेणी
(पुरस्कार के उपक्षेत्र)

प्रथम पुरस्कार : स्थानीय निकाय महानिदेशालय, स्थानीय स्व–सरकार विभाग, राजस्थान सरकार, (जयपुर)

योग्यता प्रमाणपत्र : 1. हिन्दुस्तान यूनिलीवर लि., सुमेरपुर इकाई, हमीरपुर (उत्तर प्रदेश)
2. रुचि सोया इंडस्ट्रीज लि., हल्दिया (पश्चिम बंगाल)

अस्तपाल
(खपत 10 लाख किलोवाट आवर/वर्ष से अधिक)

प्रथम पुरस्कार : संत परमानंद अस्पताल, सिविल लाईन (नई दिल्ली)

योग्यता प्रमाणपत्र : 1. सेन्ट्रल अस्पताल, नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद (उ0प्र0)
2. फोर्टिस अस्पताल लि., नोएडा (उ0प्र0)

अस्तपाल
(खपत 10 लाख किलोवाट आवर/वर्ष से कम)

प्रथम पुरस्कार : डिविजनल रेलवे अस्पताल, नार्थ इस्टर्न रेलवे, इजतनगर, बरेली (उत्तर प्रदेश)

द्वितीय पुरस्कार : इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री हॉस्पिटल, चैन्नई (तमिलनाडु)

योग्यता प्रमाणपत्र : 1. डॉ. कोटनिस मेमोरियल रेलवे हॉस्पिटल, मध्य रेलवे, सोलापुर (महाराष्ट्र)
2. डिवीजनल रेलवे हॉस्पिटल, दक्षिण मध्य रेलवे, नांदेड, (महाराष्ट्र)

होटल
(5 स्टार और अधिक)

प्रथम पुरस्कार	:	ताज प्लेस (नई दिल्ली)
द्वितीय पुरस्कार	:	दि लीला पैलेस, बंगलुरू (कर्नाटक)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	जय महल पैलेस, जयपुर (राजस्थान)

इंटरग्रेडिट स्टील प्लांट

प्रथम पुरस्कार	:	टाटा स्टील लि., जमशेदपुर (झारखण्ड)
द्वितीय पुरस्कार	:	जेएसडब्ल्यू स्टील लि., बेल्लारी (कर्नाटक)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	जिन्दल स्टील एण्ड पावर लि., रायगढ़ (छतीसगढ़)

मेट्रो स्टेशन

प्रथम पुरस्कार	:	दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन (दिल्ली)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	कश्मीरी गेट (मेट्रो कोरिडोर), मेट्रो स्टेशन (दिल्ली)

खनन

द्वितीय पुरस्कार	:	हिन्दुस्तान जिंक लि.–रामपुरा अगुचा माइन्स, स्ट्रीम 3, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. सिंडसर खुर्द माइन, हिन्दुस्तान जिंग लि. (वेदांता लि.), जिला राजसमन्द (राजस्थान) 2. माइन I, एनएलसी इंडिया लि., नेवली (तमिलनाडु)

कार्यालय भवन
(खपत 10 लाख किलोवाट प्रति घंटा/प्रतिवर्ष से अधिक)

प्रथम पुरस्कार	:	यात्री आरक्षण सिस्टम (पीआरएस/एससी), सिंकदराबाद (तेलगांना)
द्वितीय पुरस्कार	:	मेन टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग (बीएसएनएल), पानीपत (हरियाणा)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. आईसीआईसीआई बैंक लि., एनबीसीसी टावर, प्रगति विहार (नई दिल्ली) 2. मोर मार्केट कॉम्पलेक्स, दक्षिण रेलवे, चैन्नई (तमिलनाडु)

कार्यालय भवन
(10 लाख किलोवाट प्रति घंटा/प्रतिवर्ष से कम की खपत)

प्रथम पुरस्कार	:	मंडल रेलवे प्रबंधक कार्यालय,उत्तर रेलवे, फिरोजपुर (पंजाब)
द्वितीय पुरस्कार	:	लेखा भवन, दक्षिण मध्य रेलवे, सिंकदराबाद (तेलगांना)

योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. आईसीआईसीआई बैंक लि., शोभा पर्ल, बंगलौर (कर्नाटक) 2. आईसीआईसीआई बैंक लि., सेक्टर–16 नोएडा (उत्तर प्रदेश) 3. आईसीआईसीआई बैंक लि., हेरिटेज चैम्बर्स,, अहमदाबाद (गुजरात)

बीपीओ भवन

प्रथम पुरस्कार	:	डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विस प्रा.लि., श्रीनिकेतन, नासिक (महाराष्ट्र)
द्वितीय पुरस्कार	:	डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विस प्रा.लि., वी–टैक पार्क, नासिक (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसिस प्रा.लि., प्लॉट 8ए, वाइटफील्ड बंगलौर (कर्नाटक)

आयुध फैक्ट्री

प्रथम पुरस्कार	:	आर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री, फूलबाग, कानपुर (उत्तर प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	1. आर्डिनेंस फैक्ट्री (देहरादून) 2. मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, अंबरनाथ (वेस्ट), जिला थाणे (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. आर्डिनेंस फैक्ट्री दम दम, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 2. इंजन फैक्ट्री अवाडी, चैन्नई (तमिलनाडु) 3. हाई एक्सपॉलिजिव्स फैक्ट्री, खडकी, पुणे (महाराष्ट्र)

रंग रोगन और सम्बद्ध उत्पाद

प्रथम पुरस्कार	:	बीपी कोटिंग्स प्राइवेट लि., विट्ठल उद्योग नगर, (गुजरात)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	कंसाई नेरोलेक पेंट्स लि., लोटे फैक्ट्री, रत्नगिरि (महाराष्ट्र)

कागज और लुगदी

प्रथम पुरस्कार	:	बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रॉडक्ट्स लि., (यूनिट बल्लारपुर), जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)
द्वितीय पुरस्कार	:	जेके पेपर लि., यूनिटः जेकेपीएम, रायगढ़ (उड़ीसा)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	शेषयाायी पेपर एण्ड बोड्स लि.–इरोड (तमिलनाडू)

पैट्रोकैमिकल्स

प्रथम पुरस्कार	:	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि., वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, वडोदरा (गुजरात)
द्वितीय पुरस्कार	:	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि., नागोथाने मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि., दाहेज मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, जिला भरूच (गुजरात)

पैट्रोलियम पाइपलाइन

योग्यता प्रमाणपत्र : इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि.,
सदर्न रीजन पाइपलाइन्स, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश)

प्लास्टिक्स

प्रथम पुरस्कार : नीलकमल लि., नासिक (महाराष्ट्र)

रेलवे स्टेशन

प्रथम पुरस्कार :
1. फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर डिविजन, उत्तर रेलवे (पंजाब)
2. द्वारका रेलवे स्टेशन, राजकोट डिविजन, पश्चिमरेलवे, राजकोट (गुजरात)

द्वितीय पुरस्कार :
1. पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर डिविजन, उत्तर रेलवे (पंजाब)
2. सुरेन्द्र नगर रेलवे स्टेशन, राजकोट डिविजन, पश्चिम रेलवे, राजकोट (गुजरात)

योग्यता प्रमाणपत्र :
1. लुधियाना रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर डिविजन, उत्तर रेलवे (पंजाब)
2. जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन, फिरोजपुर डिविजन, उत्तर रेलवे (पंजाब)
3. पाकाला रेलवे स्टेशन, गुन्टकल डिविजन, दक्षिण मध्य रेलवे (आन्ध्र प्रदेश)
4. काठगोदाम रेलवे स्टेशन, उत्तर पूर्व रेलवे, इजत नगर (उत्तर प्रदेश)

रेलवे वर्कशॉप्स

प्रथम पुरस्कार : इलैक्ट्रिकल लोको शैड, काजीपेट, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)

द्वितीय पुरस्कार : ट्रेक्शन मशीन वर्कशॉप, मध्य रेलवे, नासिक रोड (महाराष्ट्र)

योग्यता प्रमाणपत्र : डीजल लोको शैड, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश)

रिफाइनरी

प्रथम पुरस्कार : एचपीसीएल– मित्तल एनर्जी लि., (एचएमईएल), भटिंडा (पंजाब)

द्वितीय पुरस्कार : हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि., मुम्बई रिफाइनरी (महाराष्ट्र)

शॉपिंग मॉल

प्रथम पुरस्कार : शॉपर्स स्टॉप लि, कल्याण (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार :
1. शॉपर्स स्टॉप लि, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2. शॉपर्स स्टॉप लि, श्यामला, चैन्नई (तमिलनाडू)

योग्यता प्रमाणपत्र : शॉपर्स स्टॉप लि, गरुदा मॉल, बंगलौर (कर्नाटक)

स्पॉन्ज आयरन

प्रथम पुरस्कार : एमएसपी स्टील एण्ड पावर लि., जिला रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

द्वितीय पुरस्कार : श्याम सेन्चुरी एण्ड फेरस लि., आरएल भोई जिला (मेघालय)

राज्य अभिहित एजेंसियां

प्रथम पुरस्कार : महाराष्ट्र एनर्जी डिवेलपमेंट एजेंसी (मेडा), पुणे (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार : आन्ध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन (एपीएसईसीएम), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

योग्यता प्रमाणपत्र : एनर्जी मेनेजमेंट सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम् (केरल)

स्टील –रि रोलिंग मिल्स

द्वितीय पुरस्कार :
1. जेएसडब्ल्यु स्टील कोटिड प्रॉडक्टस लि., कलमेश्वर (महाराष्ट्र)
2. शूषण स्टील लि., जिला रायगढ़ (महाराष्ट्र)

योग्यता प्रमाणपत्र : जेएसडब्ल्यु स्टील कोटिड प्रॉडक्टस लि., तारापुर, (महाराष्ट्र)

चीनी

द्वितीय पुरस्कार :
1. डालमिया चीनी मिल्स यूनिट निगोही, जिला शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश)

वस्त्र

उच्चतम रैंक : अरविन्द लि., कटराज, जिला गांधी नगर, (गुजरात)

द्वितीय पुरस्कार : ट्राइडेंट लि. (होम टेक्सटाइल डिविजन), बुधनी (मध्य प्रदेश)

योग्यता प्रमाणपत्र : रेमण्ड यूको डेनिम प्राइवेट लि., यवतमाल (महाराष्ट्र)

थर्मल पावर स्टेशन
(कोयला व गैस फायर्ड प्लांट्स – 100 मेगावाट क्षमता से कम)

प्रथम पुरस्कार : कैप्टिव पावर प्लांट, इलैक्ट्रोथर्म (इण्डिया) लि.,कच्छ (गुजरात)

द्वितीय पुरस्कार : पुडुचेरी पावर कारपोरेशन लि., (पुडुचेरी)

थर्मल पावर स्टेशन
(कोयला व गैस फायर्ड प्लांट्स < 100 मेगावाट क्षमता से अधिक)

प्रथम पुरस्कार : नाभा पावर लि., राजपुरा, जिला पटियाला (पंजाब)

द्वितीय पुरस्कार : बज बज जेनेरेटिंग स्टेशन (पश्चिम बंगाल)

योग्यता प्रमाणपत्र : नव भारत वेंचर्स लि., जिला खम्मच (तेलंगाना)

थर्मल पावर स्टेशन
(गैस फायर्ड प्लांट्स > 100 मेगावाट क्षमता से अधिक)

प्रथम पुरस्कार : गुजरात इण्डस्ट्रीज पावर कम्पनी लि., (बड़ौदा ऑपरेशन), वडोदरा (गुजरात)

द्वितीय पुरस्कार : प्रगति पावर स्टेशन, प्रगति पावर कारपोरेशन लि., नई दिल्ली

टायर

प्रथम पुरस्कार	:	बालकृष्ण इण्डस्ट्रीज लि., भुज (गुजरात)
द्वितीय पुरस्कार	:	जेके टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., विक्रान्त टायर प्लांट, मैसूर (कर्नाटक)

विश्वविद्यालय एवं इंजीनियरिंग संस्था भवन

प्रथम पुरस्कार	:	कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बिल्डिंग, केएल विश्वविद्यालय, जिला गुटूर (आन्ध्र प्रदेश)
द्वितीय पुरस्कार	:	इण्डियन रेलवे इंस्टिट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एण्ड टेलिकम्युनिकेशन्स (आईआरआईएसईटी), सिकन्दराबाद (तेलंगाना)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. इलैक्ट्रिक ट्रेक्शन ट्रेनिंग सेन्टर, दक्षिण मध्य रेलवे, विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) 2. गीता विद्या मन्दिर गर्ल्स कॉलेज, सोनीपत (हरियाणा)

जोनल रेलवे

प्रथम पुरस्कार	:	दक्षिण मध्य रेलवे, रेल निलायम, सिकन्दराबाद (तेलंगाना)
द्वितीय पुरस्कार	:	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, महाप्रबन्धक का कार्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. मध्य रेलवे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई (महाराष्ट्र) 2. दक्षिण रेलवे, चैन्नई (तमिलनाडु)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरणों का उत्पादन (एयर कंडिशनर)

प्रथम पुरस्कार	:	वीडियोकॉन इण्डस्ट्रीज लि., गुड़गांव (हरियाणा)
द्वितीय पुरस्कार	:	गोदरेज एण्ड बॉएज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि., एपलायंसिस डिविजन, विखरौली, मुम्बई (महाराष्ट्र)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	हिताची होम एण्ड लाइफ सोल्यूशन्स (इण्डिया) लि., जिला मेहसाना (गुजरात)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरणों का उत्पादन (कृषि पम्प सैट)

उच्चतम रैंक	:	एक्वा सब–इंजीनियरिंग कोयम्बटूर (तमिलनाडु)
योग्यता प्रमाणपत्र	:	1. सीआरआई पम्पस प्रा0 लि., कोयम्बटूर (तमिलनाडु) 2. टैक्समो इण्डस्ट्रीज कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरणों का उत्पादन (छत के पंखे)

उच्चतम रैंक	:	क्रॉम्पटन ग्रीव्स कन्ज्यूमर इलैक्ट्रिकल्स लि., पोण्डा (गोवा)
द्वितीय पुरस्कार	:	1. ऊषा इन्टरनेशनल लि., गुड़गांव, हरियाणा 2. हैवल्स इण्डिया लि., हरिद्वार (उत्तराखंड)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरणों का उत्पादन (रेफ्रिजरेटर)

प्रथम पुरस्कार : 1. बीएसएच हाऊसहोल्ड एपलायंसिज मैन्युफैक्चिरिंग प्रा. लि., जिला कांचीपुरम् (तमिलनाडु)
2. वर्लपूल ऑफ इण्डिया लि., पुणे (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार : एलजी इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डिया प्रा0 लि., ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरणों का उत्पादन (पानी स्टोर करने वाटर हीटर)

प्रथम पुरस्कार : बजाज इलैक्ट्रिकल्स लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)

द्वितीय पुरस्कार : रेकॉल्ड थर्मो प्राइवेट लि., चाकेन, पुणे (महाराष्ट्र)

योग्यता प्रमाणपत्र : ए.ओ. स्मिथ इण्डिया वाटर प्रॉडक्ट्स प्रा. लि., बंगलौर (कर्नाटक)

बीईई स्टार लेबल वाले उपकरणों का उत्पादन (ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैम्प)

द्वितीय पुरस्कार : 1. क्रॉम्पटन ग्रीव्स कन्ज्यूमर इलैक्ट्रिकल्स लि., लाइटिंग डिविजन, जिला बड़ौदा (गुजरात)
2. ऑरिएन्ट इलैक्ट्रिक फरीदाबाद (हरियाणा)

वित्तीय संस्थान

योग्यता प्रमाणपत्र : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा लेखापरीक्षक

योग्यता प्रमाणपत्र : 1. डॉ. पी.पी. मित्तल, फरीदाबाद (हरियाणा)
2. आर. राजमोहन (नई दिल्ली)

सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा लेखापरीक्षा एजेंसियां

योग्यता प्रमाणपत्र : मिटकॉन कन्सल्टेंसी एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसिज लि., पुणे (महाराष्ट्र)

1.6.2 स्कूली बच्चों के लिए ऊर्जा संरक्षण पर चित्रकला प्रतियोगिता

मासूम बच्चों ने स्वच्छ, हरित और ऊर्जा सक्षम भविष्य के लिए कल्पना के संसार का चित्रण किया। बच्चों ने ऊर्जा संरक्षण पर उपयोगी विचार भी दिए। स्कूल जाने वाले बच्चे न केवल अपने अभिभावकों, भाइयों और बहनों को अपने साथ लेकर अपितु शिक्षकों, पड़ोसियों इत्यादि अन्य जैसे अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए समाज में अपेक्षित बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस दृष्टिकोण से, स्कूली बच्चों को घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के साथ ऊर्जा दक्षता के प्रति संवेदनशील बनाते हुए,विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) श्रेणी **'क'** के अंतर्गत चौथी, पांचवी व छठी कक्षा के लिए तथा श्रेणी **'ख'** के अंतर्गत सातवीं, आठवी ं आरै नवीं कक्षा के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करके समग्र भारत में राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाता है।

तीन चरणों में अर्थात् स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 95,000 रुपए के नकद पुरस्कार प्रति राज्य/प्रति संघ शासित क्षेत्र श्रेणी (36 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 34.20 लाख रुपये प्रतिश्रेणी अथवा दोनों श्रेणियों के लिए 68.40 लाख रुपये) राज्य स्तर के विजेताओं में वितरित किए गए। 14 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता की दोनों श्रेणियों के विजेताओं को 10.35 लाख रुपये के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2016 के दौरान इस प्रतियोगिता में 1.14 करोड़ से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

वर्ष 2016 में इस स्कीम की उपलब्धियां निम्नानुसार रहीं :

- ऊर्जा संरक्षण 2016 पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता को शानदार सफलता मिली।
- देशभर से 1,50,000 से कुछ अधिक स्कूलों के 1.14 करोड़ छात्रों ने इसमें भाग लिया। यह प्रतिभागिता गतवर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक रही।
- माननीय विद्युत, कोयला और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री पीयूष गोयल ने लि मेरिडियन में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के 19 विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए।

1.7 शासी परिषद् की संरचना

1.	माननीय विद्युत कोयला एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
3.	सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
4.	सचिव कोयला विभाग, कोयला एवं खनन मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष
5.	सचिव नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सीजीओ कॉम्प्लैक्स लोधी रोड, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6.	सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग कमरा सं. 145.बी, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7.	सचिव उपभोक्ता मामले विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8.	अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सेवा भवन, आर.के. पुरम् नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9.	महानिदेशक केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान प्रो. सर सी.वी. रमन रोड, पी.बी. सं. 8066, बंगलौर –560080	पदेन सदस्य

10.	कार्यकारी निदेशक पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, संरक्षण भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 066	पदेन सदस्य
11.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय खनन योजना एवं अभिकल्पन संस्थान कणके रोड, रांची–834 008	पदेन सदस्य
12.	महानिदेशक भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन बी.एस. ज़फर मार्ग, नई दिल्ली –110 002	पदेन सदस्य
13.	महानिदेशक राष्ट्रीय परीक्षणशाला उपभोक्ता मामले विभाग 11/1, जज़िस कोर्ट रोड, अलीपुर, कोलकाता–700 027	पदेन सदस्य
14.	प्रबन्ध निदेशक भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड इंडिया हैबीटेट सेंटर लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003	
15.	सदस्य सचिव पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विद्युत समिति लिमिटेड एमएसएचएफसी सोसाइटी नोंग्रिम हिल्स, शिलांग–793003	सचिव सदस्य
16.	सदस्य सचिव पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति 14, गोल्फ क्लब रोड, टॉली गंज, कोलकाता . 700033	सदस्य
17.	सदस्य सचिव उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति 18–ए, शहीद सिंध सनसनवाल मार्ग कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016	सदस्य
18.	सदस्य सचिव पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत समिति एफ–3, एमआईटीसी क्षेत्र अंधेरी ईस्ट, मुम्बई–400 093	सदस्य

19	सदस्य सचिव दक्षिणी क्षेत्रीय विद्युत समिति 29–रेज़ होर्स, क्रॉस रोड बंगलौर–09	सदस्य
20.	सचिव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली–110003	सदस्य
21.	सचिव शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	सदस्य
22.	महानिदेशक सचिव ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम् नई दिल्ली–110 066	पदेन सदस्य

2

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम
2.2 बहुपक्षीय कार्यक्रम – जारी कार्यक्रम

2.1 अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम

2.1.1 इंडो.जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम

क. इंडो जर्मन ऊर्जा फोरम (आईजीईएफ)

इंडो–जर्मन एनर्जी फोरम (आईजीईएफ) की स्थापना अप्रैल, 2006 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की सरकार और भारत सरकार के बीच ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश एवं आपसी सहयोग से अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को भाामिल करते हुए वार्ता तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए के इंडो–जर्मन सहयोग को और गहन करने के लिए की गई थी। यद्यपि आईजीईएफ भारत और जर्मनी की उच्च स्तरीय नीतिगत वार्ता है, तथापि आईजीईएफ स्पोर्ट ऑफिस को इंडो–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) की संरचना में शामिल किया गया है।

जर्मनी के साथ यह द्विपक्षीय कार्यक्रम भारत के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभप्रद संबंधों में से है। इसमें विषयों की एक व्यापक श्रेणियां शामिल हैं, जैसे उद्योग, भवनों, केएफडब्ल्यू ऋण श्रृंखला की मार्फत ऊर्जा दक्षता, तापीय ऊर्जा संयंत्रों की दक्षता में सुधार से तीन गुणा उत्पादन,नवीकरणीय ऊर्जा आदि।

इंडो–जर्मन इनर्जी फोरम के अंतर्गत, 3 उपसमूह हैं। उपसमूह 1 में, जीवा मई धन आधारित विद्युत संयंत्रों में दक्षता उन्नयन, उपसमूह 2 में नवीकरणीय ऊर्जा और उपसमूह 3 में मांगपक्ष ऊर्जा दक्षता तथानिम्न कार्बन वृद्धि रणनीतियां हैं। उपसमूह 3 में, भारतीय विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिकअफेयर्स एंड इनर्जी (बीएमडब्ल्यूआई) और फेडरल मिनिस्ट्री फॉर दि इनवायरनमेंट, नेचर कंजर्वेशन, भवन और न्यूकलीय सुरक्षा(बीएमयूबी) मिलकर कार्य कर रहे हैं, ताकि वे अपने अपने अपने देशों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाया जा सके। यह लक्ष्य दोनों देशों के सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति–निर्णायकों के बीच एक रचनात्मक वार्ता को करके प्राप्त किया जाता है।

अभी तक आईजीईएफ की छः बैठकें हो चुकी हैं और इसकी आखिरी बैठक 27–30 सितम्बर, 2016 को बर्लिन में हुई थी, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी। इंडोजर्मन इनर्जी फोरम (आईजीईएफ) के अन्तर्गत ऊर्जा दक्षता पर उपसमूह 3 की पिछली बैठक 15 सितम्बर, 2016 को टेलिकॉन्फ्रसिंग के माध्यम से हुई थी। संयुक्त सचिव (स्वतन्त्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जबकि जर्मनी की ओर से इसकी अध्यक्षता प्रभाग के उपाध्यक्ष, जनरल इशुज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनोमिक्स एण्ड एनर्जी (बीएमडब्ल्युआई), जर्मनी सरकार द्वारा की गई थी। टेलिकॉन्फ्रसिंग में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड (ईईएसएल), जर्मन एम्बेसी, केएफडब्ल्यु और जीआईजैड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

उपसमूह 3 के माध्यम से किए गए पिछले क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

- काफी समय से संयुक्त ऊर्जा व विद्युत सृजन के अवसरों पर विचार विमर्श होता रहा, परन्तु अब जीआईजैड के सहयोग से नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेन्टर में एक डेमो ट्राइजेनेरेशन संयंत्र लगाया गया।
- आवासीय भवनों के क्षेत्र मे फ्रॉनहॉफर इंस्टिट्यूट और टेरी ने संयुक्त रूप से ऊर्जा कार्य निश्पादन निर्धारण उपकरण की स्थापना की है, जो भारत के आवासीय भवनों के क्षेत्र मे विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों से संभावित ऊर्जा बचत का परिकलन करता है।
- विभिन्न क्षेत्रों मे ऊर्जा दक्षता के लिए अन्तर्राश्ट्रीय इन्टरनेट आधारित ज्ञान प्लेटफाम्र के विकास के लिए जर्मनी सरकार की ओर से बिगईई नामक एक प्रयास किया गया है जिसका अभिप्राय ''ऊर्जा दक्षता पर सूचना अन्तराल को भरना'' है।

15 सितम्बर, 2016 को आयोजित उपसमूह 3 की बैठक के दौरान उपसमूह 3 के माध्यम से किए जा रहे क्रियाकलापों की समीक्षा की गई।

- आज भारत में कूलिंग की बढ़ती हुई मांग पर विचार करते हुए 15 सितम्बर, 2016 को टेलिकॉन्फ्रसिंग के माध्यम से हुई

उपसमूह 3 की पिछली बैठक में भारत की कूलिंग मांग का निर्धारण करने के लिए एक अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की, जो जिले की कूलिंग संभावनाओं की व्यवहार्यता पर भी प्रकाश डालेगी, जिस पर भारत के प्रतिनिधि सहमत हो गए। इस सम्बन्ध में '2027 में भारत की कूलिंग मांग' पर अध्ययन भी किया गया, जो सम्भवतः 2017 में पूरा हो जाएगा।

निश्पादन, अधिप्राप्ति और व्यापार (पैट) योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में बीईई को सहायता।

- जीआईजैड द्वारा आवासीय भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विकास में सहायता।
- 2016 में केएफडब्ल्यू में जर्मनी सरकार (फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकॉनोमिक्स कोऑपरेशन एण्ड डिवेलपमेंट, बीएमजैड) की ओर से ऊर्जा दक्ष निवेशों, जलवायु के अनुकूल कूलिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने या हरित ईंधन का मार्ग अपनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों को सहायता देने के लिए 110 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए लघु उद्योग विकास बैंक लि0 (सिडबी) से एक ऋण करार निष्पादित किया है।
- जीआईजैड के माध्यम से वार्षिक राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए बीईई द्वारा सहायता।

ख. इंडो.जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन)

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में इंडो.जर्मन तकनीकी सहयोग कार्यक्रम वर्ष 1995 से चलाया जा रहा है, जब से इंडो.जर्मन ऊर्जा दक्षता परियोजना को, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के पूर्ववर्ती संगठन ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र द्वारा टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलौर के माध्यम से मई, 1995 में आरम्भ किया गया था। यह परियोजना सितम्बर, 2000 में पूरी कर ली गई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के लागू होने और 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना होने के साथ ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की नीतियों और कार्यक्रमों को सहायता देने के उद्देश्य से "इंडो–जर्मन ऊर्जा कार्यक्रम (आईजीईएन) की परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के चरण-I के सफल कार्यान्वयन के बाद इस कार्यक्रम का चरण-II चार वर्षों तक की अवधि के लिए, अक्तूबर, 2013 से आरम्भ किया गया, जो सितम्बर, 2017 को समाप्त हो गया।

कार्यक्रम का चरण-III: पैट चक्र-II में, तीन नए क्षेत्रों रिफाइनरी, रेलवे और डिस्कॉम को शामिल किया गया। पैट चक्र-II के लिए एक इसी प्रकार की प्रक्रिया, इन क्षेत्रों में भी अपनाई जानी आवश्यक है जैसी पैट चक्र-I में अपनाई गई थी।

जीआईजेड ने निम्नलिखित क्रियाकलापों के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर भी विचार किया है :

i) प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रोफॉर्मा का विकास
ii) सामान्यीकरण कारकों का विकास जिन्हें बेसलाइन प्रोफॉर्मा में शामिल किया जा सकेगा;
iii) परामर्श बैठकों में सहायता;
iv) क्षेत्र विशेष बेसलाइन निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए कार्य पद्धति का विकास;
v) लक्ष्य निर्धारण और लक्ष्यों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्य पद्धति का विकास।

इसके अतिरिक्त, जीआईजेड़ अपने अगले चरण में पैट चक्र–II और पैट चक्र–III के लिए तकनीकी सहायता देना जारी रखेगा।

2.1.2 भारत–जापान ऊर्जा वार्ता

दिसम्बर, 2006 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के जापान दौरे के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत जापान ऊर्जा वार्ता, जिसकी अध्यक्षता योजना आयोग के अध्यक्ष तथा माननीय मंत्री, आर्थिक व्यापार एवं उद्योग (एमईटीआई) मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई। भारत जापान की आठवीं ऊर्जा वार्ता 12 जनवरी, 2016 को हुई थी।

भारत–जापान ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यकारी समूह की अन्तिम बैठक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में 27 अगस्त, 2015 को आयोजित की गई, जिसमें जापान की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ इकॉनॉमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री (एमईटीआई), दि इंस्टीट्यूट ऑफ

एनर्जी इकॉनोमिक्स, जापान (आईईईजे) तथा दि एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर, जापान (ईसीसीजे) और भारत की ओर से बीईई, टेरी और पंडित दीनदयाल पैट्रोलियम वि ववियालय (पीडीपीयू) ने भाग लिया।

भारत–जापान ऊर्जा वार्ता के ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए:

1. एनईडीओ निदर्शन परियोजनाएं

- आंध्र प्रदेश में सिंटर कूलर अपशिष्ट ऊर्ष्मा रिकवरी के लिए मॉडल परियोजना
- झारखंड में एक कोक शुष्क शमन प्रणाली (सीडीक्यू) द्वारा ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ाने के लिए एक मॉडल परियोजना।
- आंध्र प्रदेश में सीमेंट संयंत्र की अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी प्रणाली के लिए एक मॉडल परियोजना।

2. संयुक्त अनुसंधान नीति

- इस्पात, सीमेंट, मशीनी उपकरण और इन्वर्टर–एयर कंडीशनर्स (आईइईजे–टेरी) पर बाजार सम्भावनाएं और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण
- ईंधन सब्सिडी आदि के उन्मूलन पर बाजार विश्लेषण और अनुरूपण (आईईईजे–पीडीपीयू)

3. बहुपक्षीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता सहयोग भागीदारी (आईपीईईसी) ढांचे के अंतर्गत 25 फरवरी, 2015 को भारत में लघु औरमध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) में ऊर्जा दक्षता और अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी उपायों को बढ़ावा देने के लिए **"छठी प्रबन्धन कार्य नेटवर्क कार्यशाला"** आयोजित की गई।

4. क्षमता निर्माण

जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल के बारे में विचार–विमर्श करने हेतु 17 नवम्बर, 2016 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा संरक्षण केन्द्र जापान (ईसीसीजे), ऊर्जा व संसाधन संस्थान (टेरी) और विभिन्न उद्योग उप–समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिहित उपभोक्ताओं ने भाग लिया। जापान में उद्योगों द्वारा उपयोग किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देशों और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअलों के फायदों के बारे में बताया गया। इन मार्गनिर्देशों और मैनुअलों से उद्योगों को पैट के लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह निर्णय लिया गया कि अभिहित उपभोक्ता अपनी किसी एक इकाई के लिए ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देश और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल बनाएंगे। इसके अतिरिक्त 23 से 27 जनवरी, 2017 को जापान में ऊर्जा संरक्षण मार्गनिर्देश और ऊर्जा प्रबन्धन मैनुअल के विवरण की जानकारी लेने के लिए एक बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई।

इस फोरम ने भविष्य में निम्नलिखित क्रियाकलापों पर कार्य करने का भी कार्य निर्णय लिया:

लौह और इस्पात, सीमेंट तथा लुगदी और कागज क्षेत्रों में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान।

जापानी अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी प्रौद्योगिकियां अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों से अधिक दक्ष हैं और अधिकमंहगी हैं। प्रौद्योगिकी की आसानी से उपलब्ध कराने और उच्च प्रारम्भिक लागत के अवरोधों को कम करने केलिए भारत ने यह सुझाव दिया कि जापान की अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी कम्पनियां भारतीय कम्पनियों के साथ मिलकर संयुक्तउद्यम स्थापित करें।

निम्नलिखित के क्षेत्र में सूचना और विचारों का आदान.प्रदान करना:

- भारत के परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा बचतों को बढ़ावा देना

- भारत में ऊष्मा पम्प प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना
- विद्युत उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों और औद्योगिक उपकरण के क्षेत्र में ऊर्जा प्रबन्धकों और ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए क्षमतानिर्माण कार्यक्रम जारी रखे जाएं।

2.1.3 भारत–संयुक्त राज्य अमरीका सहयोग

भारत–अमरीका ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत, विद्युत मंत्रालय "विद्युत और ऊर्जा दक्षता" पर एक कार्यकारी समूह का नेतृत्त्व कर रहा है। विद्युत क्षेत्र में भारत–अमरीका सहयोग मुख्यतः नूतन स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विनियोजन और अंतरण के लिए कार्य कर रहा है। 19 अगस्त, 2015 को भारत–अमरीका ऊर्जा वार्ता के अंतर्गत कार्यकारी समूह की बैठक (वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से) आयोजित की गई।

भारत और अमरीका के बीच सहयोग का प्रमुख साधन है –उन्नत स्वच्छ ऊर्जाविनियोजन (पीएसीई–डी) कार्यक्रम। इस कार्यक्रम केअंतर्गत भाामिल किए गए क्षेत्रों में औद्योगिक दक्षता, भवन ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा दक्षता निधीयन और संस्थागत सुदृढ़ीकरण है। कार्यकारी समूह की बैठक के दौरान, मानकों के लिए ढांचे का सृजन करने अथवा ऊर्जा दक्षता डेटा सेन्टर के लिए स्वैच्छिक रेटिंगप्रणाली के अपेक्षित लक्ष्य के साथ ऊर्जा दक्षता डेटा सेन्टर पर सहयोग के साथ आगे बढ़ने के लिए दोनों पक्षों में सहमति बनी।

यूएसएआईडी के अंतर्गत वर्तमान क्रियाकलाप (पीएसीई–डी)

- ईसीबीसी तकनीकी अपडेट और कार्यान्वयन के लिए सहायता
- नेट ज़ीरो ऊर्जा भवन
- ऊष्मायन, संवातन और वातानुकूलन
- अपशिष्ट ऊष्मा उपयोग
- निधीयन संस्थानों के लिए ऊर्जा दक्षता निधीयन और क्षमता निर्माण
- राज्य स्तरीय संस्थागत, विनियामक और नीतिगत विकास
- स्थल कूलिंग
- वातानुकूल कूलिंग चुनौती– परिणाम
- ऊर्जा दक्षता डेटा सेन्टर
- निम्न ग्रेड की अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी

2.1.4 भारत– रूस

नवम्बर, 2013 में निम्नलिखित विषयों पर जानकारी, सूचना और सर्वोत्तम कार्य–विधियों के साझा करने के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और रूसी ऊर्जा एजेंसी के द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए:

- ऊर्जा प्रबन्धन, ऊर्जा लेखा–परीक्षा और ऊर्जा सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव को साझा करना।
- सम्मेलन और संगोष्ठियों का आयोजन।
- ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को तकनीकी सहायता।
- प्रतिनिधि मंडलों का आपसी दौरा।
- समझौता ज्ञापन की अवधि तीन वर्ष के लिए वैध है।

2.1.5 भारत–चीन

ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच 26 नवम्बर, 2012 को निम्नलिखित क्षेत्रों में पांच वर्ष तक कार्य करने के लिए भारत और चीन द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

1. उद्योगों में ऊर्जा दक्षता के संवर्धन में सहयोग।
2. ऊर्जा सेवा कम्पनियों (ईएससीओ) के माध्यम से ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
3. ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली (आईएसओ 50001)
4. तापीय विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता संवर्धन।
5. एलईडी के लिए परीक्षण प्रोटोकोल और मानकों का संयुक्त रूप से विकास।

2.1.6 भारत–स्विट्जरलैंड

देश की विद्युत खपत का 33 प्रतिशत हिस्सा भारत में भवनों में प्रयुक्त होता है और आने वाले वर्षों में इसमें निर्माण क्षेत्र में भारी वृद्धि होने की आशा है। भवन निर्माण के क्षेत्र में, नए भवनों को अति ऊर्जा दक्ष बनाकर अभिकल्पन प्रक्रिया में बदलाव लाते हुए ऊर्जा खपत को कम करने की भारी सम्भावनाएं हैं।

भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ एक द्विपक्षीय समझौते में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए गए हैं:

- एकीकृत डिजाइन शैरेट्स का विकास
- भवन निर्माण सामग्री परीक्षण अवसंरचना के विकास में तकनीकी सहायता
- ऊर्जा दक्ष आवासीय और सार्वजनिक भवनों के डिजाइन सम्बंधी दिशानिर्देश और उपकरण
- ज्ञान उत्पाद का उत्पादन और प्रसारण

इस ढांचे के अन्तर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और स्विस कन्फेडरेशन के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स (एफडीएफए) के बीच भारत स्विस ऊर्जा दक्षता निर्माण परियोजना (बीईईपी) आरम्भ की गई। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय की ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, जबकि स्विस एजेंसी फॉर डिवेलपमेंट एण्ड कोऑपरेशन (एसडीसी) एफडीएफए की ओर से एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, भारत में नए भवनों में ऊर्जा खपत में कमी लाने के समग्र उद्देश्य से 8 नवम्बर, 2011 को दोनों सरकारों ने पांच वर्ष की एक संयुक्त परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता 7 नवम्बर, 2016 तक वैध था।

2011–2016 के दौरान परियोजना के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप दोनों सरकारें इस समझौता ज्ञापन की अवधि 5 वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हो गईं, अतः नवम्बर, 2016 में बीईई (8 नवम्बर, 2016 – 7 नवम्बर, 2021) के अनुवर्तन चरण के लिए इसकी अवधि बढ़ाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। माननीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, खनन राज्य मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में बीईईपी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 28 नवम्बर, 2016 को दोनों देशों के बीच अनुवर्तन चरण के समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान हुआ।

ऊर्जा दक्षता निर्माण पर ऊर्जा के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए बीईईपी का निरुपण किया गया है और इसमें निम्नलिखित पर बल दिया जाता है:

ऊर्जा दक्ष भवनों का डिजाइन बनाने के लिए नई कार्य–प्रणालियों, मार्गनिर्देशों और साधनों का विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाना।

जागरूकता बढ़ाने और तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने तथा नई प्रौद्योगिकियों/उत्पादों का परीक्षण करने के लिए बीईईपी अनुवर्तन चरण का उद्देश्य विशेष रूप से भवनों में ऊर्जा खपत में कमी लाने के व्यापक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए परियोजना के परिणामों को मुख्य धारा में लाकर पहुंच बनाना है।

इस कार्यक्रम का संचालन और निगरानी संयुक्त एपेक्स समिति (जेएसी) और संयुक्त कार्यान्वयन समूह (जेआईजी) के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। जेएसी मुख्य रूप से एक संचालन निकाय है, जिसकी सह–अध्यक्षता संयुक्त सचित, विद्युत मंत्रालय और सहयोग निदेशक एवं काउंसलर, एसडीसी द्वारा की जाती है। दूसरी ओर जेआईसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आवश्यक निगरानी उपलब्ध कराएगा तथा इसकी सह–अध्यक्षता विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण प्रभारी निदेशक तथा एसडीसी के वरिष्ठ थिमेटिक सलाहकार (ऊर्जा) द्वारा की जाती है। परियोजना के मार्गदर्शन और अनुवर्तन के लिए जेएसी तथा जेआईसी की नियमित बैठकें की जाती हैं। अभी तक 10 जेएसी और 18 जेआईजी की बैठकें हो चुकी हैं। जेएसी की अन्तिम बैठक 19 दिसम्बर, 2016 और जेआईजी की अन्तिम बैठक 23 फरवरी, 2017 के हुई थी।

बीईईपी (2011–2016) की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. एकीकृत डिजाइन प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा दक्ष भवनों के लिए तकनीकी सहायता।
2. ऊर्जा दक्ष भवन एन्वेलप के लिए प्रोद्योगिकियां
3. ऊर्जा दक्ष आवासीय और सरकारी भवनों के लिए डिजाइन मार्गनिर्देश
4. ज्ञान प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण

2.1.7 भारत–इंग्लैंड

नवम्बर, 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के इंग्लैंड दौरे के परिणामस्वरूप, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सहयोग के क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- बाजार सुधार, नियामक ढांचे और विनियमों सहित बिजली की आपूर्ति और वितरण में प्रतिस्पर्धा की भूमिका और नवीकरणीय ऊर्जा नियोजन के लिए प्रोत्साहन
- ग्रिड मे नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण
- औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और वाहनीय ऊर्जा सहित ऊर्जा दक्षता नीतियां और प्रक्रिया
- अपतटीय पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा
- स्मार्ट ग्रिड्स
- ऊर्जा भंडारण एवं नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियां
- नवीकरणीय ऊर्जा संस्थानों का क्षमता निर्माण
- ग्रिड से भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा सेवाएं
- ज्वारीय ऊर्जा
- भागीदारों द्वारा लिखित में अनुमोदित सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र।

समझौता ज्ञापन में इंग्लैंड द्वारा शुरू की गई उपयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से परस्पर सहमत प्रत्यक्ष अनुदान और अन्य सहायता सहित तकनीकी सहायता की संरचना की भी व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन विशेष परियोजनाओं की समय–समय पर प्रगति को भी प्रोत्साहित करता है।

इस समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता और वाहन ईंधन दक्षता के क्षेत्र में गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

2.1.8 भारत–ईयू

7वें भारत–ईयू ऊर्जा पैनल की बैठक 27 मार्च, 2014 को ब्रुसेल्स में हुई, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट एकीकरण और साफ कोयले पर नए कार्यकारी समूह बनाने का सुदृढ़ता से समर्थन किया गया।

भारत–ईयू के बीच ऊर्जा सहयोग पर संयुक्त घोशणा पत्र से ''उत्पाद और उपकरण बनाने में ऊर्जा दक्षता'' सहयोग का एक मुख्य क्षेत्र बनकर उभरा। बीईई ने जनवरी, 2015 में ऊर्जा पैनल के अधीन कोयले और साफ कोयला प्रोद्यौगिकियों के मौजूदा कार्य–समूहों का विलय करके ऊर्जा सुरक्षा पर एक नया संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्युजी) बनाने के ईयू के प्रस्ताव पर विद्युत मंत्रालय की अपनी अनापत्ति की सूचना दे दी।

बीईई के सचिव और ईयू के अधिकारियों की एक बैठक 30 जनवरी, 2015 को हुई, जिसमें बीईई द्वारा ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी) पर किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूचना दी गई। यह सूचित किया गया कि राज्यों में ईसीबीसी के संचालन में सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि कुछ राज्यों ने इन्हें अपना लिया है और अन्यों ने नहीं।

ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट एकीकरण और साफ कोयले पर संयुक्त कार्य समूह की अन्तिम बैठक नवम्बर, 2016 में ब्रुसेल्स में हुई, जिसमें 4 चुनिंदा भारतीय राज्यों में भवन संहिताओं में ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन क लिए विशेषज्ञों के नियोजन सहित भवनों में ऊर्जा दक्षता के नीतिगत विकास के बारे में विचार–विमर्श किया गया।

भारत और ईयू ने राश्ट्रीय स्तर पर और अधिक नीतिगत विकास के लिए सहायता सहित भवनों में ऊर्जा दक्षता तथा 4 चुनिंदा भारतीय राज्यों में भवन संहिताओं में ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन पर कार्य करने की सहमति दे दी।

ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)/राज्यों में मानक भीघ्रता से अपनाने के लिए उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों का निर्धारण किया गया। इसका उद्देश्य इन राज्यों में ईसीबीसी संहिताओं/मानकों को अधिसूचित करना है, जहां अभी यह किया जाना है और उसके बाद प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य नगरपालिका की उप–विधियों इन्हें अंगीकार करके इन्हें समाहित करना है। जहां तक इन राज्यों द्वारा ईसीबीसी को अपनाने का सम्बन्ध है, इन 4 राज्यों में विद्यमान विभिन्न मिश्र एक अच्छी छवि प्रतिबिम्बित करते हैं।

इस सम्बन्ध में दिल्ली, पुणे, पटना और भोपाल में साझेदार राज्यों के परामर्श से इन प्रयासों को त्वरित गति से आरम्भ करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। सम्बन्धित राज्य सरकारों ने भारत–ईयू सहयोग के अन्तर्गत भवन दक्षता कार्यक्रम के प्रति इस पहल का प्रचार करने के लिए अपनी सहमति दे दी। ईयू ने क्षमता निर्माण और ईसीबीसी के प्रवर्तन की सुविधा के लिए फरवरी, 2016 में प्राइस वाटर हाऊस कूपर (पीडब्ल्यूसी) के कन्सोर्शिया को नियुक्त किया है। इस पहल के अन्तर्गत भवनों मे ऊर्जा दक्षता से सम्बन्धित सभी कार्य करने के लिए राज्य सरकारों के उपयुक्त विभागों की मदद करने के लिए बीईई ने ईयू के परामर्श से उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ईसीबीसी कक्षों की स्थापना कर दी है।

2.2 चालू अन्तर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यक्रम

2.2.1 ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता (आईपीईईसी)

आईपीईईसी का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है और 16 देश इसके सदस्य हैं। भारत ने सितम्बर, 2009 में कार्यकारी समिति की पहली बैठक के दौरान इसमें शामिल हुआ और इसने एससीओ और आईपीईईसी के सदस्यों में आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड और अमरीका शामिल हैं। जी 20 ऊर्जा दक्षता कार्य योजना की घोषणा से आईपीईईसी का प्रसार महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ गया है। भारत चार क्षेत्रों अर्थात् ऊर्जा दक्षता, निधीयन, औद्योगिक ऊर्जा प्रबन्धन, परिवहन और बिजली का उत्पादन करने के क्षेत्रों में भागीदारी कर रहा है।

ऊर्जा दक्षता सहयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता (आईपीईईसी) एक उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता (ईई) के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ाना और वैश्विक रूप से सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता से लाभ होने वाली नीतियां बनाना है। मई, 2009 में इसकी स्थापना से ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सुधार एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आईपीईईसी, ऊर्जा दक्षता क्षेत्रों के बीच भागीदारी करके, ऊर्जा दक्षता से संबंधित सूचना का आदान प्रदान कर विश्व भर में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देता है और ऊर्जा दक्ष शुरुआतों को सहायता देता है। आईपीईईसी द्वारा

समर्थनकारी शुरूआतें इसके सदस्य और गैर सदस्य देशों तथा निजी क्षेत्र के दोनों के लिए खुली हुई हैं।

जून, 2007 में हेलिजेंग्म (जर्मनी) में (जी 8) समिट के 33वें ग्रुप में, जी8 ने ऊर्जा दक्षता पर अन्तर्राष्ट्रीय पहल के एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया और अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ मिलकर विश्व भर में ऊर्जा दक्षता संवर्ध्रन के लिए अत्यधिक सक्षम उपायों का पता लगाने का निर्णय लिया।

1974 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की स्थापना से आईईए ने ऊर्जा दक्षता का संवर्धन किया है। तथापि इसके सदस्य सभी विकासशील देश हैं। हेलिजेंग्म समिट के एक वर्ष बाद 8 जून, 2008 को एओमोरी (जापान) में जापान की जी8 प्रेसिडेंसी के दौरान जापान की मेजबानी में हुई ऊर्जा मिनिस्ट्रियल बैठक में जी8 और चीन, भारत, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन समुदाय के ऊर्जा मंत्री आईपीईईसी की स्थापना के लिए सहमत हो गए। रोम में 24 मई, 2009 को जी 8 सदस्यों चीन, दक्षिण कोरिया, ब्राजील तथा मैक्सिको ने आईपीईईसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए। समी के शासकीय हस्ताक्षर ने आईपीईईसी का सृजन किया। उसी दिन इन देशों के प्रतिनिधियों ने आईईए को आईपीईईसी की मेजबानी के लिए कहते हुए ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए।

आईपीईईसी एक स्वतन्त्र स्वायत्त संगठन है। विशेष रूप से इसके कार्यगत कार्यक्रम और इसका निधीयन ओईसीडी और आईईए से अलग है। यह साझेदारी आईपीईईसी सदस्यों और अन्य संस्थानों के स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर करती है। स्वैच्छिक अंशदान में वित्तीय एवं अन्य अंशदान शामिल होते हैं।

आईपीईईसी तकनीकी कार्यगत कार्यक्रम में अनेक क्षेत्र हैं। सदस्य देश निष्ठावान कार्य समूह का नेतृत्त्व और भागीदारी करते हैं, जो आईपीईईसी के तकनीकी कार्यगत कार्यक्रम का डिजाइन बनाते हैं और उसका कार्यान्वयन करते हैं।

आईपीईईसी का संचालन एक कार्यकारी समिति (एक्ससीओ), एक नीतिगत समिति (पीओसीओ) और एक सचिवालय द्वारा किया जाता है। दोनों कार्यकारी समिति (मौजूदा अध्यक्ष अमरीका) और नीतिगत सचिवालय (मौजूदा अध्यक्ष मैक्सिको) प्रशासनिक, नीतिगत और तकनीकी मुद्दों पर मार्गदर्शन देते हैं। ये समितियां आईपीईईसी के सदस्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर गठित की जाती हैं।

कार्यकारी समिति सदस्य देशों के प्रस्ताव की जांच करती है और उन्हें अंगीकार करती हैं और हर वर्ष बजट बनाती है, सदस्यों के अनुरोध की जांच करती है, सचिवालय का मार्गदर्शन एवं उसकी निगरानी करती है और कार्य समूह के कार्यों की समीक्षा करते समय कार्य समूह के प्रस्तावों का विकास करती है। अब तक कार्यकारी समिति की 16 बैठकें हो चुकी हैं और इसकी पिछली बैठक 16–17 मार्च, 2017 को पेरिस में हुई थी।

अमरीका, जापान, और चीन सहित भारत (संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व में) कार्यकारी समिति के उपाध्यक्षों में से एक है।

संयुक्त समिति आईपीईईसी के समग्र ढांचे और नीतियों का नियन्त्रण, कार्य समूह की प्रगति का अनुवर्तन तथा कार्यकारी समिति एवं सचिवालय के कार्यों का अनुवर्तन करती है। अब तक नीतिगत समिति की 13 बैठकें हो चुकी हैं और इसकी पिछली बैठक 16–17 फरवरी, 2017 को हुई थी।

सचिवालय, जो इसके कार्यपालक निदेशक के अन्तर्गत कार्य करता है, आईपीईईसी की सूचना पहुंच प्रेशण तथा क्रियाकलापों का समन्वय करता है। इसके प्रशासनिक कार्यों में नीतिगत समिति व कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन, सदस्यों के अनुरोधों की संवीक्षा और उन्हें अग्रेशित करना एवं आईपीईईसी सूचनाओं (स्थिति, क्रियाकलाप) के समन्वय करना भामिल है। आईपीईईसी के कार्यगत कार्यक्रमों में कई क्षेत्र आते हैं। सदस्य देश निष्ठावान कार्य समूहों का नेतृत्त्व करते हैं और उसमें भागीदारी करते हैं, जा आईपीईईसी के तकनीकी कार्यगत कार्यक्रमों का डिजाइन बनाते हैं और कार्यान्वयन करते हैं। सचिवालय दो अतिरिक्त प्रयासों का नेतृत्व करता है। कार्य समूह को प्रत्यक्ष रूप से उसके भागीदार सदस्यों द्वारा निधियां प्रदान की जाती हैं।

भारत में सितम्बर, 2009 में कार्यकारी समिति की पहली बैठक के दौरान आईपीईईसी में शामिल हुआ था। अक्तूबर, 2010 में आईपीईईसी में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, दि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, मैक्सिको, रूस, दक्षिण

कोरिया, इंग्लैंड और अमरीका आईपीईईसी के सदस्य थे। इस समय इसक 16 सदस्य है (दक्षिण अफ्रीका आईपीईईसी में 2013 में शामिल हुआ था)। भारत ने 2016 के दौरान सचिवालय की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए 60,000 यूरो का अंशदान दिया है।

2.2.2 एमईएमई में ऊर्जा दक्षता के लिए जीईएफ–यूएनआईडीओ–बीईई परियोजना

परियोजना का शीर्षकः ''भारत में चयनित एमएसएमई क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना''

परियोजना अवलोकनः संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के सहयोग से इस वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) वित्त पोषित परियोजना को लागू किया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भी परियोजना के साझीदार हैं। यह परियोजना 5 क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में 12 एमएसएमई समूहों में ऊर्जा कुशल और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की गति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में यह परियोजना 5 क्षेत्रों के 11 समूहों में क्रियान्वित की जा रही है।

2016–17 के दौरान प्रमुख परियोजना गतिविधियांः

- अमूल फेड डेयरी, गांधीनगर में वाष्प उत्पादन के लिए केंद्रित सौर थर्मल (सीएसटी) परवलयिक गर्त पर डेमो प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।
- गुजरात और सिक्किम डेयरी कर्मचारियों के लिए ज्ञान प्रसार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- 9 समूहों में ऊर्जा लेखापरीक्षा उपकरणों से लैस 9 ऊर्जा प्रबंधन कक्ष (ईएमसी) की स्थापना।
- कोयंबटूर फाउंडरी क्लस्टर में ईएमसी का औपचारिक उद्घाटन और ऊर्जा दक्षता प्रथाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई।
- सिरेमिक क्लस्टर और फाउंड्री क्लस्टर प्रतिनिधियों के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन पर्यटन का आयोजन किया गया।
- सिक्किम डेयरी और नागौर हैण्डटूल के अधिकारियों के लिए 2 इंटर क्लस्टर यात्रा का आयोजन किया गया।
- परियोजना के तहत दो नए क्लस्टर (सिक्किम और मोरबी) शामिल, साथ ही तीन डेयरी क्लस्टर के साथ चर्चा शुरू की गई।
- मोरबी क्लस्टर में कार्यशाला का आरंभ।
- इंदौर, थानगढ़ और खुर्जा में नए क्लस्टर लीडरों की नियुक्ति की गई
- थानगढ़ और जामनगर में पारंपरिक छत के पंखों के स्थान पर ऊर्जा दक्षता वाले 5500 से अधिक 28 वॉट के छत वाले पंखे लगाए गए और अन्य 3500 पंखों के आदेश जारी किए गए।

{बाएं से दाएं} श्री मिलिंद दयोरे (ऊर्जा अर्थशास्त्री, बीईई), श्री के.के. राजन (अध्यक्ष, एसआईईएमए), श्री महेंद्र रामदास (अध्यक्ष, कोइंडिया), श्री बी.पी. पांडे (पूर्व डीजी, बीईई और विशेष सचिव, एमओपी), श्री एस कुप्पुसामी (उपाध्यक्ष, कोइंडिया), श्री निरंजन आर डीवेला (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी समन्वयक, यूएनआईडीओ)}

सौर थर्मल स्टीम जनरेशन पायलट प्रोजेक्ट गुजरात और सिक्किम के विभिन्न डेयरी के प्रसार के लिए कार्यशाला

एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर कोयम्बटूर फाउंडरी क्लस्टर

- बड़े निवेश परियोजनाओं के लिए विभिन्न ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों पर 30 डीपीआर तैयार किए गए।
- करीब 50 केस स्टडी क्लस्टर लीडरों द्वारा तैयार किए गए। प्रारंभ में, 7 मामले के अध्ययन पर्चे के रूप में प्रकाशित किए गए
- एमएसएमई इकाइयों के बीच ज्ञान प्रसार के लिए 'बेस्ट ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस' पुस्तिका और 'कॉमन मॉनिटरेबल पैरामीटर्स' पोस्टर प्रकाशित किए गए।

3

ब्यूरो का लेखा

3.1 पूंजीगत संरचना

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

3.3 ब्यूरो की कार्यशैली में सुधार और सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय

3.4 लेखा का वार्षिक विवरण

3.1 पूंजी संरचना

उर्जा संरक्षण, अधिनियम 2001 की धारा 20 के अंतर्गत केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि की स्थापना के लिए ऊर्जा मंत्रालय से 50 करोड़ की निकाय निधि प्राप्त की गई। 50 करोड़ की निकाय निधि को शासी परिषद् के अनुमोदन से 1 मई, 2003 से प्रति वर्ष ब्याज के रूप में (लगभग) 4.24 करोड़ के निर्धारित भुगतान करने के साथ–साथ एनटीपीसी के प्रत्येक 10 लाख रुपए के सुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी प्रतिदेय कर योग्य बांडों (सीरीज XVII) में 20 वर्षों के लिए निवेश किया गया है। बीईई के आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए ब्याज का उपयोग किया जा रहा है और वर्ष के दौरान सरकार द्वारा और नई निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, बीईई ने निकाय निधि की वृद्धि हेतु ऊर्जा मंत्रालय से 15.00 करोड रुपए की राशि प्राप्त की और चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 15.00 करोड रुपए की इस निकाय निधि का राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश से 1.17 करोड़ रुपए की आय अर्जित की गई।

31/03/2017 को इस वृद्धि के साथ बीईई की निकाय निधि कुल मिलाकर 65.00 करोड़ रुपए हो गई।

3.2 वित्तीय परिणामों का सारांश

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान ब्यूरो ने एनटीपीसी में किए गए 50 करोड़ रुपए के निवेश से समग्र निधि पर 424.00 लाख रुपए और विजया बैंक में 15 करोड़ रुपए के निवेश से करोड़ की अतिरिक्त समग्र निधि पर ब्याज के रूप में 117.01 लाख रुपए अर्जित किए गए। इसके अतिरिक्त, ब्यूरो ने 17वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा के लिए ऊर्जा प्रबंधकों एवं ऊर्जा लेखा–परीक्षकों के उम्मीदवारों से 432.41 लाख रुपए का शुल्क प्राप्त किया। बीईई ने स्थापना, प्रशासनिक व्यय, गैर–आवर्ती और परियोजना व्यय पर क्रमशः 476.98 लाख रुपए, 155.17 लाख रुपए, 1.66 लाख रुपए और 3.29 लाख रुपए का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा प्रबंधकों एवं ऊर्जा लेखा–परीक्षकों के लिए 17वीं राष्ट्रीय प्रमाणन परीक्षा पर 168.92 लाख रुपए का व्यय किया गया। 687.77 लाख रुपए के व्यय से अधिक आय अधिशेष को समग्र निधि में अंतरित किया गया।

3.3 ब्यूरों की कार्यों में सुधार अथवा सुदृढ़ीकरण हेतु किए गए उपाय

बीईई की संगठनात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2016–17 के दौरान महानिदेशक का पद भरा गया और एक परामर्शदाता (प्रशासन) की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई।

3.4 लेखों के वार्षिक विवरण

वार्षिक लेखा विवरण अर्थात् विधिवत लेखा–परीक्षित तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण तथा लेखाओं की प्राप्ति और भुगतान के विवरण संलग्न हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के साथ पठित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25 (2) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), नई दिल्ली के 31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार संलग्न तुलना पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय खातों और प्राप्तियों एवं अदायगियों के खातों की लेखा–परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बीईई के प्रबन्धन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धतियों के साथ समरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदण्डों आदि से संबंधित लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां दी गई हैं। विधि, नियमों एवं विनियमों (उपयुक्तता और नियमितता) और दक्षता तथा कार्य–निष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अलग से दी गई है।

3. हमने, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकंन मानदण्डों के अनुसार लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इन मानदण्डों से यह अपेक्षित है कि हम लेखा–परीक्षा का नियोजन और निष्पादन इस प्रकार करें, जिससे उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि ये वित्तीय विवरण महत्त्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं। किसी भी लेखा परीक्षा में धनराशियों पुष्टि के लिए साक्ष्यों और वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की परीक्षण आधार पर जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समूचे प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा–परीक्षा हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि:

i) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखा परीक्षा के प्रयोजन से हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

ii) वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 25(1) के अंतर्गत बीईई द्वारा अपनाए गए प्रारूप के अनुसार इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलना पत्र, आय एवं व्यय लेखा और 'प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा' तैयार किए गए हैं।

iii) हमारी राय में, बीईई द्वारा लेखा बहियों और अन्य संगत रिकार्डों का धारा 25 (1) के अंतर्गत यथापेक्षित रखरखाव किया गया है जैसा कि हमारे द्वारा की गई ऐसी बहियों की जांच से प्रकट होता है,

iv) हम यह भी सूचित करते हैं कि :

क. लेखों पर टिप्पणियां

1.0. तुलन–पत्र

1.1 चिन्हित निधि और देयताएं

चालू देयताएं और प्रावधानः – 18.54 करोड़ रुपए (अनुसूची–7)

उपर्युक्त में निम्नलिखित शामिल नहीं है:

क) 15.07.2015 से 15.01.2017 की अवधि के लिए पीआरजीएफईई योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय के लिए मार्च, 2017 में कार्यान्वयन एजेंसी (आरईसीपीडीसीएल, आरईसी और ईईएसएल का एक कंसोर्शियम) द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों के प्रति 2.45 करोड़ रुपए।

ख) पीआरजीएफईई योजना के कार्यान्वयन के लिए आयोजित कार्यशालाओं के व्ययों के लिए मार्च, 2016 में ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों के प्रति 0.50 करोड़ रुपए।

इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–7) को कम दर्शाया गया है और ऊर्जा दक्षता निधि (अनुसूची–1) 2.95 करोड़ रुपए अधिक दर्शाई गई है।

1.2 चिन्हित निधि और देयताएं

चालू देयताएं और प्रावधानः– 18.54 करोड़ रुपए (अनुसूची–7)

उपर्युक्त में बीईई की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में किए गए कार्य के लिए विभिन्न एजेंसियों (एपिटको लि0, पीसी सोल्यूशन्स प्रा0 लि0, इन्सपायर नेटवर्क फॉर इनवार्यनमेंट, ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि0, साई कम्युनिकेशन्स, टीयूवी एसयूडी साऊथ एशिया प्रा0 लि0, एनपीटीआई, कोयम्बटूर इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन आदि) द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों के प्रति 1.27 करोड़ रुपए की देयता शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–7) 1.27 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है और चिन्हित निधियां (XIIवीं योजना) (अनुसूची–3) 0.07 करोड़ रुपए और चिन्हित निधियां (अन्य) (अनुसूची–3) 1.20 करोड़ रुपए अधिक दर्शाई गई हैं।

ख. अनुदान सहायता

139.61 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता (जिसमें पिछले वर्ष का 55.13 करोड़ रुपए का खर्च न किया गया अथ शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त 78.42 करोड़ रुपए की राशि, 5.62 करोड़ रुपए का अर्जित ब्याज तथा 0.44 करोड़ रुपए की अन्य राशि शामिल है), में से बीईई ने वर्ष के दौरान 70.79 करोड़ रुपए की राशि का, विद्युत मंत्रालय को वापस की जाने वाली 5.84 करोड़ रुपए राशि सहित, का उपयोग किया है और इसमे 31 मार्च, 2017 को 68.82 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त राशि बच गई। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त 78.42 करोड़ रुपए की उपर्युक्त अनुदान सहायता में से मार्च, 2017 में 0.59 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

ग. प्रबन्धन पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उनकी सूचना निवारक कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक को दी गई है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम यह सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा सूचित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय लेखे और प्राप्ति एवं भुगतान खाते, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–I में वर्णित मामलों के अधीन है, सामान्य रूप से भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं निष्पक्ष सूचना प्रस्तुत करते हैं:

क) जहां तक यह 31 मार्च, 2017की स्थिति अनुसार बीईई के कार्यों का तुलन–पत्र से सम्बन्ध है; और

ख) जहां तक यह उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्श की व्यय से अधिक आय के मामले का आय और व्यय खाते का सम्बनध है।

Ritika Bhatia

(रितिका भाटिया)
मुख्य निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16 अक्तूबर, 2017

अनुलग्नक–1

{पैरा 4 (vi) में निर्दिष्ट}

क्र.सं.		विवरण
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग मौजूद नहीं है और आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली भी तैयार नहीं की गई है। आंतरिक लेखा परीक्षा विद्युत मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा की जाती है,। तथापि वर्ष 2016–17के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गई है। यद्यपि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली, बीईई के क्रियाकलापों के आकार और स्वरूप के अनुरूप है, फिर भी बीईई द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली तैयार की जानी आवश्यक है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र की उप–विधियों का अनुपालन कर रहा है। बीईई की प्रारूप उप–विधियां तैयार कर ली गई है और ये विद्युत मंत्रालय को अनुमोदन और अधिसूचित करने के लिए भेज दी गई हैं। बीईई द्वारा जीएफआर नियमावली के अनुपालन में ''राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) के सुदृढ़ीकरण'' के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्तन पद्धति को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है।
3.	अचल परिसम्पत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति	वर्ष 2016–17 के लिए अचल परिसम्पत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। बीईई अचल परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का भी रखरखाव करता है।
4.	सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता	बीईई स्वयं पर अनुमेय सांविधिक देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से करता है।

प्रमुख निदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का उत्तर

क. लेखों पर टिप्पणियां

1.0 तुलन–पत्र

1.1. चिन्हित निधि और देयताएं

चालू देयताएं और प्रावधान –18.54 करोड़ रुपए (अनुसूची 7)

उपर्युक्त में निम्नलिखित शामिल नहीं हैः

क) 15.07.2015 से 15.01.2017 की अवधि के लिए पीआरजीएफईई योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रशासनिक व्यय के लिए मार्च, 2017 में कार्यान्वयन एजेंसी (आरईसीपीडीसीएल, आरईसी और ईईएसएल का एक कंर्सोशिया) द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों के प्रति 2.45 करोड़ रुपए।

ख) पीआरजीएफईई योजना के कार्यान्वयन के लिए आयोजित कार्यशालाओं के व्ययों के लिए मार्च, 2016 में ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों के प्रति 0.50 करोड़ रुपए।

इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–7) को कम दर्शाया गया है और ऊर्जा दक्षता निधि (अनुसूची–1) 2.95 करोड़ रुपए अधिक दर्शाई गई है।

उत्तर

ऊपर पैरा 1.1 की टिप्पणी में दिए गए तथ्यों और आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। इस सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि कंर्सोशिया ने मार्च 2017 को 2 वर्ष की अवधि के लिए बिल प्रस्तुत किया था, इसलिए इस राशि को 2015–16 और 2016–17 के खातों में उपयुक्त रूप से हिसाब में लेना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया जाता है कि आगामी खर्चों को विद्युत मंत्रालय दिए गए अनुदान से पूरा किया जाना था। लेखांकन नीति और मंजूरी आदेश के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार, अनुदान सहायता को इस खाते पर रखे गए गौण खातों (बहियों) पर नकद आधार पर उपयुक्त वित्तीय वर्ष के प्राप्ति और अदायगी खातों में लेखांकन किया जाना है। कृपया अनुसूची 24 की मद संख्या–7(ग) को देखें जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी और अन्य अनुदान /उप–सहायता को प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया जाएगा और इन्हें केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान के अन्तर्गत आय के रूप में दर्शाया जाएगा। उपर्युक्त को देखते हुए,चालू देयताएं और प्रावधान कम नहीं दर्शाया गया है और ऊर्जा दक्षता निधि 2.95 करोड़ रुपए तक अधिक नहीं दर्शाई गई है जैसा कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक खातों की अनुसूची 3 में दर्शाया गया है।

1.2 चिन्हित निधि और देयताएं

चालू देयताएं और प्रावधान – 18.54 करोड़ रुपए (अनुसूची 7)

उपर्युक्त में बीईई की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में किए गए कार्य के लिए विभिन्न एजेंसियों (एपिटको लि0, पीसी सोल्यूशन्स प्रा0 लि0, इन्सपायर नेटवर्क फॉर इनवार्यनमेंट, ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि0, साई कम्युनिकेशन्स, टीयूवी एसयूडी साऊथ एशिया प्रा0 लि0, एनपीटीआई, कोयम्बटूर इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन आदि) द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजकों के प्रति 1.27 करोड़ रुपए की देयता शामिल नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची–7) 1.27 करोड़ रुपए कम दर्शाया गया है और चिन्हित निधियां (XIIवीं योजना) (अनुसूची–3) 0.07 करोड़ रुपए और चिन्हित निधियां (अन्य) (अनुसूची–3) 1.20 करोड़ रुपए अधिक दर्शाई गई है।

उत्तर

लेखा–परीक्षा की उपर्युक्त टिप्पणी और 1.27 करोड़ रुपए की कुल राशि लेखा विभाग को 15 मई, 2017 के बाद प्राप्त हुई है ओर उस समय तक वार्षिक खातों को पहल ही अन्तिम रूप दिया जा चुका था। इसलिए इन बिलों को वित्तीय वर्ष 2016–17 के वार्षिक खातों में दर्शाया नहीं गया। अतः इस पैरा को हटा दिया जाए।

ख. **सहायता अनुदान**

139.61 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता (जिसमें पिछले वर्ष की 55.13 करोड़ रुपए का खर्च न किया गया अथ शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त 78.42 करोड़ रुपए की राशि, 5.62 करोड़ रुपए का अर्जित ब्याज तथा 0.44 करोड़ रुपए की अन्य राशि शामिल है), में से बीईई ने वर्ष के दौरान 70.79 करोड़ रुपए की राशि का, विद्युत मंत्रालय को वापस की जाने वाली 5.84 करोड़ रुपए राशि सहित, का उपयोग किया है और इसमे 31 मार्च, 2017 को 68.82 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त राशि बच गई। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान प्राप्त 78.42 करोड़ रुपए की उपर्युक्त अनुदान सहायता में से मार्च, 2017 में 0.59 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

उत्तर

31 मार्च, 2017 को 68.82 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया था। यह व्यय प्रतिबद्ध देयताओं के लिए था, जिसका उपयोग 2017–18 के दौरान किया जाएगा।

उपर्युक्त को देखते हुए, इस टिप्पणी को हटा दिया जाए।

अनुबन्ध–I

{पैरा 4 (vi) में निर्दिष्ट}

क्र.सं.		कमियां	उत्तर
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	बीईई में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग मौजूद नहीं है और आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली भी तैयार नहीं की गई है। आंतरिक लेखा–परीक्षा विद्युत मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा कीजाती है। तथापि वर्श 2016–17के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा पूरी नहीं की गइ हैं। यद्यपि आंतरिक लेखा परीक्षाप्रणाली, बीईई के क्रियाकलापों के आकार और स्वरूप के अनुरूप है, फिर भी बीईई द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली तैयार की जानी आवश्यक है।	आंतरिक लेखा–परीक्षा विद्युत मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) द्वारा की जाती है और वे सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र की उप–विधियों का अनुपालन कर रहा है। बीईई की प्रारूप उप–विधियां तैयार कर ली गई है और ये विद्युत मंत्रालय को अनुमोदन और अधिसूचित करने के लिए भेज दी गई हैं। बीईई द्वारा जीएफआर नियमावली के अनुपालन में ''राज्य अभिहित एजेंसियों (एसडीए) के सुदृढ़ीकरण'' के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से उपयोगिता प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्तन पद्धति को सुदुढ़ बनाना आवश्यक है।	लेखा–परीक्षा टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है।
3.	अचल परिसम्पत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की पद्धति	वर्ष 2016–17 के लिए अचल परिसम्पत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। बीईई अचल परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का भी रखरखाव करता है।	नोट करें: चालू वित्त वर्ष में उचित कार्यवाही की जायेगी।
4.	सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता	बीईई स्वयं पर अनुमेय सांविधिक देय राशियों का भुगतान नियमित रूप से करता है।	वास्तविक स्थिति

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

समग्र निधि और देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऊर्जा संरक्षण निधि	1	4,60,82,99,394	4,10,54,44,116
रिजर्व और अधिशेष	2	1,07,573	1,09,473
निर्धारित/स्थायी निधियां	3	78,48,96,840	65,95,62,924
प्रतिभूत ऋण और उधार	4	-	-
अप्रतिभूत ऋण और उधार	5	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
चालू देयताएं व प्रावधान	7	18,54,29,107	22,21,89,583
जोड़		**5,57,87,32,914**	**4,98,73,06,096**
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	8	1,51,49,655	1,87,66,058
निवेश–निर्धारित/स्थायी निधियों से	9	3,86,41,74,065	3,43,84,12,651
निवेश– अन्य	10	-	-
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व अग्रिम आदि	11	1,69,94,09,194	1,53,01,27,387
विविध व्यय			
(बटटे् खाते या समायोजित न की गई सीमा तक)			
जोड़		**5,57,87,32,914**	**4,98,73,06,096**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांकः 16 मई, 2017
स्थानः नई दिल्ली

के.के. नायर	**मीरा शेखर**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महा निदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
सेवाओं से आय	12	-	-
अनुदान/उप–सहायता	13	-	-
शुल्क/अंशदान	14	4,32,63,862	4,15,21,980
निवेशों से आय (निधियों में निर्धारित/स्थायी निधियों से निवेश पर आय	15	5,41,01,596	5,53,72,954
रॉयल्ओ, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज (निवल)	17	5,30,19,861	5,49,36,227
अन्य आय	18	5,12,595	17,81,545.00
तैयार माल और तैयार किए जा रहे माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति पर	19	-	-
जोड़ (क)		**15,08,97,914**	**15,36,12,706**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	4,76,98,256	4,60,24,495
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	1,55,17,391	2,32,86,379
अन्य व्यय (परियोजना व्यय)	21	1,72,21,646	2,37,23,853
अनुदान/उप–सहायता आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज	23	-	-
मूल्यह्रास	8	16,82,928	22,82,705
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	8	-	-
जोड़ (ख)		**8,21,20,221**	**9,53,17,432**
व्यय से अधिक आय होने पर बकाया (क–ख)		6,87,77,693	5,82,95,274
विशेष रिजर्व में अन्तरण		-	-
सामान्य रिजर्व में/से अन्तरण		-	-
अधिशेष राशि के रूप में शेष राशि को समग निधि मे लाया गया		**6,87,77,693**	**5,82,95,274**
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	25		

दिनांकः 16 मई, 2017
स्थानः नई दिल्ली

के.के. नायर	**मीरा शेखर**	**अभय बाकरे**
वित्त एवं लेखा अधिकारी	सचिव	महा निदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(Amount - ₹) (राशि रूपए में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. आरम्भ शेष				**I. व्यय**			
क) हाथ में नकदी	.		.	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20)	4,74,72,723.00		4,66,14,069.00
ख) बैंक बकाया (अनुसूची –11)				ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21)	1,48,92,138.00	6,23,64,861.00	2,56,24,954.00
i. बचत खाता –बीईई	8,60,93,143.00		13,10,85,460.00				
ii. जमा खाते	55,69,02,031.00		49,78,81,171.00				
iii. बचत खाते – योजना स्कीम	68,09,03,165.00		33,45,10,160.00	**II. विभिन्न परियोजनाओं की निधियों में से किए गए भुगतान (अनुसूची 21)**		96,74,78,189.00	72,69,67,213.00
iv. बचत खाता – (यूनिडो डॉलर खाता)	4,82,86,312.00		4,53,64,065.00				
v. बचत खाता – (यूएनडीपी)	4,85,219.00	1,37,26,69,870.00	11,12,231.00				
II. प्राप्त अनुदान (अनुसूची–3)				**III. किए गए निवेश और जमा राशि**			
क) भारत सरकार से (12वीं योजना)				i. बचत खाता–(पीआरजीएफईई)(अनुसूची–9)	6,50,59,654.00		6,88,10,940.00
बीईई				ii. बचत खाता–(वीसीएफईईई)(अनुसूची–9)	2,60,67,649.00		2,90,49,629.00
i. ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी)	-		3,30,00,000.00	iii. बचत खाता–(मानक और लेबलिंग शूल्क (अनुसूची–9)	33,46,34,111.00	42,57,61,414.00	27,51,42,514.00
ii. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	25,96,00,000.00		10,23,00,000.00				
iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	6,00,00,000.00		8,00,00,000.00				
iv. डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	22,19,00,000.00		13,47,00,000.00	**IV. अचल परिसम्पत्तियों और किए जा रहे पूंजीगत कार्य पर व्यय**			
ईएपी				**अचल परिसम्पत्तियों की खरीद (अनुसूची–8)**		1,64,871.00	50,59,036.00
i. बीईई–जीईएफ–डब्ल्यूबी–एमएसएमई परियोजना	59,00,000.00		2,00,00,000.00				
ईसी							
i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	23,68,50,000.00		28,00,50,000.00				
ii. राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन	-		23,80,00,000.00				
iii. बचत लैंप योजना (बीएलवाई)	-		10,000,000.00				
iv. अतिदक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	-	78,42,50,000.00	2,00,00,000.00	**V. अधिशेष राशि/ऋणों की वापसी एमओपी/जीओआई को वापस किए गए**		3,16,48,276.00	6,41,64,965.00
अन्य (अनुसूची–3)				**अधिशेष/अनुदानों पर ब्याज (अनुसूची–3 व 7)**			
i. मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	15,00,00,000.00		104,688,689.00				
ii. यूएनडीपी	8,15,00,000.00	23,15,00,000.00	4,07,00,000.00				
III. निवेशो पर आय और अन्य प्राप्तियां				**VI. अन्य भुगतान**			
क) i. उद्दिष्ट निधियां (निकाय–बीईई) (अनुसूची–15)	4,24,00,000.00		4,24,00,000.00	i. पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	5,00,813.00		310,174.00
ii. उद्दिष्ट निधियां (निकाय–एनएमईईई) (अनुसूची–15)	1,24,90,553.00		1,35,62,346.00	ii. वीसीएफईई (अनुसूची–1)	4,56,405.00		10,885.00
iii. पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	6,55,55,467.00		6,91,16,914.00	iii. मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) (अनुसूची–1)	12,22,86,399.00		104,688,689.00
iv. वीसीएफईई (अनुसूची–1)	2,65,24,054.00	14,69,70,074.00	2,90,60,514.00	iv. निवेश खातें में वापसी (एस एण्ड एल कार्यक्रम) (अनुसूची–3)	2,77,13,601.00	1,50,957,218.00	
ख) उद्दिष्ट निधियां							
12वीं योजना (अनुसूची–3)				अग्रिम (अनुसूची–11)			
बीईई				अजय त्रिपाठी	58,612.00		-
i. ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता (ईसीबीसी)	17,41,445.00		14,18,922.00	अशोक कुमार	55,477.00		-
ii. राज्य अभिहित अभिकरणों (एसडीए) का सुदृढ़ीकरण	56,90,905.00		9,77,615.00	एस.के. खंदारे	41,281.00		-
iii. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ)	8,40,189.00		22,88,939.00	विशाल मेहता	9,988.00		
iv. राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एचआरडी)	11,83,721.00		12,28,506.00	द ताज महल होटल	-	1,65,358.00	50,000.00
v. लघू व मध्यम उद्यम (एसएमई)	26,04,072.00		29,34,604.00				
vi. कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी डीएसएम)	5,23,237.00		7,55,886.00				
vii. नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)	3,72,387.00		5,22,187.00				
viii. डस्कॉम्स का क्षमता निर्माण	96,78,731.00	2,26,34,687.00	47,70,524.00				
आगे ले जाया गया		**2,55,80,24,631.00**	**2,24,24,28,733.00**	**आगे ले जाया गया**		**1,63,85,40,187.00**	**1,34,64,93,068.00**

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पिछला जोड़		2,558,024,631.00	2,242,428,733.00	पिछला जोड़		1,63,85,40,187.00	1,34,64,93,068.00
ईएपी				अन्य भुगतान			
i. बीईई–जीईएफ–डब्ल्युबी–एमएसएमई परियोजना	8,59,835.00		7,44,657.00	अप्रदत्त चैक (अनुसूची–7)			
ईसी				पार्थ बैनर्जी	13,429.00		-
i. ऊर्जा संरक्षण जागरूकता	1,30,15,353.00		32,40,721.00	तान्या पाण्डेय .		13,429.00	10,000.00
ii. राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन	1,71,25,551.00		91,63,867.00				
iii. बचत लैंप योजना (बीएलवाई)	7,27,317.00		3,27,815.00				
iv. अतिदक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	18,09,233.00	3,35,37,289.00	10,18,668.00				
अन्य				अन्य चालू देयताएं (अन्य) (अनुसूची–7)			
i. मानक और लेबलिंग (एसएंडएल)	34,55,286.00		26,61,871.00	ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि.		-	2,27,080.00
ii. यूएनडीपी	13,33,505.00		2,65,925.00	देय छुट्टी नकदीकरण अंशदान			
iii. यूनीडो .		47,88,791.00	29,22,247.00				
IV. प्राप्त ब्याज				प्रतिभूति निक्षेप (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)			
क) बैंक निक्षेपों पर (अनूसूची –11 व 17)	5,35,29,105.00		5,40,39,833.00	बंदना राय (एस.के. खंदारे – पट्टा किराया)		-	52,000.00
ख) बैंक निक्षेपों पर (मानक और लेबलिंग) (अनूसूची–1 व 11)	12,10,45,777.00		11,56,44,045.00				
ग) बचत खाता (अनूसूची–17)	4,22,529.00		3,29,567.00				
घ) अन्य (अनूसूची–17)	2,11,055.00	17,52,08,466.00	-				
V. अन्य आय				अन्य प्राप्तियां (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)			
विविध आय (प्रोसेसिंग शुल्क व आरटीआई शुल्क) (अनुसूची–18)	5,12,595.00		3,25,452.00	ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि.		-	3,00,00,000.00
ईसीबीसी पुस्तकों की बिक्री (अनुसूची–3)	23,450.00		5,650.00				
परीक्षा निधि 2015/16वीं परीक्षा (अनुसूची–7 व 14)	-		4,14,54,980.00				
परीक्षा निधि 2016/17वीं परीक्षा (अनुसूची–7 व 14)	4,32,41,862.00		-				
ऊर्जा लेखा–परीक्षा प्रत्यायन शूल्क (अनुसूची–14)	22,000.00	4,37,99,907.00	67,000.00				
VI. अन्य कोई प्राप्तियां				प्रतिभूति निक्षेप (देयताएं)			
भवन लेबलिंग शुल्क–ईसीबीसी (अनुसूची–1)	4,00,000.00		5,00,000.00	चन्द्र प्रभु ऑफसेट प्रिन्टिंग वर्क्स	-		45,000.00
बोली प्रोसेसिंग शुल्क–पीआरजीएफईई (अनुसूची–1)	5,000.00		-	करंट प्रिन्ट प्रॉडक्शन्स प्रा. लि.	-		5,89,870.00
ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि. (एसएण्डएल) (अनुसूची–3 व 11)	30,000,000.00		15,52,501.00	सर्बजीत टूरस एण्ड ट्रेवल्स	-		29,767.00
डाकपाल (डाक टिकटें) (अनुसूची–11)	2,244.00		4,018.00	सोनेक्स प्रिन्ट	-		40,250.00
जांच परीक्षण उपस्कर (अनुसूची–प्प्)	2,72,711.00		-	विन्टेक्स अपारेल लि.	-	-	3,80,250.00
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री)	24,413.00		22,070.00				
मानक और लेबलिंग (पंजीकृत/लेबलिंग शुल्क) (अनूसूची –1व 9)	33,58,74,733.00		26,41,87,158.00				
यूएनडीपी	71,18,673.00						
एसडीए/एजेंसियों से अनुप्रयुक्त राशियों की वापसी				बयाना राशि वापसी (अनुसूची–7)			
छत्तीसगढ़ राज्य विकास एजेंसी (विद्यार्थी जागरूकता) (अनूसूची–3)	21,10,000.00		-	चन्द्र प्रभु ऑफसेट प्रिन्टिंग वर्क्स	-		50,000.00
राजस्थान राज्य विकास एजेंसी (एसडीए) (अनूसूची–3)	20,00,000.00	37,78,07,774.00	-	करंट प्रिन्ट प्रॉडक्शन्स प्रा. लि.	50,000.00		50,000.00
				कूल पाइंट एयरकंडिशनर्स	14,200.00		-
व्यपगत होने के कारण पुरांकित चेक				एनफारजी सोल्यूशन्स	25,300.00		-
अप्रदत्त चेक (अनुसूची–7)		1,83,922.00	1,24,485.00	जागरण सोल्यूशन्स .			50,000.00
				कात्यायनी एनर्जी सोल्यूशन्स	27,480.00		-
अन्य चालू देयताएं (अन्य) (अनुसूची–7)				एनआईआईटी टेकनोलॉजी लि.	-		5,00,000.00
कर्मचारियों को देय				प्रणत इंजीनियर्स प्रा. लि.	50,000.00		1,00,000.00
अजय माथुर	11,13,900.00			आरईसी .			2,00,000.00
संजय सेठ	8,16,328.00			सारा प्रिन्टिंग एण्ड एंडवरटाइजिंग	50,000.00		-
ईपीएफ देय खाता				एसजीएस इण्डिया प्रा. लि.	-		5,00,000.00
डी. हरिकृष्णन	-		2,83,589.00	सोनेक्स प्रिन्ट्स	-	216,980.00	25,000.00
के.के. चक्रवर्ती	-		8,95,984.00				
मंजू मेहता	-		54,696.00				
ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि.	-		90,832.00				
देय छुट्टी नकदीकरण अंशदान		19,30,228.00					
आगे ले जाया गया		3,19,52,81,008.00	2,742,356,364.00	आगे ले जाया गया		1,63,87,70,596.00	1,37,93,42,285.00

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रूपए में)

प्राप्तियां	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	पिछला जोड़	3,195,281,008.00	2,742,356,364.00	पिछला जोड़		1,638,770,596.00	1,379,342,285.00
बयाना राशि जमा (अनुसूची–7)				VII. अन्त शेष (अनुसूची–11)			
6ठी पी. मार्किटिंग	50,000.00		-	क) हाथ में नकदी			
एडवेज	50,000.00		-	ख) बैंक शेष			
चन्द्रा इंजीनियर्स	24,860.00		-	i. बचत खाते –बीईई	145,011,800.00		86,093,143.00
क्रॉम्प्टन्स ग्रीव्स			2,00,000.00	ii. निक्षेप खाते	616,066,041.00		556,902,031.00
करंट प्रिन्ट प्रॉडक्ट्स प्रा0 लि0			50,000.00	iii. बचत खाते – योजना स्कीम	758,830,620.00		680,903,165.00
अर्नस्ट एण्ड यंग	1,00,000.00		-	iv. बचत खाता – यूनीडो डालर खाता	47,120,328.00		48,286,312.00
फिक्की	1,00,000.00		-	v. बचत खाता – (यूएनडीपी)	264,483.00	1,567,293,272.00	485,219.00
आईसीएफ कन्सल्टिंग	1,00,000.00						
जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स	1,00,000.00		-				
लॉयड इन्सुलेशन	50,000.00		-				
लुकास टीवी	-		2,00,000.00				
मां भारती वाटर	2,000.00		-				
मस्जिद नर्सरी	-		5,000.00				
माइक्रो इन्स्ट्रुमेंट्स	-		200,000.00				
न्यू फ्रिक इण्डिया	3,000.00		-				
ओरिएंट इलैक्ट्रिक	-		2,00,000.00				
प्रनत इंजीनियर्स	-		50,000.00				
प्राइस वाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्युसी)	250,000.00		-				
साई कम्युनिकेशन	3,000.00		-				
सारा प्रिन्टिंग एण्ड एडवरटाइजिंग	-		50,000.00				
सहेज राम प्रिन्टर्स	-		1,000.00				
सिडबी	-		2,00,000.00				
सोनेक्स प्रिन्ट पैक प्रा. लि.	50,000.00		-				
एस.एस. ट्रेडर्स	2,000.00		-				
दि एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट	150,000.00		-				
टीयूवी एसयूडी साऊथ एशिया 550ए000ए00		-					
उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज	-		2,00,000.00				
वर्सा ड्राइव्स	-		2,00,000.00				
यश इन्टरनेशनल	-	1,584,860.00	2,00,000.00				
प्रतिभूति निक्षेप (देयताएं)							
आयुष टुर एण्ड ट्रेवल्स	200,000.00		-				
एनर्जी सोल्यूशन्स प्रा. लि.	-		25,300.00				
कल्याणी एनर्जी सोल्यूशन	-		27,480.00				
प्राइस वाटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यसी)	547,000.00		-				
रेनबो ग्राफिक्स	-		2,000.00				
रेलटल कारपोरेशन	-		46,731.00				
सक्षम ऑफिस आटोमेशन	-	747,000.00	5,000.00				
प्रतिभूति निक्षेप (देयताएं)							
मानक व लेबलिंग (एसएण्डएल) (अनुसूची–7)		8,450,000.00	77,05,000.00				
प्रतिभूति निक्षेप (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)							
अर्जुन छटवानी (विनीता कंवल)			11,560.00				
बलविन्दर कौर (गिरिजा शंकर–पट्टा किराया)	-		30,000.00				
शकुन्तला (एस.के. खंदारे –पट्टा किराया)	-	-	46,720.00				
अन्य प्राप्तियां (परिसम्पत्तियां) (अनुसूची–11)							
अरविन्द कुमार रे	200.00		-				
भोपाल सिंह	200.00		-				
हरीश चन्द	200.00		-				
मदन मोहन	200.00		-				
विवेक	200.00	1,000.00	-				
जोड़		3,20,60,63,868.00	2,75,20,12,155.00	जोड़		3,20,60,63,868.00	2,75,20,12,155.00

दिनांक: 16 मई, 2017
स्थान: नई दिल्ली

के.के. नायर
वित्त एवं लेखा अधिकारी

मीरा शेखर
सचिव

अभय बाकरे
महा निदेशक

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार तुलन–पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनूसूची 1 – ऊर्जा संरक्षण निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. निकाय निधि				
वर्ष के आरम्भ में बकाया	500000000		500000000	
निकाय निधि में अंशदान	150000000	650000000	150000000	650000000
(निकाय निधि में वृद्धि)				
2. मानक एवं लेबलिंग शुल्क (एस एण्ड एल)				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	1532196419		1254319333	
घटाएं: वर्ष के दौरान योजना में अन्तरित निधि	122286399		104688689	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	335874733		264286659	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	128961948	1874746701	118279116	1532196419
3. भवन और लेबलिंग शुल्क				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	1400000		900000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	400000	1800000	500000	1400000
4. पीआरजीएफईई				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	939910218		871099278	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय	500813		305974	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	5000		-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	65555467	1004969872	69116914	939910218
5. वीसीएफईई				
आगे ले जाया गया आरम्भ शेष	394797932		365748303	
घटाएं: वर्ष के दौरान व्यय	456405		10885	
जोड़ें: वर्ष के दौरान ब्याज	26524054	420865581	29060514	394797932
6. व्यय की तुलना मे अधिक आय का आरम्भ शेष	587139547		528844273	
जोडें: आय एवं व्यय खाते से अन्तरित निवल				
आय का शेष	68777693	655917240	58295274	587139547
वर्ष के अन्त में बकाया		**4608299394**		**4105444116**

अनूसूची 2 – रिजर्व और अधिशेष निधि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी {वस्तु के रूप में अनुदान (यूएसआईडी)}–बीईई				
पिछले खाते के अनुसार	109473		111707	
वर्ष के दौरान वृद्धि				
घटाएं: अनुदान के अधीन परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास	1900	107573	2234	109473
2. पुनर्मूल्यांकन रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
3. विशेष रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
4. सामान्य रिजर्व				
पिछले खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-
जोड		**107573**		**109473**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची–3

(राशि रूपए में)

अनुसूची 3 – निर्धारित निधियां (XIIवीं योजना)	उपकरणों, भवनों और दक्षता अनुसंधान केन्द्र के लिए मानक, संहिताएं और लेबलिंग				ऊर्जा दक्षता के लिए राज्य अभिहित अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण						मांग पक्ष प्रबंधन (कृषि, नगरपालिका और एसएमई)								बीईई–जीईएफ–डब्ल्यू एमएसएमई परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)		ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता स्कीम		राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)						कुल	
	मानक और लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल)		ऊर्जा संरक्षण भवन निर्माण संहिता और मौजूदा भवन (ईसीबीसी)		एसडीए सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (एसडीए)		राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि में योगदान		एचआरडी कार्यक्रम		अभिहित उपभोक्ता और एसएमई		कृषि मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी.डीएसएम)		नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)		डिस्कॉम्स का क्षमता निर्माण		बीईई–जीईएफ–डब्ल्यू एमएसएमई परियोजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना)		ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता स्कीम		राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईई)		बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)		अतिदक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)		कुल	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क. नकद में अनुदान																														
क) निधियों का आरम्भ शेष	-	-	29083718	13230292	4763290	5712129	-	-	18785000	18785000	43748435	46426431	8746753	23454031	6885354	8779394	31825451	13263507	19067290	8949882	66151243	20790531	281835754	73561332	11542122	1962763	28820479	9031239	551254889	243946531
ख) निधियों में वृद्धि																														
i. दान/अनुदान	-	-	-	33000000	259600000	102300000	60000000	80000000	-	-	-	-	-	-	-	-	221900000	134700000	5900000	20000000	236850000	280050000	-	238000000	-	10000000	-	20000000	784250000	918050000
ii. निधियों के कारण किए गए निवेशे पर आय	-	-	1741445	1418922	5690905	977615	840189	2288939	1183721	1228506	2604072	2934604	523237	755886	372387	522187	9678731	5025889	859835	744657	13015353	3240721	17125551	9163867	727317	327815	1809233	1018668	56171976	29648276
iii. अन्य वृद्धि/उपयोग न किए गए अनुदान की वापसी	272711	-	23450	5650	2000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2110000	-	24413	22070	-	-	-	-	4430574	27720
जोड़ (क+ख)	**272711**	**-**	**30848613**	**47654864**	**272054195**	**108989744**	**60840189**	**82288939**	**19968721**	**20013506**	**46352507**	**49361035**	**9269990**	**24209917**	**7257741**	**9301581**	**263404182**	**152989396**	**25827125**	**29694539**	**318126596**	**304081252**	**298985718**	**320747269**	**12269439**	**12290578**	**30629712**	**30049907**	**1396107439**	**1191672527**
ग) निधियों के प्रयोजन से उपयोग/व्यय																														
i. पूंजीगत व्यय																														
– अचल परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– जांच परीक्षण उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. राजस्व व्यय																														
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	1285234	1220398	1069797	977068	-	-	-	-	2362700	1370665	-	901200	1617390	1485103	-	-	5820602	5543427	816746	1093748	6993373	5052096	-	417791	-	-	19965842	18061496
– अन्य प्रशासनिक/परियोजना व्यय	-	-	1071394	15913826	245527584	102271771	60000000	80000000	-	-	8201656	1307331	861798	13806078	647708	408937	56018538	116138056	5914620	4339165	217815382	233595540	33225988	24695552	-	2850	197530	210760	629482198	592689866
– विद्युत मंत्रालय को वापस किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– विद्युत मंत्रालय को वापस अदा की अनुप्रयुक्त राशि (ब्याज सहित)	272711	-	1741445	1418922	7690905	977615	840189	2288939	1183721	1228506	2604072	2934604	523237	755886	372387	522187	9678731	5025889	859835	744657	13015353	3240721	17125551	9163867	727317	327815	1809233	1018668	58444687	29648276
– अन्य (ईसीबीसी मैनुअलों की बिक्री से आय – विद्युत मंत्रालय को वापसी)	-	-	29100	18000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29100	18000
जोड़	272711	-	4127173	18571146	254288286	104226454	60840189	82288939	1183721	1228506	13168428	5612600	1385035	15463164	2637485	2416227	65697269	121163945	12595057	10627249	231647481	237930009	57344912	38911515	727317	748456	2006763	1229428	707921827	640417638
जोड़ (ग)	272711	-	4127173	18571146	254288286	104226454	60840189	82288939	1183721	1228506	13168428	5612600	1385035	15463164	2637485	2416227	65697269	121163945	12595057	10627249	231647481	237930009	57344912	38911515	727317	748456	2006763	1229428	707921827	640417638
आय व व्यय खातें में अन्तरित राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क)	**-**	**-**	**26721440**	**29083718**	**17765909**	**4763290**	**-**	**-**	**18785000**	**18785000**	**33184079**	**43748435**	**7884955**	**8746753**	**4620256**	**6885354**	**197706913**	**31825451**	**13232068**	**19067290**	**86479115**	**66151243**	**241640806**	**281835754**	**11542122**	**11542122**	**28622949**	**28820479**	**688185612**	**551254889**
ख) वस्तु के रूप में अनुदान																														
क) निधियों का आरम्भ शेष	4391751	4455979	-	-	1230	1964	-	-	-	-	466	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5982711	4337053	-	-	-	-	10376158	8795578
ख) निधियों में वृद्धि																														
i. दान/अनुदान (ब्याज आय से अधिगृहीत लेपटॉप)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों के कारण किए गए निवेशों से आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIवीं योजना से अन्तरित अन्य वृद्धियां/परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3856545	-	-	-	-	-	3856545
जोड़ (क+ख)	**4391751**	**4455979**	**-**	**-**	**1230**	**1964**	**-**	**-**	**-**	**-**	**466**	**582**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5982711**	**8193598**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10376158**	**12652123**
ग) निधियों के प्रयोजन से उपयोग/व्यय																														
i. पूंजीगत व्यय																														
– अचल परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– जांच परीक्षण उपकरणों की बिक्री/हानि	597479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	1750	-	-	-	-	598179	1750
जोड़	597479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	1750	-	-	-	-	598179	1750
ii. राजस्व व्यय																														
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय (मूल्यह्रास)	55731	64228	-	-	293	734	-	-	-	-	47	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900129	2209137	-	-	-	-	1956200	2274215
जोड़	**55731**	**64228**	**-**	**-**	**293**	**734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47**	**116**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1900129**	**2209137**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1956200**	**2274215**
जोड़ (ग)	**653210**	**64228**	**-**	**-**	**293**	**734**	**-**	**-**	**-**	**-**	**47**	**116**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1900829**	**2210887**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2554379**	**2275965**
वर्ष के अन्त में निवल शेष (ख)	**3738541**	**4391751**	**-**	**-**	**937**	**1230**	**-**	**-**	**-**	**-**	**419**	**466**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4081882**	**5982711**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7821779**	**10376158**
सकल जोड़ (क+ख)	**3738541**	**4391751**	**26721440**	**29083718**	**17766846**	**4764520**	**-**	**-**	**18785000**	**18785000**	**33184498**	**43748901**	**7884955**	**8746753**	**4620256**	**6885354**	**197706913**	**31825451**	**13232068**	**19067290**	**86479115**	**66151243**	**245722688**	**287818465**	**11542122**	**11542122**	**28622949**	**28820479**	**696007391**	**561631047**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार तुलन–पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रूपए में)

अनुसूची 3 – निर्धारित निधियां (अन्य)	वाणिज्यिक भवन के लिए यूएनडीपी–जीईएफ–बीईई		यूएनडीपी–जीईएफ–बीईई परियोजन		मानक व लेबलिंग कार्यक्रम		जोड़	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. नकद अनुदान								
क) निधियों का अथ शेष	485219	1051276	95537003	113357238	-	22666408	96022222	137074922
ख) निधियों में वृद्धि								
i. दान/अनुदान	81500000	40700000	-	-	150000000	127333592	231500000	168033592
ii. निधियों में से किए गए निवेशों पर आय	1333505	265925	-	-	3455286	2661871	4788791	2927796
iii. अन्य वृद्धि/जांच परीक्षग उपकरणों की बिक्री	-	-	-	2922247	-	-	-	2922247
जोड़ (क+ख)	**83318724**	**42017201**	**95537003**	**116279485**	**153455286**	**152661871**	**332311013**	**310958557**
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
– अचल परिसम्पत्तियो	-	-	-	-	-	-	-	-
– जांच परीक्षग उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ii. राजस्व व्यय								
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	6819354	5227500	3687826	3220693	10507180	8448193
– अन्य प्रशासनिक और परियोजना व्यय	83115202	41531982	1800835	15514982	122053859	126796275	206969896	183843239
– वापस की गई राशि	-	-	-	-	27713601	22644903	27713601	22644903
जोड़	83115202	41531982	8620189	20742482	153455286	152661871	245190677	214936335
जोड़ (ग)	83115202	41531982	8620189	20742482	153455286	152661871	245190677	214936335
आय और व्यय खाते में अन्तरित	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
वर्ष के अन्त में निवल बकाया (क)	**203522**	**485219**	**86916814**	**95537003**	**-**	**-**	**87120336**	**96022222**
ख. वस्तु के रूप में अनुदान								
क) नधियों का अथ शेष	-	-	234237	585592	1675418	1675418	1909655	2261010
ख) निधियों में वृद्धि								
i. दान/अनुदान (ब्याज आय से अधिगृहीत लेपटॉप)	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. निधियों में से किए गए निवेशों पर आय	-	-	-	-	-	-	-	-
iii. अन्य वृद्धि/परिसम्पत्तियां/निधि अन्तरण	-	-	-	-	-	-	-	-
iv. जांच परीक्षग उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ (क+ख)	**-**	**-**	**234237**	**585592**	**1675418**	**1675418**	**1909655**	**2261010**
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग/व्यय								
i. पूंजीगत व्यय								
– अचल परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-
– जांच परीक्षग उपकरण (हस्तगत स्टॉक)	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ii. राजस्व व्यय								
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-	-	-
– अन्य प्रशासनिक ओर परियोजना व्यय	-	-	140542	351355	-	-	140542	351355
जोड़	**-**	**-**	**140542**	**351355**	**-**	**-**	**140542**	**351355**
जोड़ (ग)	**-**	**-**	**140542**	**351355**	**-**	**-**	**140542**	**351355**
वर्ष के अन्त में निवल बकाया (ख)	**-**	**-**	**93695**	**234237**	**1675418**	**1675418**	**1769113**	**1909655**
सकल जोड़ (क+ख)	**203522**	**485219**	**87010509**	**95771240**	**1675418**	**1675418**	**88889449**	**97931877**
						प्लान	**696007391**	**561631047**
						अन्य	**88889449**	**97931877**
						जोड़	**784896840**	**659562924**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 9 – चिह्नित/धर्मस्व निधियों से निवेश	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्रीय सरकार		-		-
2. राज्य सरकार		-		-
3. वित्तीय संस्थान				
क) सावधि ऋण	-		-	
ख) प्रोदभूत परन्तु देय नहीं ब्याज	-	-	-	-
4. बैंक				
क) सावधि ऋण	-		-	
– प्रोदभूत परन्तु देय नहीं ब्याज	-		-	
ख) अन्य ऋण	-		-	
– प्रोदभूत परन्तु देय नहीं ब्याज	-	-	-	-
5. अन्य संस्थान ओर एजेसियां		-		-
6. डिबेंचर और बांड		-		-
7. अन्य		-		-
जोड़		**-**		**-**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसची 5 – अप्रतिभूत ऋण ओर उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्रीय सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण	-	-
5. अन्य संस्थान ओर एजेसियां	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. स्थायी सावधि जमा	-	-
8. अन्य	-	-
जोड़	-	-

(राशि रुपए)

अनुसची 6 – अप्रतिभूत ऋण ओर उधार	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजीगत अपकरण और अन्य परिसम्पत्तियों को गिरवी रखकर सुरक्षित स्वीकृति	-	-
ख) अन्य	-	-
जोड़	-	-

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 9 – चिह्नित/धर्मस्व निधियों से निवेश	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू देयताएं				
फुटकर ऋणदाता				
फुटकर ऋणदाता (अन्य)	20653243		106752107	
फुटकर ऋणदाता (विद्युत मंत्रालय)	56482243	77135486	29656732	136408839
धरोहर जमा राशि		5189645		3754785
बयाना राशि जमा		3369154		2689134
प्रतिभूति निक्षेप				
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग)	8875000		7800000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (एयरकंडिशनिंग)	2750000		2750000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (लाइटिंग)	5450000		5050000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (रेफरिजरेशन)	20325500		19975500	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (ट्रांसफार्मर्स)	225000		225000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (ब्लास्ट)	6600000		5475000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (छत के पंखे)	1175000		1175000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (कम्प्यूटर)	4025000		2250000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (सीटीवी)	100000		100,000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (डीजी सैट)	1280000		1205000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (गैस स्टोव)	225000		225000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (गीजर)	100000		100000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (इन्वर्टर)	925000		600,000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (एलईडी लैम्प)	500000		500000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (एलपीजी गैस)	1200000		1050000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (मोटर्स)				
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (कार्यालय स्वचालन उत्पाद)	100000		100000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (पम्प)	14025000		12800000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (वाशिंग मशीन)	300000		300000	
प्रतिभूति निक्षेप – (मानक और लेबलिंग) (वाटर हीटर)	15550000	83730500	13600000	75280500
शुल्क एवं कर		4470549		1820151
अन्य चालू देयताऐं		11533773		2196568
जोड़ (क)		**185429107**		**222149977**
ख. प्रावधान				
1. कराधान के लिए		-		-
2. ग्रेचुअटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन (अवकाश वेतन/प्रतिनियुक्ति पदधारकों के लिए पेशन अंशदान				
एजी (उड़ीसा) भुवनेश्वर	-		39606	
निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान	-	-	-	39606
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		-	-	
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-	-	
जोड़ (ख)		-		39606
जोड़ (क, ख)		**185429107**		**222189583**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

क्र. सं.	अनुसूची 8 – अचल परिसम्पत्तियों के विवरण	मूलयह्रास की दर	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास ब्लॉक					निवल ब्लॉक	
			01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री	समायोजन	31.03.2017 को	01.04.2017 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	बिक्री	समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो														
(ए)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फर्नीचर व फिस्सचर	10%	1,49,37,814	1,28,806		-	1,50,66,620	72,61,596	7,68,127		-	80,29,723	70,36,897	76,76,218
4	कार्यालय उपस्कर	15%	1,02,68,528	37,061		1,25,265	1,01,80,324	68,11,125	4,99,649		(77,616)	72,33,158	29,47,166	34,57,403
5	वाहन	15%	21,24,591	-		-	21,24,591	18,79,351	36,786		-	19,16,137	2,08,454	2,45,240
6	कम्प्यूटर	60%	2,51,87,635	1,25,265		-	2,53,12,900	2,44,24,644	3,46,798		77,616	2,48,49,058	4,63,842	7,62,991
(बी)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	कम्प्युटर सॉफअवेयर	60%	2,97,12,881	-		-	2,97,12,881	2,96,60,231	31,568		-	2,96,91,799	21,082	52,650
	जोड़		**8,22,31,449**	**2,91,132**	**-**	**1,25,265**	**8,23,97,316**	**7,00,36,947**	**16,82,928**		**-**	**7,17,19,875**	**1,06,77,441**	**1,21,94,502**
	वस्तु के रूप में अनुदान के अधीन परिसम्पत्तियां													
(ए)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	भूमि		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
2	भवन		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
3	फर्नीचर व फिस्सचर	10%	5,00,845	-	-	-	5,00,845	36,402	46,444	-	-	82,846	4,17,999	4,64,443
4	कार्यालय उपस्कर	15%	87,71,097	-	-	99,604	86,71,493	52,20,241	5,12,149	-	(59,873)	56,72,517	29,98,976	35,50,856
5	वाहन	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	कम्प्यूटर	60%	95,78,615	99,604	80,593	-	95,97,626	77,37,510	11,11,031	80,015	59,873	88,28,399	7,69,227	18,41,105
(बी)	मूर्त परिसम्पत्तियां													
1	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	60%	1,00,99,702	-	17,058	-	1,00,82,644	93,84,550	4,29,018	16,936	-	97,96,632	2,86,012	7,15,152
	जोड़		**2,89,50,259**	**99,604**	**97,651**	**99,604**	**28,852,608**	**2,23,78,703**	**20,98,642**	**96,951**	**-**	**2,43,80,394**	**44,72,214**	**65,71,556**
	सकल जोड़		**11,11,81,708**	**3,90,736**	**97,651**	**2,24,869**	**11,12,49,924**	**9,24,15,650**	**37,81,570**	**96,951**	**-**	**9,61,00,269**	**1,51,49,655**	**1,87,66,058**
	पिछला वर्ष		**10,61,43,590**	**51,35,769**	**97,651**		**11,11,81,708**	**8,76,01,042**	**49,10,509**		**95,901**	**9,24,15,650**	**1,87,66,058**	**1,85,42,548**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 9 – चिह्नित/धर्मस्व निधियों से निवेश		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		.	.
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		.	.
3. शेयर		.	.
4. निकाय निधि			
i. एनटीपीसी के बांड (20 वर्ष)	500000000		500000000
ii. विजया बैंक– एफडीआर (निकाय निधि में संवर्धना)	150000000	650000000	150000000
5. सहायक कम्पनियां और संयुक्त उद्यम		.	.
6. अन्य			
विजया बैंक – पीआरजीएफईई	1004969872		939910218
विजया बैंक – वीसीएफईई	420865581		394797932
विजया बैंक – मानक व लेबलिंग शुल्क	1788338612		1453605001
विजया बैंक – हाथ में चैक	.	3214174065	99500
जोड़		**3864174065**	**3438412651**

(राशि रुपए)

अनुसूची 10 – निवेश – अन्य		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		.	.
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		.	.
3. शेयर		.	.
4. डिबेंचर और बांड		.	.
5. सहायक कम्पनियां और संयुक्त उद्यम		.	.
6. अन्य		.	.
जोड़		.	.

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसम्पत्तियां				
I. हाथ में नकदी		-		-
II. बैंक खते				
क) अनुसूचित बैंकों में				
. – चालू खातों में				
बीईई (यूनीडो यूएसडी खता – विजया बैंक, दिल्ली)	47120328		48286312	
.अनुसूचित बैंकों में एफडीआर (विजया बैंक)	616066041		556902031	
– बचत खातों में				
बीईई (विजया बैंक बचत व सवीप खता – बीईई)	144713298		85673287	
बीईई (विजया बैंक बचत व सवीप खता – योजना स्कीम)	758830620		680903165	
बीईई (आईओबी, चैन्नई)	50000		50000	
बीईई (आईओबी, दिल्ली)	248502		369856	
बीईई (यूनीडो यूएसडी परियोजना – विजया बैंक, दिल्ली)	264483	1567293272	485219	1372669870
III. हाथ में डाक टिकटें		24355		5660
IV. जाँच परीक्षण उपकरण (मानक व लेबलिंग परियोजना)		5226251		5823730
जोड़ (11क)		**1572543878**		**1378499260**

(राशि रुपए)

अनुसूची 11– चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां				
I. अन्य अग्रिम				
एम एण्ड एम टेक्नॉलोजीज प्रा. लि.	-		575312	
दि ताज महल होट	-		50000	
वरिष्ठ डाकपाल	1967	1967	2244	627556
II. स्टॉफ अग्रिम				
वरिष्ठ डाकपाल क) फ्रेटस		3000		-
III. अन्य निक्षेप (प्रतिभूति निक्षेप)				
भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस–सदस्यता प्रतिभूति निक्षेप)	10000		10000	
पैट्रोल पम्प में निक्षेप (लक्ष्मी सुपर सर्विसिस)	10000		10000	
प्रतिभूति निक्षेप (हच – सतीश सबरवाल)	250		250	
प्रतिभूति निक्षेप (पट्टा किराया–बंदना राय–एस के खंडेरे)	52000		52000	
प्रतिभूति निक्षेप (पट्टा किराया–गोपेन्द्र सिंह–मिलिंद बी देवडे)	50000		50000	
प्रतिभूति निक्षेप (पट्टा किराया–अर्जुन छटवानी–विनीता कंवल)	30000		30000	
सेवा कर प्राधिकरण (अपील के प्रति निक्षेप)	6116960	6269210	6116960	6269210
IV. प्रोदभूत आय				
निवेशों/सावधि जमा रसीदों पर				
i. बीईई	28492637		29635465	
ii. एनएमईई	5486513		6275470	
iii. एस एण्ड एल	86408089	120387239	78491918	114402853
IV. अन्य प्राप्तियोग्य राशियां				
अजय त्रिपाठी	58612		-	
अरविंद कूमार रे	-		200	
अशोक कुमार	55477		-	
भोपाल सिंह	-		200	
मुख्य डाकपाल, दिल्ली जीपीओ	-		11653	
ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि. (पैट)	-		255365	
ऊर्जा दक्षता सेवाएं लि.	-		30000000	
हरीश चन्द्र शर्मा	-		200	
मदन मोहन प्रसाद	-		200	
एस के खंडेरे	41281		-	
विशाल मेहता	9988		-	
विवेक	-	165358	200	30268018
VI. पूर्व प्रदत्त व्यय				
पूर्व प्रदत्त व्यय (कम्प्यूटर)	11102		25487	
पूर्व प्रदत्त व्यय (इंटरनेट)	-		10117	
पूर्व प्रदत्त व्यय (रखरखाव – फ्रेकिंग मशीन)	15716		12950	
पूर्व प्रदत्त व्यय (स्टाफ कार बीमा)	11724	38542	11936	60490
जोड़ (11ख)		**126865316**		**151628127**
जोड़ (11क+11ख)		**1699409194**		**1530127387**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनूसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. बिक्रियों से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	.	.
ख) कच्चे माल की बिक्री	.	.
ग) रद्दी की बिक्री	.	.
2. सेवाओं से आय		
क) मजदूरी और प्रोसेसिंग प्रभार	.	.
ख) व्यावसायिक /परामर्शकारी सेवाएं	.	.
ग) एजेंसी कमीशन व दलाली	.	.
घ) रखरखाव सेवाएं (उपस्कर/सम्पत्ति)	.	.
ङ) अन्य	.	.
जोड़	.	.

(राशि रुपए)

अनूसूची 13 – अनुदान/उप–सहायता	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(प्राप्त स्थिर अनुदान व उप–सहायता)		
1. भारत सरकार	.	.
2. राज्य सरकार (सरकारें)	.	.
3. सरकारी एजेंसियां	.	.
4. संस्थान/कल्याण निकाय	.	.
5. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन	.	.
जोड़	.	.

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 14 – शुल्क/अभिदान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रविष्टि शुल्क	.	.
2. वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाण परीक्षा–2015/16वीं परीक्षा)	.	.
3. वार्षिक शुल्क (राष्ट्रीय स्तर प्रमाण परीक्षा–2016/17वीं परीक्षा)	43241862	41454980
4. ऊर्जा लेखा–परीक्षा प्रत्यायन शुल्क	22000	67000
जोड़	**43263862**	**41521980**

(राशि रुपए)

	निर्धारित निधियों में निवेश		निवेश–अन्य	
अनुसूची 15 – निवेशों से आय	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(निवेशों पर आय–निधियों में अन्तरित चिह्नित/धर्मस्व निधियों से)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	.	.	.	.
ख) अन्य बांड (एनटीपीसी – निकाय निधि)	42400000	42400000	.	.
ग) एफडीआर (विजया बैंक – निकाय निधि)	11701596	12972954	.	.
2. लाभांश				
क) शयरों पर	.	.	.	.
ख) म्युचूअल निधि प्रतिभूतियों पर	.	.	.	.
3. किराया	.	.	.	.
4. अन्ये	.	.	.	.
जोड़	**54101596**	**55372954**	**.**	**.**
चिह्नित/धर्मस्व निधियों में अन्तरित	**.**	**.**		

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) रॉयल्टी से आय		.	.
ख) प्रकाशनों से आय		.	.
जोड़		.	.

(राशि रुपए)

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सावधि जमा पर			
क) अनुसूचित बैंकों में			
ब्याज आय – विजया बैंक	52386277	52386277	54606660
ख) अन्य गैर–अनुसूचित बैंकों में		.	.
ग) संस्थानों में		.	.
घ) अन्य		.	.
2. बचत खातों में			
क) अनुसूचित बैंकों में			
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, चैन्नई	18660		146879
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	96074		75386
प्राप्त ब्याज – आईओबी बैंक, दिल्ली	307795	422529	107302
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में		.	.
ग) डाकघर बचत खातों में		.	.
घ) अन्य		211055	.
3. ऋणों पर			
क) कर्मचारी/स्टाफ		.	.
ख) अन्य		.	.
4. देनदारों ओर अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		.	.
5. ग्रेच्अटी निधि पर ब्याज		.	.
जोड़		**53019861**	**54936227**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)

इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 18 –अन्य आय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली परिसम्पत्तियां	.	.
ख) अनुदानों में से अधिगृहीत या निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्तियां	.	.
2. विविध प्राप्तियां	512595	325452
3. अन्य (फुटकर बकायों का प्रतिलेखन)	.	1456093
जोड़	**512595**	**1781545**

(राशि रुपए)

अनुसूची 19 –तैयार ओर तैयार किए जा रहे माल में वृद्धि/(कमी)	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) इति शेष स्टॉक		
– तैयार माल	.	.
– तैयार किया जा रहा माल	.	.
ख) घटाएंः अथ शेष स्टाक	.	.
– तैयार माल	.	.
– तैयार किया जा रहा माल	.	.
निवल वृद्धि/कमी (क–ख)	.	.

(राशि रुपए)

अनुसूची 20 – स्थापना व्यय	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	व्यय	प्र व भु	आ व व्यय	प्र व भु
क) वेतन और मजदूरी	38394985	38129022	37160523	37826158
ख) भत्ते और बोनसं	3337035	3337035	2666579	2669038
ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्रभार	5046236	5047060	4315881	3957632
घ) अन्य (अवकाश वेतन)	28191	39512	11321	111593
ङ) अन्य (पेंशन अंशदान)	39369	67654	28285	144287
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय (ग्रंच्अटी)	16037	16037	904330	904330
छ) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय (अवकाश नकदीकरण)	918	918	1162	1162
ज) कर्मचारी कल्याण निधि	835485	835485	936414	999869
जोड़	**47698256**	**47472723**	**46024495**	**46614069**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)
क) मरम्मत एवं रखरखाव	**1085286**	**1126332**	**2138424**	2051508
ख) वाहन संचालन और रखरखाव	812078	555756	1279695	1774446
ग) डाक, टेलिफोन और संचार प्रभार	897694	911893	1183572	1253978
घ) प्रिन्टिंग व लेखन सामग्री	1401374	1394813	2276811	2322869
ङ) यात्रा और वाहन व्यय	485316	324815	4298343	6080047
च) कार्यशालाओं, सेमिनारों और प्रशिक्षण पर व्यय	2352052	2352869	802021	821625
छ) लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	212100	89720	112500	.
ज) विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	376502	445082	524292	526452
झ) विज्ञापन और प्रकाशन	829868	829868	780879	780879
ञ) आईपीईई को अंशदान	4186965	4186965	4259030	4259030
ट) आईएई को अंशदान	.	.	.	.
ठ) पूर्व अवधि व्यय	381565	381565	2923905	2923905
ड) कार्यालय रखरखाव	2496498	2292367	2705710	2829018
ढ) बैक प्रभार	93	93	1197	1197
जोड़	**15517391**	**14892138**	**23286379**	**25624954**

(राशि रुपए)

अनुसूची 21– अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)	(आय व व्यय)	(प्राप्तियां व भुगतान)
परियोजना व्यय – (बीईई)				
राष्ट्रीय स्तर प्रमाणन परीक्षा	16892646	14505094	23304307	22700392
ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रत्यायन	329000	303500	419546	419546
	17221646	14808594	23723853	23119938
अनुदान परियोजनाएं (विद्युत मंत्रालय)				
XIवीं योजना				
बीईई				
कृषि व नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी एण्ड एमयू डीएसएम)	-	-	-	1614160
	-	-	-	1614160
XIIवीं योजना				
बीईई				
ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)	-	2356628	-	17141537
राज्य अभिहित एजेंसियां (एसडीए)	-	246567251	-	126808839
राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसइएफसी)	-	60000000	-	80000000
कृषि व नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एजी एण्ड एमयू डीएसएम)	-	860208	-	14775558
नगरपालिका मांग पक्ष प्रबन्धन (एमयू डीएसएम)	-	2265098	-	1894040
लघु मध्यम उद्यम (एसएमई)	-	10030028	-	2748268
डिस्कॉम का क्षमता निर्माण	-	156018538	-	18177259
ईसी				
ऊर्जा संरक्षण जागरूकता (जागरूकता अभियान)	-	218372709	-	215774137
राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन मिशन (एनएमईईई)	-	28273031	-	25813937
बचत लैम्प योजना (बीएलवाई)	-	-	-	1156599
अति दक्ष उपकरण कार्यक्रम (एसईईपी)	-	203030	-	508519
ईएपी				
बीईई –जीईएफ–डब्ल्युबी–परियोजना	-	11898971	-	10099932
	-	736845492	-	514898625
परियोजना व्यय – (अन्य)				
यूएनडीपी परियोजना	-	83004116	-	41591876
यूनीडो परियोजना	-	13254282	-	16015406
मानक व लेबलिंग (एस एण्ड एल)	-	119565705	-	129727208
	-	215824103	-	187334490
जोड़ (क)	**17221646**	**967478189**	**23723853**	**726967213**
जोड़ (क + ख)	**32739037**	**982370327**	**47010232**	**752592167**

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि रुपए)

अनुसूची 22– अनुदानों/उप–सहायता आदि पर व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान	.	.
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई उप–सहायता	.	.
जोड़	.	.

(राशि रुपए)

अनुसूची 23 – ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अचल परिसम्पत्तियों पर	.	.
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	.	.
ग) अन्य	.	.
जोड़	.	.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) लेखांकन परम्परा

जब तक की अन्यथा उल्लेख न किया जाए, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तथा लेखाकरण की प्रोद्भूत पद्धति पर तैयार किए जाते हैं।

स्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के व्यय के मामले नकद आधार पर बुक किए जाते है।

2) सामान की सूची

सामान का मूल्यांकन लागत (जांच परीक्षण उपकरण) पर किया जाता है।

3) निवेश

निवेश लागत पर किए जाते हैं।

4) अचल परिसंपत्तियां

क. अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है जिसमें आगम भाड़ा, शुल्क और कर तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष व्यय शामिल है।

ख. गैर–मौद्रिक अनुदानों (निकाय निधि के अतिरिक्त) के माध्यम से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को वर्णित मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है और तदनुरूप उसे आरक्षित पूंजी में क्रेडिट किया जाता है।

ग. वस्तु के रूप में अनुदान दर्शाने वाली अचल परिसंपत्तियों पर, वर्ष के दौरान ऐसी परिसंपत्तियों पर हुए मूल्यह्रास की राशि को घटाया गया है और तदनुसार उसे वस्तु के रूप में अनुदान खाते पर सृजित पूंजी रिजर्व में से घटाया गया है।

5) मूल्यह्रास

क. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का परिगणन आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दर के अनुसार अवलिखित मूल्य पर किया गया है।

ख. वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि / कमी के संबंध में, मूल्यह्रास निम्नानुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है :

180 दिनों तक की अवधि के लिए अधिग्रहीत / प्रयुक्त परिसंपत्तियां = छह माह के लिए मूल्यह्रास

180 दिनों से अधिक अवधि के लिए अधिग्रहीत / प्रयुक्त परिसंपत्तियां = पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास

ग. 5,000 / –रुपए अथवा इससे कम मूल्य की परिसंपत्तियों का पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है।

घ. अचल परिसम्पत्तियों और वस्तु के रूप में अनुदान दर्शाने वाली अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास अलग अलग किया गया है।

ङ अप्रयोज्य परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास नहीं किया गया है।

6) अनुदानों एवं राजस्व के लिए लेखांकन

मानक एवं लेबलिंग स्कीम के अंतर्गत प्राप्त लेबलिंग शुल्क सहित अनुदानों और राजस्व का लेखांकन ब्याज आय को छोड़कर वास्तविक प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

7) सरकारी एवं अन्य अनुदान/उप–सहायता

क. परियोजनाओं लगाने के लिए पूंजीगत लागत के लिए अंशदान के रूप में प्राप्त सरकारी अनुदानों को पूंजीगत रिजर्व माना गया है।

ख. अचल परिसंपत्तियों के रूप में प्राप्त वस्तु के रूप में अनुदान को, ऐसी परिसंपत्तियों पर किए गए निवल मूल्यह्रास को घटाकर पूंजीगत रिजर्व के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

ग. सरकारी एवं अन्य अनुदानों/उप–सहायता का लेखांकन प्राप्ति आधार पर किया जाता है और इन्हें केंद्र सरकारसे प्राप्त अनुदानों के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाया जाता है।

8) विदेशी मुद्रा लेनदेन

क. विदेशी मुद्रा लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख. चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को उपयुक्त परियोजनाओं के अंतर्गत लागत में समायोजित किया गया है।

9) लीज़

लीज़ किरायों का खर्च लीज़ की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

10) सेवानिवृत्ति लाभ

क. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय ग्रेच्युटी के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगमसे ग्रेच्युटी पॉलिसी ली हुई है।

ख. ब्यूरो ने अपने कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण लाभ के प्रति देयता के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की अवकाश नकदीकरण लाभ पॉलिसी ली हुई है।

वित्तीय विवरणों का रूप (गैर–लाभ संगठन)
इकाई का नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखाओं के भाग के रूप में अनुसूचियां

अनुसूची 25 – लेखाओं पर टिप्पणियां

1) आकस्मिक देयताएं

क) सेवा कर

सेवा कर के संबंध में विवादित मांग का विवरण नीचे दिया गया है:

i. 2008 से 2013 – 8,15,59,473/– रुपए (पिछले वर्ष – 8,15,59,473/– रुपए)

ii. 2013 से 2014 – 3,81,15,783/– रुपए. (पिछले वर्ष – 3,81,15,783/–रुपए)

iii. 2014 से 2015 – 2,95,70,890/– रुपए. (पिछले वर्ष – 2,95,70,890/– रुपए.)

बीईई ने उपर्युक्त मांगों के विरुद्ध विभाग में अपील कर दी है/उत्तर दे दिया है, जिस पर सेवाकर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अपील फाइल करते समय बीईई ने 61,16,960/–रुपए की राशि संबंधित विभाग के पास जमा करा दी है।

2) चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य लेनदेन की सामान्य प्रक्रिया में वसूली पर होता है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है।

3) कराधान

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 49, के अंतर्गत आयकर से छूट में यह प्रावधान है – "आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) अथवा आय, लाभ और प्राप्तियों पर कर के संबंध मे उस समय लागू अधिनियम में निर्दिश्ट किसी बात के बावजूद

(क) ब्यूरो;

(ख) मौजूदा ऊर्जा प्रबंधन केंद्र को ब्यूरो के गठन की तारीख से लेकर ब्यूरो की स्थापना की तारीख तक, प्राप्त अपनी आय, लाभ या प्राप्तियों के संबंध में आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान नहीं करना होगा"। उपर्युक्त के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत ब्यूरो की कर–योग्य आयनहीं है और इसलिए आयकर हेतु कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

4) विदेशी मुद्रा लेनदेन

ब्यरो ने आइपीईईसी को वार्षिक अशंदान तथा परियोजनाओं के लिए विदेशी यात्रा व्यय के लिए कोई विदेशी यात्रा व्यय नहीं किया है।

ब्यूरो ने वित्तीय वर्ष 2012–13 में ''यूनिडो–जीईएफ–बीईई परियोजना'' के अंतर्गत अनुदान के रूप में 18,99,985 अमरीकी डॉलर प्राप्त किए हैं। इसमें से, 7,28,740 अमरीकी डॉलर की शेष राशि हमारे बैंकर अर्थात् विजया बैंक के पास एक अलग

विदेशी मुद्रा बैंक खाते में रखी हुई है। तुलन–पत्र की अंतिम तिथि को, 7,28,740 अमरीकी डॉलर का मूल्य 4,71,20,328/– रुपए है। 11,65,984/– रुपए. के विनिमय दर में उतार–चढ़ाव के अन्तर को "यूनिडो–जीईएफ–बीईई परियोजना" के अंतर्गत अनुसूची–3 (चिह्नित निधि– अन्य) में राजस्व व्यय के अन्तर्गत ''अन्य प्र ाासनिक/परियोजना व्यय'' में दर्शाया गया है।

5) सेवानिवृत्ति लाभ

ब्यूरो ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को ग्रेच्युटी के लिए 16,037/– रुपए तथा अवकाश नकदीकरण लाभ के लिए 918/– रुपए के प्रीमियम के प्रति व्यय दर्ज किया है। चूंकि बीईई एलआईसी (एक सरकारी निकाय) के माध्यम से अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी/अवकाश नकदीकरण का हिसाब रखता है, अतः एलआईसी ही बीईई के कर्मचारियों का बीमांकन मूल्यांकन करता है।

6) ब्यूरो ने विभिन्न योजना परियोजनाओं की अप्रयुक्त निधियों के संबंध में बैंकों में स्वीप खातों पर ब्याज आय अर्जित की है। अतएव, प्राप्त ब्याज आय में से अप्रयुक्त निधियों पर मासिक औसत बकाया के आधार पर परिकलित ब्याज आय को संबंधित परियोजनाओं में क्रेडिट कर दिया गया है और इसे विद्युत मंत्रालय को वापस किया जा रहा है।

7) ब्यूरो ने पीआरजीएफईई के अंतर्गत 100,49,69,872/– रुपए तथा वीसीएफईई के अंतर्गत (वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज सहित) 42,08,65,581/–. को चिह्नित निधि (अनुसूची–1) के अंतर्गत दर्शाया है। इसे विजया बैंक में अलग–अलग खातों में जमा कराया गया है और अनुसूची–9 में दर्शाया गया है।

8) वर्ष के दौरान, ब्यूरो को ईसी अधिनियम की धारा 14 के खंड (क), (ख) व (घ) के अंतर्गत मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से ब्याज सहित 46,48,36,681/–रुपए (अनुसूची–1) (पिछले वर्ष 38,25,65,775/–रुपए) की राशि प्राप्त हुई। ब्यूरो ने एकरूपता बनाए रखने के लिए लेबलिंग शुल्क को मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत प्राप्ति आधार पर विचार किया गया।

9) वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान 12वीं योजना हेतु प्रस्तावित मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था। ईएफसीकी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि स्कीम से संबंधित सभी व्यय, स्कीम अर्थात् ''ऊर्जा संरक्षण निधि'' में सृजित आय में से वहन किए जाएंगे। तदनुसार, वर्ष के दौरान स्कीम के व्ययों को पूरा करने के लिए 15.00 करोड़ रुपए की राशि (पिछले वर्ष 12.73 करोड रुपए) "ऊर्जा संरक्षण निधि" (अनुसूची–1) से अनुसूची–3 में अंतरित की गई ।

10) मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम (एसएंडएल) के अंतर्गत 52,26,251/– रुपए (पिछले वर्ष 58,23,730/– रुपए) की राशि क परीक्षण जांच उपकरणों को चालू परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर तृतीय पक्षकारों (परीक्षण प्रयोगशाला) के पास पड़ी हुई है। ये सामान–सूचियां मानक और लेबलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं, न कि व्यापार के प्रयोजन के अन्तर्गत। वर्ष के दौरान ब्यूरो में 5,97,479/– रुपये के जाँच के उपकरणों की एमएसटीसी लिमिटेड के स्टॉक से समाप्त कर दिया। सम्पति के निपटान के कारण बिक्री की प्रक्रिया को परियोजना में जमा कर दिया गया है। 31/03/2017 को जांच परीक्षण उपकरणों का उत्पाद–वार विवरण निम्नानुसार है:

i.	रेफ्रिजरेटर्स	–	15,42,413/–रुपए
ii.	एयर कंडीशनर्स	–	18,20,895/–रुपए
iii.	वाटर हीटर्स	–	3,88,371/–रुपए
iv.	वाटर सेट	–	9,42,341/–रुपए
v.	इंडक्शन मोटर्स	–	3,58,682/–रुपए
vi.	टेलीविजन	–	1,52,912/–रुपए
vii.	ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप	–	20,637/–रुपए
	जोड़	–	**52,26,251/–रुपए**

11) अचल परिसम्पत्तियों में भाामिल की गई अप्रयोज्य मदों पर किसी मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है।

12) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, सिडबी के साथ मिलकर जीईएफ निधिकृत एक परियोजना (एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता का निधीयन) इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी विश्व बैंक है। यह परियोजना सितंबर 2010 में भाुरु की गई थी और इसके पूरा होने की तारीख 31 दिसंबर 2014 निर्धारित की गई थी। विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2014 में इस परियोजना की पुनर्संरचना की गई थी। पुनर्संरचना की स्कीम के अन्तर्गत, इस परियोजना की अवधि 2 वर्श अर्थात् 30 दिसम्बर, 2016 तक बढ़ा दी गई थी।

नवम्बर, 2016 में इस परियोजना को 5.19 मिलियन अमरीकी डॉलर का अतिरिक्त अनुदान दिया गया और इसकी अवधि को 4 मई, 2019 तक बढ़ा दिया गया। अतिरिक्त निधिकरण के अधीन बीईई के लिए 1.42 मिलियन अमरीकी डॉलर का आबंटन किया गया है।

31 मार्च 2017 तक बीईई द्वारा 8.46 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इसमें वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान खर्च की गई 1.17 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

13) निविदा प्रोसेसिंग शुल्क और आरटीआई शुल्क को "अनुसूची–18–अन्य आय" के अंतर्गत ''विविध सेवाओं हेतु शुल्क'' के रूप में दर्शाया गया है।

14) वर्ष के दौरान ब्यूरो ने निम्नलिखित खर्चों को बुक किया है जो पिछले वर्ष (पूर्व अवधि व्यय) से संबंधित हैं:

i.	लेखा परीक्षा शुल्क	–	3,05,680/–रुपए
ii.	कार्यालय रखरखाव	–	3,000/–रुपए
iii.	व्यावसायिक प्रभार	–	15,150/–रुपए
iv.	जीर्णोद्धार और रखरखाव	–	4,300/–रुपए
v.	छपाई और लेखन सामग्री (अंशदान व्यय)	–	672/–रुपए
vi.	टेलिफोन व्यय	–	52,763/–रुपए
	जोड़	–	**3,81,565/–रुपए**

15) वर्ष के दौरान, 1,25,265/– रुपए (बीईई की परिसम्पत्तियां) और 99,604/– रुपए (वस्तु के रूप में अनुदान परिसम्पत्तियां) की राशि को 'कार्यालय उपकरण' से "कम्प्यूटर" के अंतर्गत दर्शाया गया है क्योंकि ये कम्प्यूटर और पेरिफेरल्स के किस्म के हैं। इनका मूल्यह्रास भी तदनुसार किया गया है।

16) पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों को, आवश्यकतानुसार पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

17) 1 से 25 तक की अनुसूचियां 31 मार्च 2017 तक के तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखाओं का अभिन्न अंग हैं और ये इसके साथ संलग्न हैं।

4

प्रशासन

4.1 शिकायत निवारण

4.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

4.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण

4.4 राजभाषा का कार्यान्वयन

4.5 सतर्कता

4.6 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

4.1 शिकायत निवारण

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में अलग से कोई शिकायत निवारण सैल नहीं है। शिकायतें, यदि कोई होती हैं, तो उनका निवारण बीईई के प्रशाासन अनुभाग द्वारा किया जाता रहा है। शिकायतों के प्राप्त होते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है/उनका उत्तर दिया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

वर्ष 2016–17 के दौरान, बीईई में आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने के बारे में कुल 53 आवेदन प्राप्त हुए और इन सभीका उत्तर अनुमेय समय सीमा के अंदर दे दिया गया/अंतरित कर दिया गया।

इसी अवधि के दौरान, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 08 अपीलें भी प्राप्त हुईं जिन्हें अनुमेय समय सीमा के अंदर निपटाया गया।

4.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण

सूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रोफार्मा में नीचे दिया गया है:

बीईई

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2017 के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा.%	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.%	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग%
क	05	-	-	-	-	-	-
ख	07	-	-	-	-	-	-
ग	01	-	-	-	-	-	-
घ	--	-	-	-	-	-	-
कुल	**13**	-	-	-	-	-	-

एनएमईईई

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2017 के अनुसार	प्रतिनिधित्व					
		अ.जा.	अ.जा.%	अ.ज.जा.	अ.ज.जा.%	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग%
क	05	01	20%	-	-	-	-
ख	01	-	-	-	-	-	-
ग	--	-	-	-	-	-	-
घ	N.A.	-	-	-	-	-	-
कुल	**06**	01	16.66%		-	-	-

4.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण

अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नीचे प्रोफॉर्मा में दिया गया है:

बीईई

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2017 के अनुसार	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता
क	05	-	-
ख	07	-	-
ग	01	-	-
घ	--	-	-
कुल	**13**	-	-

एनएमईईई

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2017 के अनुसार	अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व	अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता
क	05	-	-
ख	01	-	-
ग	-	-	-
घ	N.A.	-	-
कुल	**06**	-	-

4.4 राजभाषा का कार्यान्वयन

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन हेतु, प्रति वर्ष सितंबर माह में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत नियमों के अनुसार अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा पुरस्कृत करने के लिए वर्ष के दौरान, विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और हिंदी कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया गया।

बीईई में, 14 से 28 सितंबर 20167 के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान, छह प्रतियोगिताएं नामतः, हिंदी में निबंध प्रतियोगिता, हिंदी में टिप्पणी और प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी में श्रुतलेखन, चतुर्थश्रेणी हेतु हिंदी श्रुतलेखन तथा राजभाषा हिंदी के प्रयोग से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता एवं हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आठ पुरस्कार अर्थात् प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार तथा पांच सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।

29 जून 2016, 16 नवम्बर 2016 और 24 मार्च 2017 को क्रमशः 30, 20 और 31 प्रतिभागियों की प्रतिभागिता के साथ 2 घंटे केलिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। गहन ज्ञान एवं अनुभवी विशेषज्ञ अतिथि वक्ताओं ने न केवल अपने विचारों और ज्ञान को साझा किया अपितु राजभाषा अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार अपना दैनिक सरकारी कामकाज हिंदी में करने में प्रतिभागियों के समक्ष वाली कठिनाइयों को दूर करने में भी मदद की। कार्यशालाओं में प्रतिभागिता से सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने में काफी सहायता मिली। कार्यशाला में प्रतिभागिता के बाद, कर्मचारियों ने यूनीकोड के माध्यम से फाइलों में हिंदी में टिप्पणी टाइप करना आरंभ कर दिया। 'क' व 'ख' क्षेत्रों को हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या प्रत्येक तिमाही में बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए सचिव, बीईई की अध्यक्षता में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं।

4.5 सतर्कता

वर्ष 2016–17 के दौरान, कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुईं और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

4.6 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण नीचे दिए गए प्रारूप में दर्शाया गया है:

बीईई

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2017 के अनुसार	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	
क	05	-	-	-	-	-
ख	07	-	-	01	-	14.28 %
ग	01	-	-	-	-	-
घ	--	-	-	-	-	-
कुल	**13**	-	-	**01**	-	**7.69%**

एनएमईईई

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2017 के अनुसार	शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी				शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों का प्रतिशत
		वीएच	एचएच	ओएच	कुल	-
क	05	-	-	-	-	-
ख	01	-	-	-	-	-
ग	--	-	-	-	-	-
घ	NA	-	-	-	-	-
कुल	**06**	-	-	**-**	-	-

बिजली बचाओ, देश बनाओ

अपने बिल को कम करें।

अपना जीवन उज्जवल करें!

स्मार्ट ऊर्जा उपभोक्ता बनें

ऊर्जा दक्ष एलईडी बल्ब का प्रयोग करें

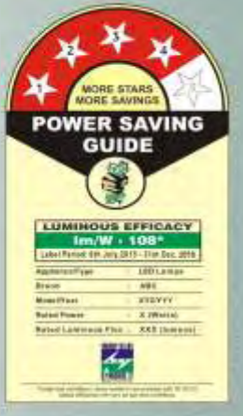

एलईडी बल्ब की विशेषताएं

• लम्बी उम्र • ऊर्जा दक्ष • पर्यावरण हितैषी • टिकाऊ गुणवत्ता • शून्य पराबैंगनी उत्सर्जन • ढांचा सहायक • अत्यधिक ठंडे या गर्म तापमान में साध्य • प्रकाश फैलाने वाला • कम बिजली खर्च

बिजली बचाने से पर्यावरण की सुरक्षा होगी और हमारी भावी पीढ़ी समृद्ध बनेगी

बिजली की बचत आपके बिजली के बिल में कमी लाने के अलावा भी जरूरी है। यह आपके परिवेश को सुरक्षित रखने के बारे में है, जिससे आपके कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं और सुनिश्चित किया जाता है कि आपके बच्चों के लिए ऊर्जा उपलब्ध है। इसलिए जब आप भविष्य में किसी को अपने घर या कार्यालय में बिजली की बर्बादी करते हुए देखें तो उन्हें रोकें। जलवायु बदलाव की इस चुनौती से उभरने में अपनी भूमिका निभाएं।

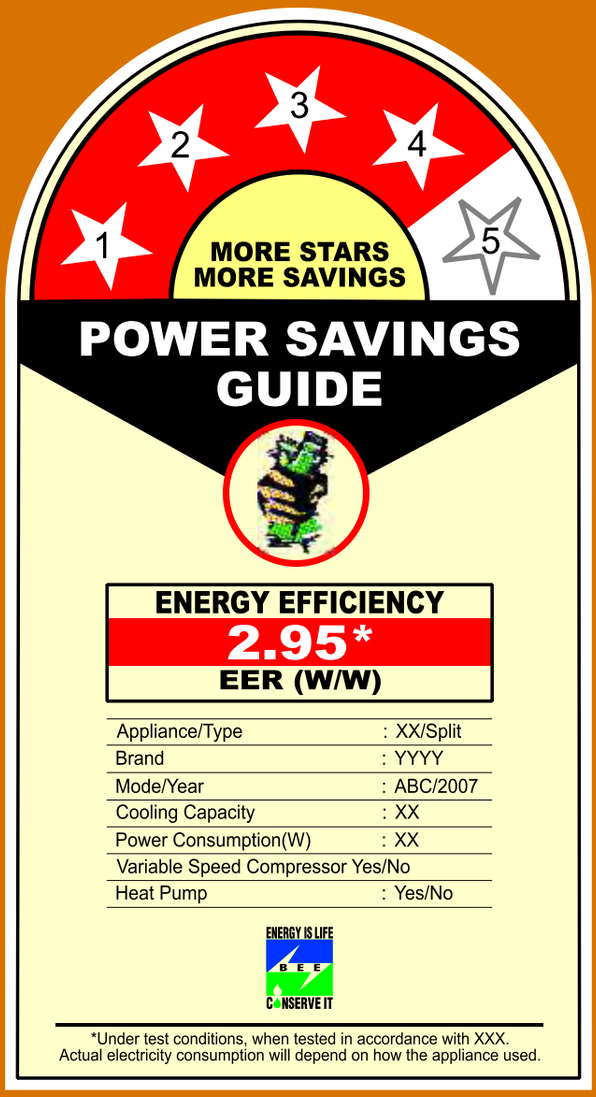

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.)
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली–110006
फोनः +91–11–26179699 (5 लाइन), फैक्सः +91–11–26178352
वेबसाइटः www.beeindia.gov.in